फरवरी, 2018

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द्र ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0478

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

© 2018 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

---

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

फरवरी, 2018 अंक - 2

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक
अविनाश शुक्ला

(2018) 1 सि. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

सम्पादकीय

हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है । यद्यपि विधि द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के अन्तर्गत हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, किन्तु फिर भी देश की अधिसंख्य जनसंख्या की भाषा होने के कारण हिन्दी ही हमारी राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है । इस भाषा ने देश के स्वाधीनता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में भी इस भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है । इस भाषा की सबसे बड़ी ताकत इसकी लिपि है जो स्पष्टता की दृष्टि से विश्व की सर्वोत्तम लिपि है । इस भाषा ने देश और विदेश में करोड़ों लोगों को अनेक क्षेत्रों में रोजगार भी सुलभ कराए हैं । फिर भी यह अत्यधिक दुख का विषय है कि हिन्दी आज भी हमारे देश में उपेक्षा की शिकार है । यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 343(2) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि संविधान के प्रारम्भ होने की तारीख (अर्थात् 26 जनवरी, 1950) से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए संविधान के प्रारम्भ के ठीक पहले किया जा रहा था । अनुच्छेद 343(3) में पुनः उल्लिखित है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा उक्त 15 वर्ष की अवधि के दौरान भी संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे । अनुच्छेद 345 में उपबंधित किया गया है कि किसी भी राज्य का विधान-मंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक भाषा या अधिक भाषाओं को या फिर हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जानी वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकृत कर सकेगा ।

अतः, संविधान के निर्माताओं का आशय बिल्कुल स्पष्ट था । वे संविधान के प्रारम्भ की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के पश्चात् हिन्दी को ही देश की राजभाषा के रूप में स्थापित देखना चाहते थे । उन्होंने राज्य सरकारों को भी हिन्दी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाने की छूट दी थी और इसीलिए अनेक राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल इत्यादि ने हिन्दी को अपनी राजभाषा का दर्जा भी दिया ।

किन्तु विधि के क्षेत्र में दुर्भाग्य ने हिन्दी का पीछा नहीं छोड़ा । अनुच्छेद 348(1) कहता है कि जब तक संसद् विधि द्वारा उपबंधित न करे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी बनी रहेगी और उनकी सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी । साथ ही यह अनुच्छेद आगे उपबंधित करता है कि संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल

में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों, अधिनियमों और राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों, संविधान के अधीन या संसद् या राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधि के अधीन निकाले गए सभी आदेशों या बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और उप-विधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे । अनुच्छेद 348(3) उपबंधित करता है कि जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने उसके द्वारा पुरःस्थापित विधेयकों या पारित अधिनियमों या राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों या किसी आदेश, नियम, विनियम या उप-विधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा विहित की है, तो भी उस राज्य के राजपत्र में राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद ही प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

इन्हीं कारणोंवश हिन्दी आज भी राजभाषा का स्थान नहीं ले सकी है क्योंकि यदि कोई राज्य हिन्दी को राजभाषा का स्थान देना भी चाहता है तो भी हमारा संविधान उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा प्राधिकृत किए गए हिन्दी पाठ के स्थान पर उसके अंग्रेजी अनुवाद को प्राधिकृत पाठ का दर्जा देता है । **शाहजहां बेगम (श्रीमती)** बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर और अन्य** [(2018) 1 सि. नि. प. 231] वाले मामले में, माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चाहे उत्तराखंड राज्य की राजभाषा हिन्दी होने के कारण मूल अधिनियम का प्रारूपण हिन्दी में ही क्यों न किया गया हो और उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया हो, किन्तु यदि हिन्दी पाठ के शब्द अंग्रेजी पाठ में विलुप्त पाए जाते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन अंग्रेजी पाठ ही अधिनियम का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा ।

संसदीय राजभाषा समिति को संविधान में व्याप्त इन विसंगतियों पर ध्यान देना चाहिए जिससे हिन्दी वास्तव में राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर सके । पत्रिका में समायोजित सामग्री और गुणता के संबंध में, सभी पाठकों के विचार अपेक्षित हैं । अगली पत्रिका के संपादन के समय उनके विचारों पर ध्यान दिया जाएगा ।

अविनाश शुक्ला
संपादक

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

फरवरी, 2018

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
उर्मिला देवी (श्रीमती) **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	153
गुंजन (श्रीमती) **बनाम** प्रवीन सुरेन्द्र पाल सिंह	163
जागो जनता सोसायटी **बनाम** राजस्थान राज्य और अन्य	255
डैनी आनन्द **बनाम** श्रीमती जी. एन. सुजाता	223
प्रेम शर्मा **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य	296
फैज़-ए-आज़म मार्डन डिग्री कालेज और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 167)	
शशि भूषण त्रिपाठी **बनाम** मुख्य सूचना आयोग, ओडिशा और अन्य	213
शाहजहां बेगम (श्रीमती) **बनाम** जिला मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर और अन्य	231
संकल्प इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, गाजियाबाद **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	167
हंस राज और अन्य **बनाम** श्याम लाल और अन्य	300

संसद् के अधिनियम

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 12

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (2016 का 11)

– धारा 146, 185, 138(4)(1)(ग) – शक्तियों का प्रत्यायोजन – जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रधान की वित्तीय शक्तियों की समाप्ति – विधिमान्यता – प्रधान का अभिवाक् कि धारा 138(1)(ग) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग किया गया – जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 146 और 185 के अधीन जारी अधिसूचनाओं के अनुसार शक्ति का प्रयोग किया जाना – अधिसूचना धारा 138(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति को सीमित नहीं करती – धारा 185 के अधीन जारी अधिसूचना जिसके अधीन धारा 138 के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया, की परिधि पर विचारोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश वैध पाया गया ।

शाहजहां बेगम (श्रीमती) बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर और अन्य** 231

विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का 4)

– धारा 36, 37, और 39 – स्थायी निर्वाह-व्यय – पति द्वारा विवाह-विच्छेद आवेदन (अर्जी) फाइल किया जाना – पत्नी के आवेदन पर स्थायी निर्वाह-व्यय की मंजूरी – विधिमान्यता – अधिनियम की धारा 36 से 39 के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी के लिए विवाह-विच्छेद आवेदन में विरोधी पक्षकार होने पर स्थायी निर्वाह-व्यय की मंजूरी के लिए कोई वर्जन या बाधा नहीं है ।

डैनी आनन्द बनाम **श्रीमती जी. एन. सुजाता** 223

– धारा 37 – स्थायी निर्वाह-व्यय – प्रयोजन – स्थायी निर्वाह-व्यय ऐसी सहायता है जो पत्नी को विवाह-विच्छेद के पश्चात् पत्नी के अच्छे जीवन के लिए प्रदत्त की जाती है – स्थायी निर्वाह-व्यय की धनराशि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई स्त्री अपने पति से पृथक् होने के

पृष्ठ संख्या

पश्चात् गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके, पर्याप्त होनी चाहिए ।

डैनी आनन्द बनाम **श्रीमती जी. एन. सुजाता** 223

– धारा 37 और 38 – स्थायी निर्वाह-व्यय – मंजूरी – स्थायी निर्वाह-व्यय मंजूर करते समय पक्षकारों की वित्तीय स्थिति, पक्षकारों के जीवनयापन के स्तर, विवाह की अवधि, पक्षकारों की आयु, पक्षकारों की शारीरिक स्थिति और व्यक्ति की क्षमता जैसे कारकों को विचार में लिया जाना चाहिए ।

डैनी आनन्द बनाम **श्रीमती जी. एन. सुजाता** 223

संविधान, 1950

– अनुच्छेद 14 [सपठित पायलट वेदर बेस्ड क्राप इंश्योरेंस स्कीम] – ऋणी कृषकों और गैर-ऋणी कृषकों के बीच वर्गीकरण और विभेद – विधिमान्यता – भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 वर्गीकरण को अनुज्ञात करता है बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण बोधगम्य वैशिष्ट्य पर आधारित हो – बोधगम्य वैशिष्ट्य प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कतिपय संबंध रखता है – अतः ऐसा वर्गीकरण मनमाना या अविधिमान्य नहीं कहा जा सकता ।

प्रेम शर्मा बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य** 296

– अनुच्छेद 30(1) और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का 10) – धारा 28(5)(ख) – महाविद्यालयों में प्रवेश – शिक्षा स्नातक (बी. एड.) पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा – प्राधिकारी द्वारा संचालित एन. सी. ई. टी. की अनदेखी करके अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था द्वारा स्वयं अपनी परीक्षा आयोजित करके छात्रों को कोटा से अधिक प्रवेश दिया जाना – विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के प्रवेश को मान्यता देने से इनकार – ऐसा इनकार अनुच्छेद 30(1) के अधीन अल्पसंख्यक संस्था के अधिकार के अतिक्रमण में नहीं कहा जा सकता ।

संकल्प इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, गाजियाबाद बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 167

पृष्ठ संख्या

– अनुच्छेद 30(1) और 14 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 – धारा 28 [सपठित उत्तर प्रदेश प्राइवेट वृत्तिक शिक्षण संस्थाएं (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 2] – अल्पसंख्यक संस्थाएं – अधिनियम 2006 की परिधि से बाहर होने की दलील – विधिमान्यता – प्रवेश की प्रक्रिया विहित करने वाले और विश्वविद्यालयों को राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित करने हेतु अनुज्ञात करने वाले राज्य आदेश सुसंगत शिक्षण वर्षों के दौरान होने वाली परीक्षाओं को लागू होते हैं – ऐसे इंतजाम किसी भी प्रकार से एन. सी. टी. ई. द्वारा विरचित या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अधीन विरचित विनियमों के विरोध में नहीं है – अल्पसंख्यक संस्थाएं उन विनियामक उपायों का अनुपालन करेंगी जो पारदर्शिता और ऋजुता बनाए रखने के लिए लागू किए गए हैं – इस बात के लिए कोई अवसर या न्यायोचित्य नहीं है कि उपबंधों को मनमाना या अयुक्तियुक्त मानकर अल्पसंख्यक संस्थाओं को इसके क्षेत्र और अधिनियम, 2006 की परिधि से बाहर रखा जाए और तद्नुसार अधिकारातीत माना जाए ।

संकल्प इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, गाजियाबाद बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 167

– अनुच्छेद 226 [सपठित उचित दर दुकान आबंटन स्कीम] – ग्राम पंचायत द्वारा उचित दर की दुकान आबंटित करने के लिए संकल्प – शिकायतकर्ता द्वारा तहसील स्तर समिति के समक्ष परिवाद करके विरोध – शिकायत का सत्यापन किए बिना और याची को सुने बिना संकल्प का अननुमोदन – विधिमान्यता – यदि ग्राम सभा का संकल्प (प्रस्ताव) प्राप्त होने के पश्चात् उपखंड अधिकारी या तहसील स्तर समिति के समक्ष संकल्प के विरोध में कोई शिकायत या परिवाद प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी समिति या उपखंड अधिकारी शिकायत की सत्यता की जांच करने और प्रस्तावित व्यक्ति को सुनने के पश्चात् ही अनुमोदन या अननुमोदन का आदेश पारित कर

पृष्ठ संख्या

सकता है ।

उर्मिला देवी (श्रीमती) बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 153

– अनुच्छेद 243ण, 345, 348(3), 346 और 347 [सपठित उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 138(1)(ग)] – ग्राम प्रधान की वित्तीय शक्तियों की समाप्ति – विधिमान्यता – प्रधान द्वारा यह अभिवाक् किया जाना कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वित्तीय शक्तियां वापस लिए जाते समय कोई कार्यवाही अभिलिखित नहीं की गई – धारा 138(1)(ग) के अंग्रेजी पाठ में सरकार की ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग के बाबत किसी अपेक्षा का अभिलिखित न होना – किन्तु हिन्दी पाठ में इस अपेक्षा का अभिलिखित होना पाया जाना – राज्य की राजभाषा हिन्दी का होना – हिन्दी पाठ में पाए गए शब्दों का अंग्रेजी पाठ में विलुप्त होना – संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन अंग्रेजी पाठ अधिनियम का प्राधिकृत पाठ होने के कारण अंग्रेजी पाठ हिन्दी पाठ पर अभिभावी होगा – अतः प्रधान की वित्तीय शक्तियां वापस लेने वाला आदेश वैध है ।

शाहजहां बेगम (श्रीमती) बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर और अन्य** 231

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)

– आदेश 23, नियम 1 और धारा 11 – पूर्वतर वाद – वापस लिए जाने के आधार पर खारिजी विबंध – वादी के काउंसेल द्वारा अपने कथन में वाद नए सिरे से संस्थित करने के लिए अनुमति मांगी जानी – मामले के तथ्यों में पश्चात्वर्ती वाद संस्थित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अधीन वर्जन लागू नहीं होता ।

हंस राज और अन्य बनाम **श्याम लाल और अन्य** 300

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22)

– धारा 6(1) – सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन –

पृष्ठ संख्या

सूचना से संबंधित संस्था की दो संस्थाएं होना – आवेदक द्वारा यह स्पष्ट न किया जाना कि उसे किस संस्था से सूचनाएं चाहिए – इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रतियां मांगने के अधिकार को आरक्षित रखते हुए वृहत्त अभिलेख के निरीक्षण की मांग – आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं कहा जा सकता – आयोग द्वारा नए सिरे से आवेदन फाइल करने के निदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

शशि भूषण त्रिपाठी बनाम **मुख्य सूचना आयोग, ओडिशा और अन्य** 213

– धारा 20 – शास्ति – सूचना उपलब्ध कराने में विलंब – आयोग द्वारा आवेदन अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण माना जाना – सूचना उपलब्ध कराने वाले प्राधिकारियों की ओर से कोई विलंब या दोष साबित न होना – आयोग द्वारा शास्ति अधिरोपित करने का निदेश नहीं दिया जा सकता ।

शशि भूषण त्रिपाठी बनाम **मुख्य सूचना आयोग, ओडिशा और अन्य** 213

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25)

– धारा 13 और 28(4) और कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) – धारा 19(1) – विवाह-विच्छेद डिक्री – अपील के लिए 90 दिन की परिसीमा अवधि और कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन विहित 30 दिन की परिसीमा अवधि – अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अधीन अपील फाइल करने संबंधी उपबंध प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं – प्रक्रियात्मक विधि सदैव मूल विधि के हित में होती है – मूल अधिनियम के अधीन विहित अवधि प्रक्रियात्मक विधि के अधीन विहित परिसीमा अवधि के ऊपर अभिभावी मानी जाएगी – अतः उक्त अधिनियम के अधीन अपील के लिए परिसीमा अवधि 90 दिन मानी जाएगी ।

गुंजन (श्रीमती) बनाम **प्रवीन सुरेन्द्र पाल सिंह** 163

उर्मिला देवी (श्रीमती)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

तारीख 17 जनवरी, 2017

न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 [सपठित उचित दर दुकान आबंटन स्कीम] – ग्राम पंचायत द्वारा उचित दर की दुकान आबंटित करने के लिए संकल्प – शिकायतकर्ता द्वारा तहसील स्तर समिति के समक्ष परिवाद करके विरोध – शिकायत का सत्यापन किए बिना और याची को सुने बिना संकल्प का अननुमोदन – विधिमान्यता – यदि ग्राम सभा का संकल्प (प्रस्ताव) प्राप्त होने के पश्चात् उपखंड अधिकारी या तहसील स्तर समिति के समक्ष संकल्प के विरोध में कोई शिकायत या परिवाद प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी समिति या उपखंड अधिकारी शिकायत की सत्यता की जांच करने और प्रस्तावित व्यक्ति को सुनने के पश्चात् ही अनुमोदन या अननुमोदन का आदेश पारित कर सकता है ।

वर्तमान मामले में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत बिलसारी, खंड (ब्लाक) नवानगर, तहसील सिकन्दरपुर, जिला बलिया द्वारा तारीख 27 जुलाई, 2016 को एक राय से खुली बैठक में संकल्प (प्रस्ताव) पारित किया गया था जिसके द्वारा उचित दर दुकान अभिकर्ता के लिए याची के नाम का प्रस्ताव किया गया था । उपर्युक्त संकल्प तारीख 9 दिसम्बर, 2016 को तहसील स्तर की समिति के समक्ष रखा गया था जिसने श्री मुरली और वीरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बिलसारी की शिकायतों के आधार पर संकल्प का अनुमोदन नहीं किया । ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत इन तीन बिन्दुओं पर की गई थी कि संकल्प ग्राम में सम्यक् प्रचार किए बिना किया गया था । बैठक में कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था और ग्राम प्रधान ने अपने भाई की पत्नी के नाम को प्रस्तावित किया था । ऐसा प्रतीत होता है कि खंड विकास अधिकारी, नवानगर द्वारा इस

संबंध में जांच की गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट तारीख 6 सितम्बर, 2016 को पत्र द्वारा पेश की थी । जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि सम्यक् प्रचार किया गया था । यह राय गठित करने के लिए कि ग्रामवासियों ने बैठक में भाग लिया था, जांच रिपोर्ट के साथ बैठक के फोटोचित्र उपाबद्ध किए गए थे । बैठक की विडियोग्राफी भी की गई थी । जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि ग्राम प्रधान का भाई पृथक् रहता था । अभिलेख पर जांच रिपोर्ट होने के बावजूद और अभिलेख पर किसी प्रतिकूल सामग्री के बिना तहसील स्तर समिति ने यह राय व्यक्त की कि ग्राम प्रधान यह साबित नहीं कर सकी कि उसका भाई पृथक् रहता है और उसकी पृथक् रसोई है और इसलिए समिति ने तारीख 9 दिसम्बर, 2016 के आदेश द्वारा संकल्प (प्रस्ताव) का अनुमोदन नहीं किया और खंड विकास अधिकारी को यह निदेश दिया कि वह ग्राम सभा की एक खुली बैठक बुलाए । प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा तारीख 14 दिसम्बर, 2016 को एक पारिणामिक आदेश पारित किया गया था जिसके द्वारा खंड विकास अधिकारी को बैठक बुलाने के लिए कहा गया था । याची ने तहसील स्तर समिति के तारीख 9 दिसम्बर, 2016 के विनिश्चय और तारीख 14 दिसम्बर, 2016 के पारिणामिक आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका फाइल की है । रिट याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अभिकथन सही नहीं पाए गए हैं । तहसील स्तर समिति के समक्ष याची के प्रतिकूल ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो ग्राम सभा के संकल्प का अननुमोदन करने के लिए कोई विधिमान्य आधार गठित कर सके । प्रत्यर्थी सं. 3 ने प्रश्नगत ग्राम पंचायत के कुटुम्ब रजिस्टर की सहायता से याची के पृथक् रहने के तथ्य और पृथक् रसोई के तथ्य का सत्यापन करने का भी प्रयास नहीं किया । उपाबंध सं. 5 के रूप में फाइल किए गए कुटुम्ब रजिस्टर की प्रति से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि याची के कुटुम्ब में पांच सदस्य हैं जिनमें ग्राम प्रधान अर्थात् श्रीमती अकाली देवी सम्मिलित नहीं हैं । तहसील स्तर समिति या प्रत्यर्थी सं. 3 के समक्ष किसी भी प्रकार की ऐसी कोई सुसंगत सामग्री नहीं थी कि याची ग्राम प्रधान के साथ रह रही है और उनकी एक सामान्य रसोई है और इसलिए वह सुसंगत शासकीय आदेश में यथापरिभाषित "कुटुम्ब" पद के भीतर आती है । इस संबंध में जांच रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्ष को प्राधिकारियों द्वारा किसी विधिमान्य आधार पर नकारा भी नहीं गया है । आक्षेपित आदेश

पारित करते समय याची को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है । मामले के तथ्य और विधिक स्थिति को जैसा कि ऊपर संक्षेप में उल्लेख किया गया है, इस बाबत कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यदि ग्राम सभा का संकल्प प्राप्त होने के पश्चात् उपखंड मजिस्ट्रेट या तहसील स्तर समिति संकल्प का अननुमोदन करने का विनिश्चय करती है तो इस दशा में, उन प्रभावित व्यक्तियों को जिनके हक में ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान ने संकल्प पारित किया है, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा । यदि जांच की जाती है तो ग्राम प्रधान, पर्यवेक्षक और खंड विकास अधिकारी का जवाब मांगा जाएगा और प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के संकल्प को अननुमोदित करने से पूर्व उस पर विचार किया जाएगा । वर्तमान मामले के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच कराई गई थी और उसने यह राय व्यक्त की कि सम्यक् प्रचार के पश्चात् ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाई गई थी जिसमें ग्रामवासियों ने और याची ने जो ग्राम प्रधान से पृथक् रह रही थी, भाग लिया था । खंड विकास अधिकारी ने रिपोर्ट के साथ बैठक का प्रचार करने का सबूत तथा बैठक के फोटोचित्र भी उपाबद्ध किए । उसने रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया कि फोटोग्राफी कराई गई थी और उसकी सी. डी. उपलब्ध है जो आवश्यकता पड़ने पर पेश की जा सकती है । इस प्रश्न का सत्यापन कि क्या याची ग्राम प्रधान के साथ रहती है और क्या उनकी एक सामान्य रसोई है और इस प्रकार क्या याची सुसंगत सरकारी आदेश में यथापरिभाषित "कुटुम्ब" के अन्तर्गत आती है, तहसील स्तर समिति द्वारा या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा कोई प्रतिकूल राय बनाने से पूर्व कुटुम्ब रजिस्टर से सरलतापूर्वक किया जा सकता था । तथापि, तहसील स्तर समिति ने मनमाने रूप से कार्य किया और यह उपदर्शित करने के लिए अभिलेख पर किसी प्रतिकूल सामग्री के बिना संकल्प को अननुमोदित करने की कार्यवाही की, कि ग्राम प्रधान और याची साथ-साथ रहते हैं और उनकी एक सामान्य रसोई है । उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए तहसील स्तर समिति के तारीख 9 दिसम्बर, 2016 का आक्षेपित आदेश और प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा तारीख 14 दिसम्बर, 2016 का पारिणामिक आदेश कायम नहीं रखा जा सकता और एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है । तहसील स्तर समिति को यह निदेश दिया जाता है कि वह मामले पर पुनर्विचार करे और विधि के अनुसार समुचित विनिश्चय करे और ऊपर की गई मताभिव्यक्तियों को दृष्टिगत करते हुए ऐसा विनिश्चय शीघ्रातिशीघ्र अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश किए जाने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर किया जाएगा । (पैरा 7, 11, 12 और 13)

अनुसरित निर्णय

पैरा

[2016] 2016 की रिट सिविल सं. 44164, तारीख 30 सितम्बर, 2016 को विनिश्चित :
राजेन्द्र पाल बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ;** 10

[2012] 2012 (11) ए. डी. जे. 717 :
श्रीमती गेंदा देवी बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ।** 9

सिविल (रिट) अधिकारिता : 2017 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 1971.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री रघुवंश मिश्रा

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय, मुख्य स्थायी काउंसेल

न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी – याची के विद्वान् काउंसेल श्री रघुवंश मिश्रा, प्रत्यर्थी सं. 1 से 5 की ओर से विद्वान् मुख्य स्थायी काउंसेल और प्रत्यर्थी सं. 6 के विद्वान् काउंसेल को सुना गया ।

2. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की सहमति से यह रिट याचिका प्रति-शपथपत्र फाइल करने के लिए समय दिए बिना अंतिम रूप से सुनी जा रही है ।

तथ्य

3. वर्तमान मामले में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत बिलसारी, खंड (ब्लाक) नवानगर, तहसील सिकन्दरपुर, जिला बलिया द्वारा तारीख 27 जुलाई, 2016 को एक राय से खुली बैठक में संकल्प (प्रस्ताव) पारित किया गया था जिसके द्वारा उचित दर दुकान अभिकर्ता के लिए याची के नाम का प्रस्ताव किया गया था । उपर्युक्त संकल्प तारीख 9 दिसम्बर, 2016 को तहसील स्तर की समिति के समक्ष रखा गया था जिसने श्री मुरली और वीरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बिलसारी की शिकायतों के आधार पर संकल्प का अनुमोदन नहीं किया । ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत इन तीन बिन्दुओं पर की गई थी कि संकल्प ग्राम में सम्यक्

प्रचार किए बिना किया गया था । बैठक में कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था और ग्राम प्रधान ने अपने भाई की पत्नी के नाम को प्रस्तावित किया था । ऐसा प्रतीत होता है कि खंड विकास अधिकारी, नवानगर द्वारा इस संबंध में जांच की गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट तारीख 6 सितम्बर, 2016 को पत्र द्वारा पेश की थी । जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि सम्यक् प्रचार किया गया था । यह राय गठित करने के लिए कि ग्रामवासियों ने बैठक में भाग लिया था, जांच रिपोर्ट के साथ बैठक के फोटोचित्र उपाबद्ध किए गए थे । बैठक की विडियोग्राफी भी की गई थी । जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि ग्राम प्रधान का भाई पृथक् रहता था ।

4. अभिलेख पर जांच रिपोर्ट होने के बावजूद और अभिलेख पर किसी प्रतिकूल सामग्री के बिना तहसील स्तर समिति ने यह राय व्यक्त की कि ग्राम प्रधान यह साबित नहीं कर सकी कि उसका भाई पृथक् रहता है और उसकी पृथक् रसोई है और इसलिए समिति ने तारीख 9 दिसम्बर, 2016 के आदेश द्वारा संकल्प (प्रस्ताव) का अनुमोदन नहीं किया और खंड विकास अधिकारी को यह निदेश दिया कि वह ग्राम सभा की एक खुली बैठक बुलाए । प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा तारीख 14 दिसम्बर, 2016 को एक पारिणामिक आदेश पारित किया गया था जिसके द्वारा खंड विकास अधिकारी को बैठक बुलाने के लिए कहा गया था । याची ने तहसील स्तर समिति के तारीख 9 दिसम्बर, 2016 के विनिश्चय और तारीख 14 दिसम्बर, 2016 के पारिणामिक आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका फाइल की है ।

दलीलें

5. याची के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि आक्षेपित आदेश पूर्णतया मनमाने और अवैध हैं और इस अभिकथन के समर्थन में अभिलेख पर किसी साक्ष्य के बिना पारित किए गए हैं कि याची ग्राम प्रधान के साथ रहती है और उनकी एक ही सामान्य रसोई है । उन्होंने यह दलील दी कि उपर्युक्त दोनों आदेश पारित करते समय सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया ।

6. विद्वान् स्थायी काउंसेल ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन करते हुए यह दलील दी कि याची यह साबित नहीं कर सकी है कि वह पृथक् रह रही है । तथापि, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा या

जांच रिपोर्ट में अथवा आक्षेपित आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर यह उपदर्शित करने वाला कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि याची ग्राम प्रधान के साथ रह रही है और उसकी एक ही सामान्य रसोई है ।

चर्चा और निष्कर्ष

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की दलीलों पर गहनतापूर्वक विचार किया ।

8. ऊपर उल्लिखित तथ्य स्पष्टतया यह उपदर्शित करते हैं कि जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अभिकथन सही नहीं पाए गए हैं । तहसील स्तर समिति के समक्ष याची के प्रतिकूल ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो ग्राम सभा के संकल्प का अननुमोदन करने के लिए कोई विधिमान्य आधार गठित कर सके । प्रत्यर्थी सं. 3 ने प्रश्नगत ग्राम पंचायत के कुटुम्ब रजिस्टर की सहायता से याची के पृथक् रहने के तथ्य और पृथक् रसोई के तथ्य का सत्यापन करने का भी प्रयास नहीं किया । उपाबंध सं. 5 के रूप में फाइल किए गए कुटुम्ब रजिस्टर की प्रति से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि याची के कुटुम्ब में पांच सदस्य हैं जिनमें ग्राम प्रधान अर्थात् श्रीमती अकाली देवी सम्मिलित नहीं है । तहसील स्तर समिति या प्रत्यर्थी सं. 3 के समक्ष किसी भी प्रकार की ऐसी कोई सुसंगत सामग्री नहीं थी कि याची ग्राम प्रधान के साथ रह रही है और उनकी एक सामान्य रसोई है और इसलिए वह सुसंगत शासकीय आदेश में यथापरिभाषित "कुटुम्ब" पद के भीतर आती है । इस संबंध में जांच रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्ष को प्राधिकारियों द्वारा किसी विधिमान्य आधार पर नकारा भी नहीं गया है । आक्षेपित आदेश पारित करते समय याची को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है ।

9. इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ ने **श्रीमती गेंदा देवी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में ग्राम सभा के संकल्प (प्रस्ताव) को खारिज करते समय प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के प्रश्न पर विचार करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> "यह सही है कि समिति को शिकायत ग्रहण करने और उसका संज्ञान लेने का प्राधिकार है तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि

---

[1] 2012 (11) ए. डी. जे. 717.

समिति शिकायत की सत्यता की परीक्षा किए बिना केवल शिकायत के आधार पर कार्यवाही करे । समिति को ऐसी मनमानी रीति में कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा अनुज्ञात किया जाता है तो प्रत्येक मामले में अंतिम क्षणों में शिकायत फाइल की जा सकती है और शिकायत की जांच किए बिना इसे सही माना जा सकता है और प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना ग्राम सभा के प्रत्येक संकल्प को अपास्त किया जा सकता है ।

मामले को इस दृष्टि से देखते हुए हमारा यह मत है कि तहसील स्तर समिति का विनिश्चय जहां तक यह याची के मामले से संबंधित है, अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

तद्नुसार, यह रिट याचिका मंजूर की जाती है । तहसील स्तर समिति का तारीख 17 जुलाई, 2012 का विनिश्चय, जहां तक यह याची से संबंधित है, अभिखंडित किया जाता है । तहसील स्तर समिति तारीख 17 जुलाई, 2012 को की गई शिकायत की अन्तर्वस्तु का सत्यापन करने के पश्चात् और यदि आवश्यक हो तो याची को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विधि के अनुसार नए सिरे से विनिश्चय करेगा । ऐसा विनिश्चय यथासंभव शीघ्र अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रत्यर्थी सं. 2 के समक्ष फाइल करने की तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा ।"

10. इस न्यायालय ने **राजेन्द्र पाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा गांव सभा के संकल्प के रद्दकरण पर विचार किया था और न्यायालय ने तारीख 3 जुलाई, 1990 के शासकीय आदेश के पैरा 4.4, 4.12 और 5 तथा तारीख 17 अगस्त, 2012 के शासकीय आदेश के पैरा 5 का निर्देश करने के पश्चात् इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"मैंने आक्षेपित आदेश का गहनतापूर्वक परिशीलन किया । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उपखंड अधिकारी/समिति ने जिसका वह अध्यक्ष है, प्रत्यर्थी सं. 5 की शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् शिकायत की सत्यता के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया और मात्र

---

[1] 2016 की रिट सिविल सं. 44164 तारीख 30 सितम्बर, 2016 को विनिश्चित ।

शिकायत के गुण-दोष की परीक्षा के पश्चात् जांच कराने के लिए निदेश दिया ।

यदि बहस के लिए यह उपधारित भी कर लिया जाए कि ऐसा किया गया था तो भी उस दशा में भी चूंकि मामला प्रति-शपथपत्र के अभाव में विनिश्चित किया गया है और जब एक बार उपखंड अधिकारी द्वारा खंड विकास अधिकारी को संकल्प पारित कराने के लिए मामला सौंप दिया गया था और खंड विकास अधिकारी ने संकल्प (प्रस्ताव) पारित कराने के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी थी और चूंकि संकल्प पर्यवेक्षक तथा संबंधित ग्राम के प्रधान की अनुपस्थिति में पारित किया गया था और उसे खंड विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा गया था या सिफारिश की गई थी तो इसका यह अर्थ है कि खंड विकास अधिकारी ने अपने विवेक का प्रयोग किया था और संकल्प की सत्यता की परीक्षा की थी क्योंकि खंड विकास अधिकारी का यह कार्य नहीं है कि वह एक डाक कार्यालय के समान कार्य करे और उस संकल्प (प्रस्ताव) को स्थानांतरित करे जो गांव सभा द्वारा उचित दर की दुकान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए भेजा गया था और जब एक बार खंड विकास अधिकारी ने अपने विवेक का प्रयोग कर लिया था और संकल्प को अनुमोदन के लिए भेज दिया था तो उस दशा में यदि खंड विकास अधिकारी/समिति जिसका वह अध्यक्ष है, जांच कराने का विनिश्चय करता है या करती है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा संकल्प रद्द करने से पूर्व ग्राम प्रधान और पर्यवेक्षक के कथन पर विचार करना चाहिए था और खंड विकास अधिकारी को बुलाना चाहिए था ।

मेरे समक्ष वाले मामले में आक्षेपित आदेश के परिशीलन मात्र से यह उपदर्शित होता है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया और नायब-तहसीलदार द्वारा जो एकपक्षीय जांच की गई थी उसके आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया था । इस न्यायालय ने वीरेन्द्र **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2013 (7) ए. डी. जे. 262] वाले मामले में ऐसे ही एक मामले पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यदि उपखंड अधिकारी संकल्प प्राप्त होने पर संकल्प को अननुमोदित करता है तो उस दशा में उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा जिसके हक में संकल्प रखा गया है और ग्राम प्रधान को भी सुना जाएगा । मेरे इस मत का इस न्यायालय की खंड

न्यायपीठ द्वारा गेंदा देवी **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2012 (11) ए. डी. जे. 717] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय से समर्थन मिलता है । यह याची का एक ऐसा विशिष्ट मामला है जहां याची को कभी भी न तो नायब तहसीलदार द्वारा जांच के दौरान सुना गया और न ही आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व सुना गया और इसलिए आक्षेपित आदेश दूषित है और मेरी सुविचारित राय में इसे विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखा जा सकता ।

परिणामतः, रिट याचिका सफल होती है और मंजूर की जाती है । उपखंड अधिकारी, बहेड़ी, जिला बरेली द्वारा पारित तारीख 3 सितम्बर, 2016 का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है । तारीख 17 अगस्त, 2002 के सरकारी आदेश के पैरा 5 के अधीन गठित उपखंड अधिकारी/समिति को यह निदेश दिया जाता है कि वह प्रत्यर्थी सं. 5 की शिकायत पर विचार करने के पश्चात् और ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त मत को ध्यान में रखकर शीघ्रातिशीघ्र तथापि, इस न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर नए सिरे से आदेश पारित करें ।"

11. मामले के तथ्य और विधिक स्थिति में जैसा कि ऊपर संक्षेप में उल्लेख किया गया है, इस बाबत कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यदि ग्राम सभा का संकल्प प्राप्त होने के पश्चात् उपखंड मजिस्ट्रेट या तहसील स्तर समिति संकल्प का अननुमोदन करने का विनिश्चय करती है तो इस दशा में, उन प्रभावित व्यक्तियों को जिनके हक में ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान ने संकल्प पारित किया है, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा । यदि जांच की जाती है तो ग्राम प्रधान, पर्यवेक्षक और खंड विकास अधिकारी का जवाब मांगा जाएगा और प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के संकल्प को अननुमोदित करने से पूर्व उस पर विचार किया जाएगा ।

12. वर्तमान मामले के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच कराई गई थी और उसने यह राय व्यक्त की कि सम्यक् प्रचार के पश्चात् ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाई गई थी जिसमें ग्रामवासियों ने और याची ने जो ग्राम प्रधान से पृथक् रह रही थी, भाग लिया था । खंड विकास अधिकारी ने रिपोर्ट के साथ बैठक का प्रचार करने का सबूत तथा बैठक के फोटोचित्र भी उपाबद्ध किए । उसने रिपोर्ट

में यह भी उल्लेख किया कि फोटोग्राफी कराई गई थी और उसकी सी. डी. उपलब्ध है जो आवश्यकता पड़ने पर पेश की जा सकती है । इस प्रश्न का कि क्या याची ग्राम प्रधान के साथ रहती है और क्या उनकी एक सामान्य रसोई है और इस प्रकार क्या याची सुसंगत सरकारी आदेश में यथापरिभाषित "कुटुम्ब" के अन्तर्गत आती है, तहसील स्तर समिति द्वारा या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा कोई प्रतिकूल राय बनाने से पूर्व कुटुम्ब रजिस्टर से सरलतापूर्वक सत्यापन किया जा सकता था । तथापि, तहसील स्तर समिति ने मनमाने रूप से कार्य किया और यह उपदर्शित करने के लिए अभिलेख पर किसी प्रतिकूल सामग्री के बिना संकल्प को अननुमोदित करने की कार्यवाही की, कि ग्राम प्रधान और याची साथ-साथ रहते हैं और उनकी एक सामान्य रसोई है ।

13. उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए तहसील स्तर समिति के तारीख 9 दिसम्बर, 2016 का आक्षेपित आदेश और प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा तारीख 14 दिसम्बर, 2016 का पारिणामिक आदेश कायम नहीं रखा जा सकता और एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है । तहसील स्तर समिति को यह निदेश दिया जाता है कि वह मामले पर पुनर्विचार करे और विधि के अनुसार समुचित विनिश्चय करे और ऊपर की गई मताभिव्यक्तियों को दृष्टिगत करते हुए ऐसा विनिश्चय शीघ्रातिशीघ्र अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश किए जाने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर किया जाएगा ।

14. रिट याचिका ऊपर उल्लिखित सीमा तक मंजूर की जाती है ।

रिट याचिका मंजूर की गई ।

मह.

गुंजन (श्रीमती)

बनाम

प्रवीन सुरेन्द्र पाल सिंह

तारीख 8 फरवरी, 2017

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति शशि कान्त

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) – धारा 13 और 28(4) और कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) – धारा 19(1) – विवाह-विच्छेद डिक्री – अपील के लिए 90 दिन की परिसीमा अवधि और कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन विहित 30 दिन की परिसीमा अवधि – अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अधीन अपील फाइल करने संबंधी उपबंध प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं – प्रक्रियात्मक विधि सदैव मूल विधि के हित में होती है – मूल अधिनियम के अधीन विहित अवधि प्रक्रियात्मक विधि के अधीन विहित परिसीमा अवधि के ऊपर अभिभावी मानी जाएगी – अत: उक्त अधिनियम के अधीन अपील के लिए परिसीमा अवधि 90 दिन मानी जाएगी ।

यह अपील अपीलार्थी/पत्नी द्वारा कुटुंब न्यायालय के तारीख 4 अक्तूबर, 2016 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/पति का वाद हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद के लिए डिक्री किया गया है । यह रिपोर्ट दी गई है कि अपील 32 दिन विलंब से फाइल की गई है । उपर्युक्त रिपोर्ट कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(3) को दृष्टिगत करते हुए अपील फाइल करने में 30 दिन की परिसीमा को दृष्टिगत करते हुए दी गई है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – कुटुंब न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1955 के अधीन पारित विवाह-विच्छेद की डिक्री या अन्य कोई डिक्री अधिनियम, 1984 की धारा 19 के साथ पठित अधिनियम, 1955 की धारा 28 के अधीन अपीलनीय है । अधिनियम, 1984 की धारा 19 में उल्लिखित अपील फाइल करने के संबंध में उपबंध प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं । विधि में यह सुस्थापित है कि प्रक्रियात्मक विधि सदैव मूल विधि के हित के लिए होती हैं । अधिनियम,

1955 के उपबंध मूल प्रकृति के हैं जबकि अधिनियम, 1984 के अधीन अपील के लिए उपबंधित उपबंध प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं । अतः परिसीमा की अवधि जैसा कि अपील फाइल करने के लिए मूल विधि के अधीन उपबंधित हैं, प्रक्रियात्मक विधि में विहित परिसीमा के ऊपर अभिभावी होगी । पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय को दृष्टिगत करते हुए अधिनियम, 1955 के अधीन पारित विवाह-विच्छेद की डिक्री या अन्य किसी डिक्री के विरुद्ध अपील फाइल करने की परिसीमा 90 दिन है न कि अधिनियम, 1984 की धारा 19(3) के अनुसार 30 दिन । तद्नुसार न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि अपील 90 दिन की परिसीमा अवधि के भीतर होने के कारण समय के भीतर फाइल की गई है । अतः अपील फाइल करने में विलंब की माफी के लिए आवेदन या विलंब माफी की कोई आवश्यकता नहीं है । 2016 के विलंब माफी आवेदन सं. 376412 का निपटान किया जाता है । (पैरा 5, 6 और 8)

अनुसरित निर्णय

		पैरा
[2017]	ए. आई. आर. 2017 मुम्बई 1 (पूर्ण न्यायपीठ) : **शिवराम दोदन्ना शेट्टी** बनाम **साऊ शर्मिला शिवराम शेट्टी** ।	7

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2016 की प्रथम अपील सं. 374.

कुटुंब न्यायालय के तारीख 4 नवंबर, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री नसीरूद्दीन और जियाउद्दीन

प्रत्यर्थी की ओर से –

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने दिया ।

न्या. मित्तल – यह अपील अपीलार्थी/पत्नी द्वारा कुटुंब न्यायालय के तारीख 4 अक्तूबर, 2016 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/पति का वाद हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे आगे संक्षेप में "अधिनियम 1955" कहा गया है) की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद के लिए डिक्री किया गया है । यह रिपोर्ट दी गई है कि अपील 32 दिन विलंब से फाइल की गई है । उपर्युक्त

रिपोर्ट कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (जिसे आगे संक्षेप में "अधिनियम, 1984" कहा गया है) की धारा 19(3) को दृष्टिगत करते हुए अपील फाइल करने में 30 दिन की परिसीमा को दृष्टिगत करते हुए दी गई है ।

2. विलंब माफी आवेदन पर प्रत्यर्थी/पति को पावती के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सूचना जारी की गई थी । तारीख 7 फरवरी, 2017 की कार्यालय रिपोर्ट को दृष्टिगत करते हुए प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील पर्याप्त मानी गई है किंतु उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है । अतः हम विलंब माफी के आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर रहे हैं ।

3. अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन पारित विवाह-विच्छेद की डिक्री उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन अपीलनीय है और ऐसी अपील के अधीन परिसीमा 90 दिन है, जैसाकि उपधारा (4) के अधीन उपबंध किया गया है ।

4. इसके पश्चात् अधिनियम, 1984 के प्रवर्तन के साथ कुटुंब न्यायालय के आदेशों को अपील के जरिए आक्षेपित किया गया है जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन उपबंधित है जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन 30 दिन की परिसीमा दी गई है । अत: इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि अपील के लिए परिसीमा 90 दिन है ।

5. कुटुंब न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1955 के अधीन पारित विवाह-विच्छेद की डिक्री या अन्य कोई डिक्री अधिनियम, 1984 की धारा 19 के साथ पठित अधिनियम, 1955 की धारा 28 के अधीन अपीलनीय है । अधिनियम, 1984 की धारा 19 में उल्लिखित अपील फाइल करने के संबंध में उपबंध प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं ।

6. विधि में यह सुस्थापित प्रक्रिया विधि सदैव मूल विधि के हित के लिए होती हैं । अधिनियम, 1955 के उपबंध मूल प्रकृति के हैं जबकि अधिनियम, 1984 के अधीन अपील के लिए उपबंधित उपबंध प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं । अतः परिसीमा की अवधि जैसा कि अपील फाइल करने के लिए मूल विधि के अधीन उपबंधित हैं, प्रक्रियात्मक विधि में विहित परिसीमा के ऊपर अभिभावी होगी ।

7. मुंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने 2013 की कुटुंब

न्यायालय अपील सं. 161 **शिवराम दोदन्ना शेट्टी** बनाम **साऊ शर्मिला शिवराम शेट्टी**[1] तारीख 1 दिसंबर, 2016 को विनिश्चित वाले ऐसे ही एक मामले में अपील फाइल करने के संबंध में परिसीमा के संविवाद पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अधीन फाइल अपीलों में अधिनियम, 1955 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन विहित परिसीमा अवधि लागू होगी । दूसरे शब्दों में, यह कहा गया है कि अधिनियम, 1955 की धारा 28(4) के अधीन उपबंधित अवधि अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अधीन अपीलें फाइल करने को लागू होंगी ।

8. उपर्युक्त पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय को दृष्टिगत करते हुए अधिनियम, 1955 के अधीन पारित विवाह-विच्छेद की डिक्री या अन्य किसी डिक्री के विरुद्ध अपील फाइल करने की परिसीमा 90 दिन है न कि अधिनियम, 1984 की धारा 19(3) के अनुसार 30 दिन । तद्नुसार हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपील 90 दिन की परिसीमा अवधि के भीतर होने के कारण समय के भीतर फाइल की गई है । अतः अपील फाइल करने में विलंब की माफी के लिए आवेदन या विलंब माफी की कोई आवश्यकता नहीं है । 2016 के विलंब माफी आवेदन सं. 376412 का निपटान किया जाता है ।

9. चूंकि अपील समय के भीतर है और चूंकि इसके प्रस्तुत करने में अन्य कोई कमी नहीं बताई गई है इसलिए हम अपील सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हैं । कार्यालय अपील को नियमित संख्या पर रजिस्ट्रीकृत करे ।

10. अपील के ज्ञापन के साथ प्रत्यर्थी को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत/स्पीड पोस्ट के जरिए सूचना जारी की जाए ।

11. इस आदेश की एक प्रति स्टाम्प रिपोर्टर को जारी की जाए, जिससे कि वह तद्नुसार कुटुंब न्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री के विरुद्ध अपील फाइल करने की परिसीमा के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा ।

अपील मंजूर की गई ।

मह.

---

[1] ए. आई. आर. 2017 मुंबई 1 (पूर्ण न्यायपीठ).

संकल्प इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, गाजियाबाद

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

तथा

फैज़-ए-आज़म मार्डन डिग्री कालेज और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

तारीख 10 मार्च, 2017

न्यायमूर्ति वी. के. शुक्ला और न्यायमूर्ति अशोक कुमार

संविधान, **1950** – अनुच्छेद **30(1)** और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, **1973 (1973** का **10)** – धारा **28(5)(ख)** – महाविद्यालयों में प्रवेश – शिक्षा स्नातक (बी. एड.) पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा – प्राधिकारी द्वारा संचालित एन. सी. ई. टी. की अनदेखी करके अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था द्वारा स्वयं अपनी परीक्षा आयोजित करके छात्रों को कोटा से अधिक प्रवेश दिया जाना – विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के प्रवेश को मान्यता देने से इनकार – ऐसा इनकार अनुच्छेद **30(1)** के अधीन अल्पसंख्यक संस्था के अधिकार के अतिक्रमण में नहीं कहा जा सकता ।

संविधान, **1950** – अनुच्छेद **30(1)** और **14** तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, **1973** – धारा **28** [सपठित उत्तर प्रदेश प्राइवेट वृत्तिक शिक्षण संस्थाएं (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, **2006** की धारा **2**] – अल्पसंख्यक संस्थाएं – अधिनियम **2006** की परिधि से बाहर होने की दलील – विधिमान्यता – प्रवेश की प्रक्रिया विहित करने वाले और विश्वविद्यालयों को राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित करने हेतु अनुज्ञात करने वाले राज्य आदेश सुसंगत शिक्षण वर्षों के दौरान होने वाली परीक्षाओं को लागू होते हैं – ऐसे इंतजाम किसी भी प्रकार से एन. सी. टी. ई. द्वारा विरचित या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, **1973** की धारा **28** के अधीन विरचित विनियमों के विरोध में नहीं है – अल्पसंख्यक संस्थाएं उन विनियामक उपायों का

अनुपालन करेंगी जो पारदर्शिता और ऋजुता बनाए रखने के लिए लागू किए गए हैं – इस बात के लिए कोई अवसर या न्यायोचित्य नहीं है कि उपबंधों को मनमाना या अयुक्तियुक्त मानकर अल्पसंख्यक संस्थाओं को इसके क्षेत्र और अधिनियम, 2006 की परिधि से बाहर रखा जाए और तद्नुसार अधिकारातीत माना जाए ।

संकल्प शिक्षा संस्था एक अल्पसंख्यक संस्था है जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध है । उक्त संस्था अध्यापक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कराने में अन्तर्वलित है जो अध्यापक शिक्षा (एन. सी. टी. ई.) के लिए राष्ट्रीय कौंसिल द्वारा मान्यताप्राप्त और अनुमोदित स्नातक पाठ्यक्रम है जिसमें संस्था स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए एक सौ छात्रों को प्रवेश दे सकती है । यह संस्था एक स्व-वित्त पोषित संस्था है । इस न्यायालय के समक्ष संकल्प शिक्षा संस्था से संबंधित विवाद यह है कि राज्य सरकार की नीति (पालिसी) के अनुसार 2014-15 के लिए स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी को नियुक्त किया गया था और उक्त केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसेलिंग) में याची की संस्था के लिए कुल 21 छात्रों के चयन का प्रस्ताव करते हुए सिफारिश की गई थी । याची संस्था ने यह पक्षकथन किया है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं ने जो स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाती हैं और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध हैं, एक सोसायटी का गठन और स्थापना की है और इसलिए उक्त सोसायटी स्वयं द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर संबंधित अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए छात्रों का चयन करने के लिए प्रक्रिया उपबंधित करती है और यह चयन दो परीक्षाओं पर आधारित होता है जिनमें 79 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जिनमें से 50 छात्र अल्पसंख्यक कोटे से लिए जाते हैं और शेष 29 छात्र गुणता कोटा के आधार पर लिए जाते हैं । चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने अल्पसंख्यक संस्था द्वारा प्रवेश दिए गए उपर्युक्त 29 छात्रों के प्रवेश को इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार किया कि याची-संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने के नाते गुणता कोटे के अधीन 29 छात्रों को प्रवेश देने के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं थी क्योंकि कोटा 50 प्रतिशत तक निर्बंधित था और इस बात को दृष्टिगत करते हुए उक्त संस्था की अभ्यर्थितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस स्थिति को दृष्टिगत करते हुए प्रश्नगत संस्था ने इस न्यायालय के समक्ष समावेदन किया । विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका खारिज किए

जाने से व्यथित होकर वर्तमान विशेष अपीलें फाइल की गईं । अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्था अर्थात् दोनों के लिए प्रबंधमंडल कोटा विनिर्दिष्ट करते हुए तारीख 9 मई, 2004 को शासकीय आदेश जारी किया । अल्पसंख्यक संस्था के निर्देश में विशिष्टतः अल्पसंख्यक संस्थाएं स्वयं अपने स्तर पर अपने 50 प्रतिशत स्थान भरने के लिए स्वतंत्र हैं और शेष 50 प्रतिशत स्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर भरे जाने के लिए अपेक्षित हैं । आवेदकों ने यह पक्षकथन किया है कि उक्त कोटा पश्चात्वर्ती शिक्षण सत्र में भी दोहराया गया है । न्यायालय ने गैर-सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं की प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न सं. 2 का उत्तर देते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जहां तक अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त संस्थाओं का संबंध है, चूंकि छात्रों के प्रवेश के लिए किसी संस्था को स्थापित करने और उसका व्यवस्थापन करने का अधिकार एक आवश्यक संघटक है इसलिए राज्य पूर्व-स्नातक शिक्षा के स्तर तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसलिए अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाएं स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकती हैं तथापि, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा तथा तकनीकी और वृत्तिक शिक्षण संस्था को भिन्न रूप से देखा जाना चाहिए । ऐसी शिक्षा किसी संस्था द्वारा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि वह विधि द्वारा सृजित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त या सहबद्ध न हो । शिक्षा में उत्कृष्टता और इस स्तर पर उच्चतर मानक को कायम करना आवश्यक है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य राष्ट्रीय हित में कार्रवाई कर सकता है और करना भी चाहिए । इस स्तर पर किसी व्यक्ति द्वारा धारित शिक्षा, ज्ञान और अध्ययन सामूहिक रूप से राष्ट्रीय हित गठित करता है । अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं द्वारा चाहे वह सहायताप्राप्त हों या गैर-सहायताप्राप्त, राज्य स्तर पर प्रवेश दिए जाएंगे । प्रवेश पारदर्शिता और गुण-दोष के आधार पर किए जाने चाहिए । ऐसा अभिकर्ता जो एन. सी. ई. टी. संचालित करता है, एक ऐसा अभिकर्ता होना चाहिए जो पूर्ण विश्वसनीयता के साथ कार्य करता हो और मामले में विशेषज्ञता रखता हो । ऐसा अभिकर्ता पारदर्शिता और गुण-दोष के दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेहतर साबित होगा । ऐसी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के साथ-साथ केन्द्रीयकृत परामर्श आयोजित करना या दूसरे शब्दों में प्रवेश विनियमित करने वाली एकल विन्डो प्रणाली का अनुसरण करना अल्पसंख्यक गैर-

सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं को अपनी पसन्द के छात्रों को प्रवेश देने के लिए निवारित नहीं करती । ऐसी पसन्द का प्रयोग इस प्रकार पसन्द किए गए छात्रों के मुकाबले गुण-दोष के क्रम को परिवर्तित किए बिना एन. सी. ई. टी. द्वारा तैयार की गई सफल छात्रों की सूची का प्रयोग करके किया जा सकता है । (पैरा 24, 29, 31 और 32)

शिक्षण वर्ष 2007-08 से राज्य स्तर परीक्षा एकल विन्डो प्रणाली के रूप में उपबंधित की गई है । प्रवेश की प्रक्रिया विहित करने वाले और विश्वविद्यालयों को राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित करने हेतु अनुज्ञात करने वाले राज्य आदेश सुसंगत शिक्षण वर्षों के दौरान होने वाली परीक्षाओं को लागू होते हैं । ऐसे इंतजाम किसी भी प्रकार से एन. सी. टी. ई. द्वारा विरचित या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अधीन विरचित विनियमों के विरोध में नहीं हैं । राज्य ने तारीख 10 जून, 2015 को अधिसूचित दसवें संशोधन द्वारा 1987 के विनियम को संशोधित किया जिसे सत्र 2015 और उसके पश्चात् में लागू किया गया । यह विनियम सी. ई. टी. पर आधारित राज्य की सभी संस्थाओं में प्रवेश के लिए एकल विन्डो तथा परामर्श के सिद्धान्त के बारे में उपबंध करता है । उपबंधों के मानक जो ऊपर उद्धृत किए गए हैं और न्यायिक नजीरें जो ऊपर उल्लिखित की गई हैं, और जो मामले के तथ्यों से संबंधित हैं यह उपदर्शित करती हैं कि वर्तमान मामले में, इस बारे में विवाद नहीं किया जा सकता कि याची-संस्था इस तथ्य से भली-भांति परिचित थी कि प्रश्नगत 50 प्रतिशत स्थान उन अभ्यर्थियों में से भरे जाएंगे जो शिक्षा स्नातक कार्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठे हों और 50 प्रतिशत स्थान अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे । विवाद्यक यह है कि जहां 50 प्रतिशत छात्रों को राज्य या इसके सहायक अभिकर्ताओं द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिए जाने की अपेक्षा है और जहां अपेक्षित छात्रों की संख्या के नाम नहीं भेजे जाते हैं क्या वहां अल्पसंख्यक संस्था इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वह उक्त स्थानों को अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा की गुणता-सूची के आधार पर भरे । जब एक बार स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा 50 प्रतिशत प्रवेश की नीति के बारे में कोई विचलन नहीं है और 50 प्रतिशत प्रवेश संस्थाओं के समूह द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर बनाई गई योग्यता सूची से लिए जाएंगे, तब तारीख 14 फरवरी, 1999 को शासकीय आदेश

इस कारण से याची-संस्था का किसी भी प्रकार से बचाव या उसे मुक्त नहीं करता कि उक्त शासकीय आदेश तारीख 9 मई, 2014 के शासकीय आदेश को जारी करने से पूर्व जारी किया गया था क्योंकि तारीख 9 मई, 2014 के शासकीय आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उपबंधित प्रतिशत का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा और स्वयं याची के अनुसार उक्त नीति का वर्तमान तारीख तक समान रूप से अनुसरण किया जा रहा है । इस प्रश्न पर न्यायालय एक दूसरे तथ्य की अवेक्षा करता है कि जहां तक अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह का संबंध है, उन्हें स्वयं अपनी परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राधिकार दिया गया है । जब एक बार प्रश्नगत अल्पसंख्यक संस्था ने परीक्षा आयोजित करने के लिए किसी संगम का गठन कर लिया हो तो ऊपर उल्लिखित उपबंधों और समय-समय पर दी गई नजीरों के अनुसार इसे अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह को स्थानीय स्तर पर कभी भी प्राधिकृत नहीं किया गया अर्थात् उनकी सहबद्धता चयन प्रक्रिया ग्रहण करने पर आधारित है । दोनों ही मामलों में प्रश्नगत चयन अर्थात् राज्य सरकार द्वारा अपने अभिकर्ता के जरिए आयोजित परीक्षा में संयुक्त प्रवेश परीक्षा राज्य स्तर पर ली जाएगी तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह द्वारा ली जाने वाली परीक्षा आवश्यक रूप से ऐसी परीक्षा है जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है और इसे दृष्टिगत करते हुए न्यायालय सी. सी. एस. विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध अल्पसंख्यक संस्थाओं की प्रक्रिया और रीति पर किसी भी प्रकार से टिप्पण नहीं कर रहा है । भविष्य में, अल्पसंख्यक संस्थाएं भी देश की विधि का पालन करेंगी अर्थात् यदि वे अपने लिए विहित 50 प्रतिशत स्थानों को भरेंगे और तत्पश्चात् राज्य स्तर पर सभी महाविद्यालयों की प्रश्नगत सोसायटी/संगम छात्रों के चयन के लिए प्रचलित प्रक्रिया अपनाएंगे तथापि, ऐसी प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर होगी न कि निश्चित रूप से पी. ए. इनामदार वाले मामले में यथाउल्लिखित उपबंधों के अनुसार । सभी संस्थाओं द्वारा राज्य स्तर पर ऐसी परीक्षा पर बल छात्र समुदाय के बृहत्तर हित को दृष्टिगत करते हुए और गुणता को बढ़ाने के लिए, उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए और प्रवेश विनियमित करने हेतु गलत तरीका बन्द करने के लिए दिया गया है और इसलिए केन्द्रीयकृत और एकल विन्डो प्रक्रिया उपबंधित की गई है । वर्तमान मामले में, न्यायालय इस उपधारणा पर चल रहा है कि "अधिनियम, 2006" के उपबंध अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू

नहीं होते हैं तथापि, इसका स्वतः यह अर्थ नहीं हो सकता कि ऐसी विधि जो अधिनियम या अन्य विधि के प्रवर्तन से पूर्व लागू होती है और जो उसके पश्चात् जारी की गई है, अल्पसंख्यक संस्थाओं को लागू नहीं होती है । अल्पसंख्यक संस्थाएं उन विनियामक उपायों का अनुपालन करेंगी जो पारदर्शिता और ऋजुता बनाए रखने के लिए लागू किए गए हैं और इसे दृष्टिगत करते हुए हमारे सुविचारित मतानुसार इस बात के लिए कोई अवसर या न्यायोचित्य नहीं है कि उपबंधों को मनमाना या अयुक्तियुक्त मानकर अल्पसंख्यक संस्थाओं को इसके क्षेत्र और "अधिनियम, 2006" की परिधि से बाहर रखा जाए और तद्नुसार अधिकारातीत माना जाए जबकि इसका प्रभाव इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए उपदर्शित होना आवश्यक था कि "अधिनियम, 2006" के उपबंध लागू नहीं होंगे अपितु अन्य विनियामक उपाय जो इस संबंध में सतत रूप से लागू हैं, विश्वविद्यालय से संबद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में भी अल्पसंख्यक संस्था के कार्यों पर सतत रूप से लागू होंगे । ये उपबंध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन यथा उल्लिखित उपबंधों के अनुसार हैं और अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कौंसिल द्वारा मान्यताप्राप्त और अनुमोदित हैं । उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1933 के लिए उपबंधित विनियामक उपाय तथा एन. सी. टी. ई. अधिनियम, 1973 के अधीन उपबंधित उपाय विश्वविद्यालय की सहबद्धता के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अल्पसंख्यक संस्था पर लागू होंगे तथा मान्यता और अनुमोदन के निबंधनों और शर्तों के अनुसार भी संस्थाएं इन्हें लागू करने के लिए आबद्ध हैं । "अधिनियम, 2006" के उपबंध किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में लागू अन्य सभी विद्यमान विधि के प्रतिस्थापन में नहीं हैं । याची-संस्था ने सही दिशा में बात को समझा है और तद्नुसार 21 छात्रों को प्रवेश देकर सही कार्य किया है जैसा कि केन्द्रीय परामर्श और याचियों की संस्था द्वारा सिफारिश की गई है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मात्र इस कारण कि अधिनियम, 2006 अल्पसंख्यक संस्था को छूट देने के लिए उपबंध करता है इसलिए वे विधि के किसी नियम से विनियमित नहीं होते हैं । सही स्थिति यह है कि जहां कहीं विधि 2006 के अधिनियम को प्रवर्तन से पूर्व लागू होती है और अधिनियम, 2006 के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है वहां वह इस बारे में कोई विभेद किए बिना कि क्या प्रश्नगत संस्था एक अल्पसंख्यक संस्था है या यह एक गैर-अल्पसंख्यक संस्था उक्त निदेश राज्य सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त निर्देशों के साथ सतत रूप से लागू होता है । ऐसी स्थिति में जब

एक बार प्रश्नगत प्रवेश विश्वविद्यालय परामर्श द्वारा परीक्षा आयोजित करने के अन्तर्गत आता हो तो यह निश्चित रूप से राज्य के ऐसे नीति विनिश्चय की परिधि के अन्तर्गत आता है जो उन उपबंधों से संगत है जो एन. सी. टी. ई. के अधीन विरचित विनियमों के अधीन तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सहबद्ध/सहयुक्त/घटक महाविद्यालयों) में शिक्षा में डिग्री के लिए अनुदेश के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का विनियमन आदेश, 1987 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 28 के उपबंधों के अधीन उल्लिखित हैं । वर्ष 2007-08 से राज्य स्तर परीक्षा एक एकल विन्डो प्रणाली के रूप में उपबंधित की गई है और अल्पसंख्यक संस्था के लिए 50 प्रतिशत स्थान स्वीकार किए गए हैं और इस वैचारिक प्रक्रिया को दृष्टिगत करते हुए अल्पसंख्यक संस्थाओं को शत-प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है, न्यायालय इसे स्वीकार नहीं कर सकता । परिणामतः, वर्तमान मामले में जब एक बार मामले के तथ्यों पर विचार कर लिया गया हो तो यह निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि याची-संस्था इस तथ्य से अवगत थी कि वह संपूर्ण राज्य में स्थित अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह द्वारा राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित करके स्वयं अपने मंजूर स्थानों के 50 प्रतिशत स्थान भरने के लिए हकदार हैं और 50 प्रतिशत स्थान ऐसी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अधीन भरे जाने हैं जो इस प्रकार विहित की गई है तथापि, किसी भी समय याची संस्था ने ऐसे रिक्त स्थानों को भरने के लिए किसी शक्ति या स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सी. टी. ई.) द्वारा भरे जाने थे । वर्तमान मामले में, याचियों ने कोटे की उस परिसीमा का अतिक्रमण और अतिलंघन नहीं किया जो उनके द्वारा भरने के लिए विहित थी । जब एक बार याची ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हों तो वे इस न्यायालय से यह व्यर्थ अनुकम्पा मांगने के बजाय कि उक्त छात्रों को समायोजित किया जाए, अपने आपको दोषी माने । इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ पहले ही ऐसी कार्रवाई को अननुमोदित कर चुकी है जिसमें प्रबंधमंडल समिति ने अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण और अतिलंघन करते हुए छात्रों को प्रवेश दिया था और यह इस कारण हुआ कि इस कार्य से अन्य छात्रों को प्रवेश लेने के प्रयत्न से रोका जाए और तत्पश्चात् साम्या की बात की जाए । याची इस बात के लिए कर्तव्याबद्ध हैं कि वे इसका अतिक्रमण करने के बजाय विधि अनुसार कार्य करें और तत्पश्चात् उन्होंने इसे गलत अनुकम्पा के आधार पर माफी प्राप्त करने का प्रयास किया और इसे दृष्टिगत करते हुए जहां तक हमारा

संबंध है, न्यायालय विधि के किसी प्राधिकार के बिना 29 छात्रों को प्रवेश देने की कार्यवाही में प्रबंधमंडल के कार्य को किसी भी प्रकार से माफ नहीं कर रहे हैं। यह सही हो सकता है कि उक्त 29 छात्र उसी सूची में से हों जिससे 50 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। जब एक बार प्रश्नगत कोटा नियत कर दिया गया हो, तब उक्त प्रश्नगत कोटा इस बात को दृष्टिगत करते हुए विस्तारित नहीं किया जा सकता कि 29 छात्रों को सम्मिलित करना पूर्णतया अनावश्यक है और इसलिए विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों को स्वीकार न करने में अपने अधिकार के भीतर कार्य किया है जिनका विषय में प्रवेश कानूनी उपबंध के अनुसार नहीं दिया गया था अपितु ये प्रवेश विधि का अतिक्रमण करके दिए गए थे। इस मत की विभिन्न मताभिव्यक्तियों से जो विद्वान् एकल न्यायाधीश ने विनिश्चय करने की प्रक्रिया के अधीन की हैं, पुष्टि होती है तथापि, निश्चित रूप से उन निष्कर्षों की जो विद्वान् एकल न्यायाधीश ने निकाले हैं, न्यायालय द्वारा इस कारण से अनुसरण किया जा रहा है कि जब एक बार कोटा निःशेष हो गया हो तो प्रश्नगत महाविद्यालय को छात्रों को प्रवेश देने का कोई प्राधिकार नहीं है भले ही प्रश्नगत स्थान अपशेष हों या अपशेष रहें। परिणामतः वर्तमान मामले में, जब एक बार छात्रों को गलत रूप से प्रवेश दे दिया गया है और उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा स्नातक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया है तो जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि न्यायालय प्रबंधमंडल समिति के अवैध कार्य का अनुमोदन नहीं कर सकता और इसलिए विद्वान् एकल न्यायाधीश अपनी प्रज्ञा से उक्त छात्रों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में पूर्णतया सही है क्योंकि स्वीकृततः उनका मूल्यवान एक शिक्षण वर्ष बेकार हो गया है। परिणामतः, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है तथापि, हम मामले को निपटाने से पूर्व यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इसके सही अर्थ और भावना में अनुपालन नहीं किया गया है और यदि अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी 50 प्रतिशत स्थान भरने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो भी यह एक स्थानीय प्रयोग नहीं होना चाहिए इसके बजाय सभी अल्पसंख्यक संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सिवाय राज्य स्तर पर एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक जैसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए और यह पूर्णतया उचित होगा कि यदि वे मुख्य धारा के अन्तर्गत आएं। (पैरा 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58 और 59)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	(2016) 7 एस. सी. सी. 353 : **मार्डन डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य ;**	59
[2016]	(2016) 1 एस. सी. सी. 662 : **एस. निहाल अहमद** बनाम **दि डीन बालाम्मल मेडिकल कालेज हास्पीटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य ;**	59
[2014]	(2014) 10 एस. सी. सी. 521 : **चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और एक अन्य** बनाम **जेसमीन कौर और अन्य ;**	59
[2014]	(2014) 8 एस. सी. सी. 1 : **परामती ट्रस्ट एजुकेशनल एण्ड कल्चरल** बनाम **यूनियन आफ इंडिया ;**	51,53
[2014]	2014 की विशेष अपील (डी.) संख्या 36, तारीख 25 सितम्बर, 2014 को विनिश्चित : **नेशनल महिला महाविद्यालय, बलरामपुर** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;**	51
[2013]	(2013) 2 एस. सी. सी. 721 : **कालेज आफ प्रोफेशनल इग्जामिनेशन** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;**	44
[2012]	(2012) 6 एस. सी. सी. 102 : **सोसायटी फार अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स आफ राजस्थान** बनाम **भारत संघ और अन्य ;**	52
[2010]	2010 ला सूट (एस. सी.) 581 : **सेन्ट जान इन्टर कालेज** बनाम **गिरधारी सिंह ;**	49
[2008]	2008 (3) ए. डब्ल्यू. सी. 2499 : **टुपलेस एजुकेशनल सोसायटीज़ और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ;**	42

[2005]	(2005) 6 एस. सी. सी. 537 : **पी. ए. इनामदार** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	25,27,30, 32,33,34
[2003]	(2003) 6 एस. सी. सी. 697 : **इस्लामिक एकेडमी वाला मामला** ;	22,23 25,28,35
[2002]	(2002) 8 एस. सी. सी. 481 : **टी. एम. ए. पई फाउंडेशन** बनाम **कर्नाटक राज्य** ।	17,18,20,22, 25,27,30,34

अपीली (रिट) अधिकारिता : 2017 की विशेष अपील सं. 92 और 93.

2016 की रिट याचिका सं. 24853 में न्यायमूर्ति सुनीत कुमार द्वारा तारीख 21 दिसम्बर, 2016 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष अपीलें ।

2017 की विशेष अपील सं. 92 में अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री प्रतीक चन्द्र और अशोक खरे
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री अवनीश त्रिपाठी, मुख्य स्थायी काउंसेल
2017 की विशेष अपील सं. 93 में अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री सीमन्त सिंह और अशोक खरे
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री नीरज तिवारी, मुख्य स्थायी काउंसेल और विवेक वर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वी. के. शुक्ला ने दिया ।

न्या. शुक्ला – चूंकि ऊपर उल्लिखित प्रश्नगत विशेष अपीलों में इस न्यायालय के विचार के लिए विधि का एक जैसा प्रश्न अन्तर्वलित है, इसलिए प्रश्नगत विशेष अपीलें एक साथ विनिश्चित की जा रही हैं और 2017 की विशेष अपील (डी.) सं. 92 मुख्य अपील मानी जाएगी ।

संदर्भ – सिविल प्रकीर्ण विलंब माफी आवेदन –

2. चूंकि विलंब माफी आवेदन में फाइल शपथपत्र में उल्लिखित आधारों पर उपदर्शित कारण पर्याप्त हैं इसलिए आवेदन मंजूर किया जाता है । विशेष अपील समय के भीतर फाइल करना मानी जाती है ।

संदर्भ – विशेष अपील –

3. संकल्प शिक्षा संस्था एक अल्पसंख्यक संस्था है जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध है । उक्त संस्था अध्यापक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कराने में अन्तर्वलित है जो अध्यापक शिक्षा (एन. सी. टी. ई.) के लिए राष्ट्रीय कौंसिल द्वारा मान्यताप्राप्त और अनुमोदित स्नातक पाठ्यक्रम है जिसमें संस्था स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए एक सौ छात्रों को प्रवेश दे सकती है । यह संस्था एक स्व-वित्त पोषित संस्था है ।

4. इस न्यायालय के समक्ष संकल्प शिक्षा संस्था से संबंधित विवाद यह है कि राज्य सरकार की नीति (पालिसी) के अनुसार 2014-15 के लिए स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी को नियुक्त किया गया था और उक्त केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसेलिंग) में याची की संस्था के लिए कुल 21 छात्रों के चयन का प्रस्ताव करते हुए सिफारिश की गई थी ।

5. याची संस्था ने यह पक्षकथन किया है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं ने जो स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाती हैं और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध हैं, एक सोसायटी का गठन और स्थापना की है और इसलिए उक्त सोसायटी स्वयं द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर संबंधित अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए छात्रों का चयन करने के लिए प्रक्रिया उपबंधित करती है और यह चयन दो परीक्षाओं पर आधारित होता है जिनमें 79 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जिनमें से 50 छात्र अल्पसंख्यक कोटे से लिए जाते हैं और शेष 29 छात्र गुणता कोटा के आधार पर लिए जाते हैं ।

6. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने अल्पसंख्यक संस्था द्वारा प्रवेश दिए गए उपर्युक्त 29 छात्रों के प्रवेश को इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार किया कि याची-संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने के नाते गुणता कोटे के अधीन 29 छात्रों को प्रवेश देने के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं थी क्योंकि कोटा 50 प्रतिशत तक निर्बंधित था और इस बात को दृष्टिगत करते हुए उक्त संस्था की अभ्यर्थितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस स्थिति को दृष्टिगत करते हुए प्रश्नगत संस्था ने इस न्यायालय के समक्ष समावेदन किया ।

7. यह दलील दी गई है कि अल्पसंख्यक संस्था को केवल 50 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है किन्तु वर्तमान मामले में, अन्य

50 प्रतिशत कोटे में जिन्हें संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अधीन प्रवेश दिया जाना अपेक्षित था, अतिक्रमण किया गया है और यह अनुज्ञेय नहीं था, और इसे दृष्टिगत करते हुए विश्वविद्यालय उस समय पूर्णतया सही था जब विश्वविद्यालय ने उक्त 29 छात्रों की अभ्यर्थितता पर विचार न करने का निर्णय लिया ।

8. विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अभिवचन, जो किए गए, के आधार पर और उन दलीलों के आधार पर जो इस प्रकार दिए गए प्रवेशों के संबंध में दी गई थीं, दावे और प्रति-दावे की परीक्षा की और अन्ततः निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला :–

> "प्रश्न सं. 1 – क्या गैर-सहायताप्राप्त/स्व-वित्त पोषित अल्पसंख्यक संस्था को स्वयं बनाई गई परिपाटी का अनुसरण करते हुए अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है और इस प्रकार एकल विन्डो प्रणाली द्वारा उपबंधित राज्य की नीति के बाहर छात्रों को चयनित करने का अधिकार है ?
>
> उत्तर – नहीं
>
> प्रश्न 2 – क्या स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश दिए गए छात्रों में केन्द्रीयकृत परामर्श द्वारा अनुसरित एकल विन्डो प्रणाली अर्थात् एन. सी. ई. टी. अल्पसंख्यक संस्थाओं के अधिकार में अतिक्रमण करती है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) और 30 के अधीन अनुध्यात है ?
>
> उत्तर – नहीं
>
> प्रश्न 3 – क्या स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम कराने वाली अल्पसंख्यक संस्थाएं बी. टी. सी. पाठ्यक्रम के संबंध में जारी तारीख 10 जून, 2015 के शासकीय आदेश के साथ समानता का दावा करने की हकदार हैं ?
>
> उत्तर – नहीं
>
> प्रश्न 4 – क्या स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम कराने वाली अल्पसंख्यक संस्थाएं उत्तर प्रदेश प्राइवेट वृत्तिक शैक्षणिक संस्थाएं (प्रवेश और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 2 के अधीन मुक्ति के लिए हकदार हैं ?
>
> उत्तर – नहीं

प्रश्न 5 – क्या परामर्शदाता विश्वविद्यालय संस्थाओं को शत-प्रतिशत छात्र उपलब्ध कराने के लिए आबद्ध हैं ?

उत्तर – नहीं

अन्ततः क्या ऐसे छात्र जिन्हें संस्था द्वारा राज्य की नीति के विरुद्ध अवैध रूप से प्रवेश दिया गया है और जिन्हें शिक्षा स्नातक परीक्षा में बैठने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति देने से इनकार किया गया है, प्रतिकर पाने के हकदार हैं । उच्चतम न्यायालय ने एस. निहाल अहमद बनाम दि डीन बालाम्मल मेडिकल कालेज हास्पीटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य वाले मामले में जिसमें न्यायालय ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और एक अन्य बनाम जेसमीन कौर और अन्य वाले मामले का अवलंब लिया है, यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई अभ्यर्थी संस्था के दोष के कारण किसी विशिष्ट शिक्षण वर्ष के दौरान चयनित नहीं होता है और यदि इस प्रक्रिया में स्थान भर जाते हैं और समय समाप्त होने के कारण प्रवेश मंजूर करने के लिए गुंजाइश नहीं रहती है तो छात्र नुकसानी/प्रतिकर पाने के हकदार हैं ।"

9. विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपनी प्रज्ञा (विवेक) से उन छात्रों के लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जिन्हें संबंधित संस्था द्वारा अवैध रूप से प्रवेश दिया गया था ।

10. संस्था ने उपर्युक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील फाइल की है ।

11. ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे ने जिनकी सहायता श्री प्रतीक चन्द्र अधिवक्ता और श्री सीमन्त सिंह अधिवक्ता ने की, बल देकर यह दलील दी है कि प्रश्नगत प्रवेश में जो 29 छात्रों को इस प्रकार दिए गए हैं, कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है क्योंकि उक्त 29 छात्रों ने भी उस चयन प्रक्रिया में भाग लिया था जो उक्त 50 छात्रों के चयन और प्रवेश के लिए अपनाई गई थी और जिसे संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी और इसे दृष्टिगत करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय को उन 29 शेष छात्रों को भी मान्यता देनी चाहिए थी जिनके नाम उसी सूची में थे न कि मामले में ऐसी अयुक्तियुक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी विशेषतया तब जबकि केवल 21 छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश के लिए भेजे गए थे । यह भी दलील दी गई है कि जब एक बार प्रश्नगत संस्था अल्पसंख्यक संस्था के अन्तर्गत आ गई हो और प्राइवेट संस्था अधिनियम, 2006 के

उपबंध लागू न होते हों तो एक स्व-वित्त पोषित प्राइवेट संस्था होने के नाते प्रबंधमंडल प्रवेश देने की पारदर्शी और ऋजु प्रक्रिया का पालन करके शत-प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देने के लिए हकदार है और इसे दृष्टिगत करते हुए छात्रों को समायोजित करने के लिए विशेष अपील में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ।

12. इसके प्रतिकूल ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री जी. के. सिंह ने जो श्री विवेक वर्मा, अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए हैं, यह दलील दी कि प्रबंधमंडल ने विधि के किसी प्राधिकार के बिना प्रत्यक्षतया अपने कोटे के बाहर प्रवेश दिए हैं और जब एक बार प्रश्नगत कोटा अधिक हो गया हो, तो विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों को मान्यता देने से इनकार करने के लिए पूर्णतया सही है और इसके अतिरिक्त केन्द्रीयकृत प्रणाली के अधीन यह किसी प्रकार से आबद्धकर नहीं था कि याची-संस्था में शिक्षा प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों की सूची भेजी जाए, जब एक बार ऐसे छात्रों ने जिन्हें काउंसेलिंग प्रदान करने के लिए कार्यवाही की गई थी, स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम अपनाने के लिए याची संस्था में जाना पसंद नहीं किया और इसे दृष्टिगत करते हुए हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

13. हमें मामले में अंतिम सुनवाई करने के पूर्व मामले से संबंधित सुसंगत कानूनी उपबंधों पर विचार करने की आवश्यकता है जो इस प्रकार हैं :–

> "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (जिसे आगे संक्षेप में 'विश्वविद्यालय अधिनियम' कहा गया है) उत्तर प्रदेश में उच्चतर शिक्षा को विनियमित करने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था । इस अधिनियम को अधिनियमित करने का उद्देश्य और प्रयोजन राज्य के लोगों को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना था ।
>
> विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2 और 3 के अधीन कतिपय शब्दों को यथा संबद्ध महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का क्षेत्र, सहबद्ध महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय, केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड, घटक महाविद्यालय, विद्यमान विश्वविद्यालय, संस्था, प्रबंधमंडल, रजिस्ट्रीकृत स्नातक, विश्वविद्यालय इत्यादि को परिभाषित किया गया है । 'प्रबंधमंडल' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है –
>
> > 'किसी संबद्ध या सहयुक्त के संबंध में 'प्रबंधमंडल' से ऐसी प्रबंध समिति या अन्य निकाय अभिप्रेत हैं जो महाविद्यालय

के कार्यों का प्रबंध करता हो और उसे विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता दी गई है :

[परन्तु किसी नगरपालिका बोर्ड या किसी नगर महापालिका द्वारा पोषित ऐसे किसी महाविद्यालय के संबंध में 'प्रबंधमंडल' पद से, यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या महापालिका की शिक्षा समिति अभिप्रेत है और 'प्रबंधमंडल के प्रधान' से ऐसी समिति का अध्यक्ष (चेयरमेन) अभिप्रेत है ।]'

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 राज्य को किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सशक्त करती है ।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5 विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अधिनियम में उपबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्र के संबंध में शक्ति के प्रयोग के लिए सशक्त करती है ।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 6 यह उपबंध करती है कि विश्वविद्यालय वर्ग या पंथ को विचार में लाए बिना सभी व्यक्तियों द्वारा खोला जा सकेगा ।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 विश्वविद्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करती है और उक्त अधिनियम की धारा 7-क कतिपय विश्वविद्यालयों की अतिरिक्त शक्ति और कर्तव्यों के बारे में उपबंध करती है ।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 के अधीन राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति होता है ।

अधिनियम की धारा 28 के अधीन विश्वविद्यालयों के प्रवेश विनियमित होते हैं और इसकी उपधारा (5)(ख) अनन्यतः इंजीनियरी महाविद्यालयों, आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों और प्रवेश के लिए अनुदेश पाठ्यक्रमों के संबंध में उपबंध करती है ।

विश्वविद्यालय अधिनियम का अध्याय 7 महाविद्यालयों की सहबद्धता और मान्यता के संबंध में उपबंध करता है । विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 लखनऊ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सिवाय आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ और अन्य विश्वविद्यालयों को अनिवार्य शर्त पूरी करने के अध्यधीन उच्चतर शिक्षा के लिए महाविद्यालयों को मान्यता देने और सहबद्ध करने के

लिए सशक्त करती है ।

धारा 38 आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ या संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के सिवाय लखनऊ, इलाहाबाद और कुछ अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा सहयुक्त महाविद्यालयों की मान्यता के संबंध में उपबंध करती है ।

विश्वविद्यालय अधिनियम का अध्याय 8 प्रवेश और परीक्षाओं के संबंध में उपबंध करता है । उक्त अधिनियम की धारा 45 उन शर्तों के बारे में उपबंध करती है जिनके अनुपालन में छात्र किसी डिग्री (उपाधि) हेतु अध्ययन के लिए प्रवेश पाने के पात्र हो सकेंगे । यहां सुविधा के लिए धारा उद्धृत की जा रही है –

छात्रों का प्रवेश – कोई छात्र किसी डिग्री हेतु पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि –

(क) उसने निम्नलिखित उत्तीर्ण न किया हो –

(i) हाई स्कूल बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा और उत्तर प्रदेश माध्यमिक परीक्षा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित विश्वविद्यालय या बोर्ड की परीक्षा ; और

(ii) कोई परीक्षा, या किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई डिग्री जो विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षा या डिग्री हो और जो माध्यमिक परीक्षा के या विश्वविद्यालय की किसी डिग्री के समकक्ष हो ; और

(ख) वह ऐसी अन्य अर्हता, यदि कोई हो, रखता हो जो अध्यादेश में विनिर्दिष्ट हो :

परन्तु विश्वविद्यालय अध्यादेश द्वारा फाइन आर्टस में किसी डिग्री के प्रवेश के लिए कोई निम्नतर अर्हता विहित कर सकता है ।

(2) ऐसी शर्तें जिनके अधीन छात्र विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, अध्यादेश द्वारा विहित की जाएंगी ।

(3) विश्वविद्यालय को (किसी डिग्री के अध्ययन

पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश के प्रयोजनों के लिए) स्वयं अपनी डिग्री के समकक्ष या किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी डिग्री के समकक्ष या किसी भारतीय विश्वविद्यालय की माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी ।

(4) किसी छात्र को जिसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं है, अध्यादेश के उपबंधों के अनुसरण में विश्वविद्यालय, या किसी संस्था या किसी घटक महाविद्यालय या किसी सहबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से निकाला जा सकता है ।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा कौंसिल अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम सं. 73) संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया था और अन्ततः तारीख 29 दिसम्बर, 1993 को अधिसूचित किया गया था ।

अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन इस प्रकार हैं –

अधिनियम सम्पूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास के लिए, विनियमों और सन्नियमों के समुचित रख-रखाव के लिए और अध्यापक शिक्षा प्रणाली और उससे संबद्ध मामलों की दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा कौंसिल के स्थापन के लिए उपबंध करता है ।

उक्त अधिनियम की धारा 2 में अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों से संबंधित परिभाषा खंड उल्लिखित किए गए हैं । अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (ग) 'मान्यताप्राप्त संस्था' के अर्थ को परिभाषित करती है । अधिनियम की धारा 2(ज) 'विहित' पद को परिभाषित करती है । अधिनियम की धारा 2(झ) 'मान्यताप्राप्त' पद को परिभाषित करती है । धारा 2(ञ) 'क्षेत्रीय समिति' पद को परिभाषित करती हैं और अधिनियम की धारा 2(ट) 'विनियम' पद को परिभाषित करती है । अधिनियम की धारा 2(ठ) 'अध्यापक शिक्षा' पद को परिभाषित करती है । अधिनियम की धारा 2(ड) 'अध्यापक शिक्षा अर्हता' पद को परिभाषित करती है । अधिनियम की धारा 2(ढ) 'विश्वविद्यालय' पद को परिभाषित करती है । सुविधा के लिए यहां

अधिनियम की धारा 2 की सुसंगत उपधाराओं को उद्धृत किया जा रहा है –

'(ज) 'विहित' से धारा 31 के अधीन विरचित नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) 'मान्यताप्राप्त संस्था' से धारा 14 के अधीन कौंसिल द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था अभिप्रेत है ;

(ञ) 'मान्यताप्राप्त संस्था समिति' से धारा 20 के अधीन स्थापित कोई समिति अभिप्रेत है ;

(ट) 'विनियम' से धारा 32 के अधीन विरचित विनियम अभिप्रेत है ;

(ठ) 'अध्यापक शिक्षा' से शिक्षा के कार्यक्रम, स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक प्रक्रमों पर पढ़ाने के साधनों के लिए व्यक्तियों को अनुसंधान प्रशिक्षण अभिप्रेत है और इसमें अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और पत्र व्यवहार शिक्षा सम्मिलित है ;

(ड) 'अध्यापक शिक्षा अर्हता' से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई डिग्री, डिप्लोमा (उपाधिपत्र) या अध्यापक शिक्षा में प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(ढ) 'विश्वविद्यालय' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन किसी विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई विश्वविद्यालय मानी जाने वाली कोई संस्था सम्मिलित है ।'

अधिनियम की धारा 12 कौंसिल के कृत्यों के बारे में उपबंध करती है । एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करके एक कौंसिल स्थापित करेगी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा कौंसिल (संक्षेप में एन. सी. टी. ई.) कहलाएगी । धारा 12 कौंसिल के विभिन्न कृत्यों के बारे में अधिकथित करती है ।

धारा 13 ऐसी संस्था के निरीक्षण से संबंधित है जिसे कौंसिल द्वारा स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम इत्यादि के समान शिक्षा प्रदान करने के

लिए मान्यता दी जाएगी या मान्यता देने के लिए प्रस्थापना की जाएगी । धारा 14 पाठ्यक्रम की प्रस्थापना करने वाली संस्थाओं की या अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण की मान्यता प्रदान करने के लिए आज्ञापक शर्तों का उल्लेख करती है । एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 15 के अधीन क्षेत्रीय समिति को नए पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के लिए सशक्त किया गया है । विश्वविद्यालयों के समान निकायों की परीक्षा के लिए शर्तें अधिकथित की गई हैं परन्तु तब तक संबद्धता मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि एन. सी. टी. ई. की क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान न की गई हो । एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 17 यह अधिकथित करती है कि यदि क्षेत्रीय समिति या एन. सी. टी. ई. द्वारा संस्था को मान्यता दी गई है तो संबंधित विश्वविद्यालय जिससे किसी संस्था को सहबद्ध किया गया है, ऐसी संस्था की मान्यता समाप्त कर सकता है । एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 32 कौंसिल को शासकीय राजपत्र में प्रकाशन द्वारा ऐसे विनियम विरचित करने के लिए सशक्त करती है जो अधिनियम के या इसके अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के सुसंगत न हों । एन. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) का सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया जाता है –

> ‘32(2)(च) संस्था के समुचित कृत्यों के लिए आवश्यक शर्तें और धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (1) के अधीन मान्यता प्रदान करने के लिए शर्तें;
>
> (ज) नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के समुचित संचालन के लिए आवश्यक शर्तें और धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए शर्तें ;’

अधिनियम की धारा 32 के अधीन प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में कौंसिल ने वर्ष 2002 में विनियम विरचित किए थे जिनमें माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (अर्थात् स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम) के लिए सन्नियम और मानक उपबंधित करके 2005 में संशोधन किए गए थे । 2002 के विनियम यह उपबंध करते हैं कि स्नातक शिक्षा कार्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष के लिए होगा और एक इकाई स्नातक शिक्षा प्रदान करने के लिए 100 छात्रों को प्रवेश देगी । विनियम यह उपबंध करते हैं कि स्नातक स्तर पर न्यूनतम दो स्कूल विषयों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में न्यूनतम 45 अंकों के साथ अभ्यर्थी

स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए पात्र होंगे । 2002 के विनियमों के अनुसार प्रवेश या तो अर्हता परीक्षा द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा उस विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा जिससे संस्था सहबद्ध है, संचालित प्रवेश परीक्षा द्वारा दिए जाएंगे । 2002 के विनियमों का सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है –

'संलग्नक 7 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (बी. एड.) के लिए सन्नियम और मानक –

(2) अवधि और भर्ती –

(क) स्नातक शिक्षा कार्यक्रम न्यूनतम एक शैक्षणिक वर्ष की अवधि का होगा ।

(ख) भौतिक और अनुदेशीय अवसंरचना के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए तथा अध्यापन कर्मचारियों को विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए 100 छात्रों की एक इकाई होगी । प्रभावी पाठ्यक्रम संव्यवहार के लिए संस्थागत स्तर पर समूहों को समुचित रूप से बांटा जाएगा ।

(3) पात्रता –

(क) स्नातक स्तर पर न्यूनतम दो स्कूल विषयों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र हैं ।

(ख) प्रवेश या तो अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा उस राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की जिससे संस्था सहबद्ध है, नीति के अनुसार विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे ।

(ग) संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगों, महिलाओं इत्यादि के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।'"

14. एन. सी. टी. ई., स्नातक शिक्षा (बी. एड.) डिग्री से संबंधित माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए सन्नियमों और मानकों के

शीर्षक के अधीन यह उपबंध करती है कि स्नातक डिग्री में और/या स्नातकोत्तर डिग्री में अथवा इसके समकक्ष किसी अन्य अर्हता में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे । प्रवेश प्रक्रिया या तो अर्हता परीक्षा या प्रवेश परीक्षा या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी । उक्त विनियम का सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है :–

> "स्नातक शिक्षा (बी. एड.) डिग्री 3.0 भर्ती, पात्रता और प्रवेश प्रक्रिया 3.1 भर्ती से संबंधित माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के लिए सन्नियम और मानक – 100 छात्रों की एक इकाई होगी जिसे सामान्य सत्र के लिए 50-50 छात्रों के दो भागों में बांटा जाएगा जिसमें पाठ्यक्रम तरीकों के लिए किसी स्कूल विषय के लिए और सहभागीय अध्यापन और विद्या प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों के अन्य व्यवहारिक क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक अध्यापक के लिए 25 छात्रों से अधिक का समूह नहीं होगा ।
>
> 3.2 पात्रता 3.2.1 – ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने या तो स्नातक डिग्री और/या स्नातकोत्तर डिग्री में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों अथवा इसके समकक्ष अन्य कोई अर्हता रखते हों, कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे ।
>
> 3.2.2 – केन्द्र/राज्य सरकार/संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में छूट/स्थानों का आरक्षण दिया जाएगा ।
>
> 3.3 – प्रवेश प्रक्रिया – प्रवेश अर्हता परीक्षा में और/या प्रवेश परीक्षा में अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार अन्य किसी चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर गुण-दोष के आधार पर दिया जाएगा ।"

15. विनियम 3.2 न्यूनतम अंकों के बारे में उपबंध करता है जो 50 प्रतिशत है और जो पूर्व में 45 प्रतिशत था । तथापि, ऐसा विनियम 3.3 के अध्यधीन है जो वास्तविक प्रवेश प्रक्रिया के बारे में उपबंध करता है । प्रवेश अर्हता परीक्षा/प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाएंगे । ऐसी अर्हता परीक्षा या प्रवेश परीक्षा राज्य सरकार की नीति के अनुसार संचालित की जाएगी ।

अतः परीक्षा राज्य सरकार द्वारा ली जा सकती है और यदि राज्य सरकार ऐसा विनिश्चय करे तो वह विश्वविद्यालयों को ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है । एन. सी. टी. ई. ने अपनी प्रज्ञा से यह उपबंधित किया है कि प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई विनिश्चय नीति के अनुसार संचालित की जाएगी । अतः एन. सी. टी. ई. ने स्वयं कार्यवाहियां करने के बजाय अपनी शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित कर दी ।

16. राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सहबद्ध, सहयुक्त और घटक महाविद्यालयों में शिक्षा में डिग्री के लिए अनुदेश के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के विनियम) आदेश, 1987 के शीर्षक से शिक्षा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए वर्ष 1987 में विनियम विरचित किए । विश्वविद्यालय आवेदन स्वीकार करने के लिए या विनियम, 1987 के पैरा 6 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा संचालित करने के लिए सशक्त हैं । विनियम, 1987 का पैरा 6 और 7 इस प्रकार है :–

> "6. प्रवेश के लिए आवेदन – (1) शिक्षा स्नातक वर्गों के प्रवेश के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी विहित प्ररूप में आगे उपबंधित रीति में आवेदन करेगा जो संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्रत्येक फार्म के लिए 10/- रुपए का संदाय करने पर प्राप्त किए जा सकेंगे । प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख साधारणतया 31 मई या जून मास की ऐसी तारीख होगी जो विश्वविद्यालय विहित करे ।
>
> (2) अभ्यर्थी आवेदन प्ररूप विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा ।
>
> (3) रजिस्ट्रार के कार्यालय में ऐसी तारीख के पश्चात् जो विश्वविद्यालय इस संबंध में विहित करे, प्राप्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
>
> 7. प्रवेश के लिए परीक्षा – (क) प्रत्येक विश्वविद्यालय उससे सहबद्ध, सहयुक्त और घटक महाविद्यालयों में शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्वयं अपनी संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा । सभी विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा ऐसी एक ही तारीख को जो राज्य सरकार नियत करे, आयोजित की जाएगी ।"

17. यहां यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि **टी. एम. ए. पई फाउंडेशन** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में अल्पसंख्यक वृत्तिक महाविद्यालयों के लिए अनुच्छेद 30 के लागू होने का प्रश्न उद्भूत हुआ था । **टी. एम. ए. पई** (पूर्वोक्त) वाले मामले में 11 प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे । उच्चतम न्यायालय ने पांच शीर्षकों के अधीन चर्चा को वर्गीकृत करते हुए प्रश्नों पर विचार करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल ने बहुमत से मत व्यक्त करते हुए 11 प्रश्नों के जो विरचित किए गए थे और जिनका हल निकालना था, उत्तर अभिलिखित किए :–

प्रश्न 1 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में 'अल्पसंख्यक' पद का क्या अर्थ और अन्तर्वस्तु है ?

उत्तर – भाषा संबंधी और धर्म संबंधी अल्पसंख्यक संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन 'अल्पसंख्यक' पद के अन्तर्गत आते हैं । चूंकि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा संबंधी आधार पर किया गया है इसलिए अल्पसंख्यक के अवधारण के प्रयोजनार्थ राज्य एक इकाई होगी न कि संपूर्ण भारत । अतः धर्म संबंधी और भाषा संबंधी अल्पसंख्यक जिन्हें अनुच्छेद 30 में बराबरी पर रखा गया है, राज्यवार समझे जाएंगे ।

प्रश्न 2. ....

प्रश्न 3. ....

प्रश्न 4. क्या अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था चाहे वह सहायताप्राप्त हो या गैर-सहायताप्राप्त, के छात्रों के प्रवेश राज्य सरकार द्वारा या उस विश्वविद्यालय द्वारा जिससे संस्था सहबद्ध है, विनियमित किए जा सकते हैं ?

उत्तर – गैर-सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं अर्थात् स्कूलों और अवर स्नातक महाविद्यालयों के जहां गुण-दोष के आधार पर चयन का क्षेत्र व्यावहारिक रूप से शून्य है, छात्रों की प्रवेश अर्हताएं और शैक्षिक मानकों के हित में पात्रता की न्यूनतम शर्तें उपबंधित करने के सिवाय राज्य या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विनियमित किए जा सकते हैं ।

छात्रों की पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए

---

[1] (2002) 8 एस. सी. सी. 481.

छात्रों के प्रवेश का अधिकार, अधिकार का आवश्यक पहलू है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन अनुध्यात है इसलिए राज्य सरकार या विश्वविद्यालय इस अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए हकदार नहीं हो सकते क्योंकि गैर-सहायताप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश पारदर्शी आधार पर होता है और पूर्णतया गुण-दोष को ध्यान में रखा जाता है । प्रवेश देने का अधिकार आत्यंतिक न होने के कारण शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने के लिए और उसमें उत्कृष्टता कायम करने के लिए नियामक उपाय किए जा सकते हैं, विशेषतया वृत्तिक संस्थाओं में प्रवेश के मामलों में ।

प्रश्न 5. क्या अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और प्रवेश देने के अल्पसंख्यकों के अधिकार में, प्रवेश की प्रक्रिया और रीति तथा छात्रों का चयन सम्मिलित है ?

उत्तर – कोई अल्पसंख्यक संस्था प्रवेश तथा छात्रों के चयन की स्वयं अपनी प्रक्रिया और रीति बना सकती है तथापि, ऐसी प्रक्रिया ऋजु और पारदर्शी होनी चाहिए, और वृत्तिक तथा उच्चतर शैक्षिक महाविद्यालयों में छात्रों का चयन गुण-दोष के आधार पर होना चाहिए । अनुसरण की गई प्रक्रिया या किया गया चयन अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए । किसी गैर-सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक संस्था को उपर्युक्त महाविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करते समय प्रवेश के लिए छात्रों के गुण-दोष की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनदेखी करने पर संस्था उत्कृष्टता प्राप्त करने में विफल रहेगी ।

प्रश्न 6. ....

प्रश्न 7. ....

प्रश्न 8. ....

प्रश्न 9. ....

प्रश्न 10. ....

प्रश्न 11. संविधान के विभिन्न उपबंधों में 'शिक्षा' और 'शैक्षिक संस्थाएं' पद का क्या अर्थ है ? क्या शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और प्रवेश देने का अधिकार संविधान के अधीन गारंटीकृत है ?

उत्तर – संविधान के अनुच्छेदों में 'शिक्षा' पद से प्राथमिक स्कूल स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक के सभी स्तर अभिप्रेत और सम्मिलित हैं । इसमें वृत्तिक शिक्षा सम्मिलित हैं । 'शैक्षिक संस्थाएं' पद से ऐसी संस्थाएं अभिप्रेत है जो ऐसी शिक्षा प्रदान करती हैं जैसा कि ऊपर 'शिक्षा' को समझा गया है ।"

18. प्रथम बार **टी. एम. ए. पई**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई शिक्षण संस्था चलाना एक "व्यवसाय" है और यह अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन एक मूल अधिकार के रूप में गारंटीकृत है । सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(छ) और 26 के अधीन शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का और शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है तथापि, ऐसा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(छ) और 26(क) के उपबंधों के अध्यधीन है तथापि, अल्पसंख्यक संस्थाओं को उस रीति में जिसकी चर्चा निर्णय में की गई है, अल्पसंख्यक समूह से संबंधित छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार होगा ।

19. न्यायालय ने नियम 19(1)(छ), 29(2) और संविधान के अनुच्छेद 30(1) के बीच परस्पर संबंध पर चर्चा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि किसी शिक्षण संस्था की किसी पूर्त (धर्मार्थ) या वृत्तिक फायदे के लिए स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(छ) द्वारा संरक्षित है । इस बात के होते हुए भी कि अल्पसंख्यक का किसी शिक्षण संस्था को स्थापित करने और शिक्षा प्रदान करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(छ) द्वारा संरक्षित होगा तथापि, संविधान में अनुच्छेद 30 को अधिनियमित करने का यह आशय था कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने अधिकार में कार्यपालिका या विधान-मंडल द्वारा अतिक्रमण करने के विरुद्ध विश्वास बना रहे तथापि "मात्र" इस कारण कि अनुच्छेद 30(1) अधिनियमित किया गया है, अल्पसंख्यक संस्थाएं इस कारण नियामक उपायों के प्रवर्तन से मुक्त नहीं हो जाएंगी कि शिक्षा देने के अधिकार में कुप्रशासन (दुर्व्यवस्था) के लिए अधिकार सम्मिलित नहीं है ।

20. **टी. एम. ए. पई**[1] वाले मामले में बहुमत द्वारा दिया गया यह निर्णय कि राष्ट्रीय हित में विरचित कोई विनियम सभी शिक्षण संस्थाओं को चाहे वह बहुसंख्यक संस्था द्वारा चलाई जा रही हो या अल्पसंख्यक संस्था

---

[1] (2002) 8 एस. सी. सी. 481.

द्वारा, लागू होगा । किसी निर्बंधन को अनुच्छेद 30 के साथ पढ़ा जाएगा । अनुच्छेद 30(1) के अधीन अधिकार ऐसा नहीं हो सकता कि वह राष्ट्रीय हित पर अध्यारोही हो या सरकार को इस संबंध में विनियम विरचित करने से निवारित करे ।

21. तथापि, किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था को मान्यता प्रदान करने और संबंधित विनियम बनाने से संबंधित बातें समान होंगी जैसा कि दो अध्यारोही बातों के अध्यधीन गैर-अल्पसंख्यक संस्था को लागू है – (i) मान्यता से मात्र इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षण संस्था अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्था है और (ii) विनियम न तो इस उद्देश्य से बनाया गया है और न ही किसी संस्था को इसकी अल्पसंख्यक हैसियत से वंचित करने का प्रभाव रखता है ।

22. **टी. एम. ए. पई**[1] वाले मामले में दिया गया स्पष्टीकरण वृत्तिक शिक्षण संस्थाओं अर्थात् अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक दोनों ही के लिए ईप्सित था । **इस्लामिक एकेडमी**[2] वाले मामले में न्यायालय ने चार प्रश्न विरचित किए :–

"(1) ....

(2) ....

(3) क्या प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त वृत्तिक महाविद्यालय अपने स्थान 100 प्रतिशत तक भरने के लिए हकदार हैं ?

(4) क्या प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त वृत्तिक महाविद्यालय प्रवेश की स्वयं अपनी रीति विकसित करके छात्रों को प्रवेश देने के लिए हकदार हैं ?"

23. **इस्लामिक एकेडमी** (पूर्वोक्त) वाले मामले में बहुमत से इस प्रकार मत व्यक्त किया गया :–

(1) वृत्तिक महाविद्यालयों को जो गैर-सहायताप्राप्त हैं, अपना प्रशासन चलाने के लिए पूर्ण स्वायत्तता है तथापि, गुण-दोष के सिद्धान्त को त्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वृत्ति में उत्कृष्टता राष्ट्रीय हित में हैं ।

गैर-सहायताप्राप्त संस्थाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किए बिना

---

[1] (2002) 8 एस. सी. सी. 481.

[2] (2003) 6 एस. सी. सी. 697.

प्रवेश आधारित गुण-दोष का उद्देश्य मान्यता की मंजूरी के लिए एक शर्त के रूप में और गुण-दोष को मान्यता देने के अध्यधीन बल देकर प्राप्त किया जा सकता है तथापि, प्रबंधमंडल छात्रों को प्रवेश देने में कतिपय निदेश जारी कर सकता है ।

24. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्था अर्थात् दोनों के लिए प्रबंधमंडल कोटा विनिर्दिष्ट करते हुए तारीख 9 मई, 2004 को शासकीय आदेश जारी किया । अल्पसंख्यक संस्था के निर्देश में विशिष्टतः अल्पसंख्यक संस्थाएं स्वयं अपने स्तर पर अपने 50 प्रतिशत स्थान भरने के लिए स्वतंत्र हैं और शेष 50 प्रतिशत स्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर भरे जाने के लिए अपेक्षित हैं । आवेदकों ने यह पक्षकथन किया है कि उक्त कोटा पश्चात्वर्ती शिक्षण सत्र में भी दोहराया गया है ।

25. इसके पश्चात् **पी. ए. इनामदार** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] और **टी. एम. ए. पई**[2] वाले मामलों में बहुमत द्वारा की गई विधि की घोषणा में कतिपय अस्पष्ट विवाद्यकों को स्पष्ट करने के लिए न कि कोई नया विवाद्यक विनिश्चित करने के लिए सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष मामला पेश हुआ था । उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि इस मामले में हमारा वास्तविक कार्य **टी. एम. ए. पई**[2] वाले मामले में दिए गए विनिश्चयाधार को स्पष्ट करना और यह परीक्षा करना है कि क्या **इस्लामिक एकेडमी**[3] वाले मामले में दिया गया स्पष्टीकरण **टी. एम. ए. पई**[2] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय के विरोध में है और यदि हां तो किस सीमा तक ।

26. उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चय के लिए चार प्रश्न विरचित किए :–

(1) राज्य किस सीमा तक गैर-सहायताप्राप्त (अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक) शिक्षण संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रवेशों को विनियमित कर सकता है ? क्या राज्य ऐसी संस्थाओं के लिए प्रवेशों में आरक्षण की कोई नीति और/या समुचित कोटे की नीति को प्रवृत्त कर सकता है ?

---

[1] (2005) 6 एस. सी. सी. 537.
[2] (2002) 8 एस. सी. सी. 481.
[3] (2003) 6 एस. सी. सी. 697.

(2) क्या गैर-सहायताप्राप्त (अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक) शिक्षण संस्थाएं स्वयं अपनी प्रवेश प्रक्रिया को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं अथवा क्या **इस्लामिक एकेडमी** (2003) 6 एस. सी. सी. 697 वाले मामले में राज्य या संस्थाओं के संगम द्वारा अनिवार्य रूप से प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए दिया गया निदेश और ऐसी संस्थाओं में प्रवेश के लिए हकदार छात्रों को पसंद करने के निदेश को **टी. एम. ए. पई फाउंडेशन** (2002) 8 एस. सी. सी. 481 वाले मामले में अधिकथित विधि को दृष्टिगत करते हुए कायम रखा जा सकता है ?

(3) क्या इस्लामिक एकेडमी शिक्षण संस्थाओं के लिए छात्रों द्वारा संदेय फीस को विनियमित करने के मामले में मार्गदर्शन जारी कर सकती है ?

(4) क्या प्रवेश प्रक्रिया और फीस ढांचा इस्लामिक एकेडमी द्वारा गठित समितियों द्वारा विनियमित किया जा सकता है या समितियां उसे अपने नियंत्रण में रख सकती हैं ?

27. **पी. ए. इनामदार**[1] वाले मामले में, वृत्तिक और गैर-वृत्तिक "शिक्षण संस्थाओं" के बीच विभेद स्पष्ट करते हुए यह मत व्यक्त किया गया कि मताधार जैसा कि **टी. एम. ए. पई फाउंडेशन**[2] वाले मामले में अभिव्यक्त मत के विपरीत पश्चात्वर्ती न्यायिक निर्णयों में अभिव्यक्त किया गया है, यह है कि शिक्षा की संकल्पना को सांविधानिक उपबंधों की पृष्ठभूमि में देखा जाए क्योंकि वृत्तिक शिक्षण संस्थाएं स्वयं द्वारा एक ऐसा वर्ग गठित करती हैं जो गैर-वृत्तिक शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थाओं से भिन्न है । **टी. एम. ए. पई फाउंडेशन** (पूर्वोक्त) वाले मामले में यह स्पष्ट किया गया कि वृत्तिक अध्ययन के संदर्भ में गुण-दोष और उत्कृष्टता विशेष महत्व रखती है । **टी. एम. ए. पई फाउंडेशन** (पूर्वोक्त)वाले मामले में गैर-सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के संबंध में विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 30 प्रवेश के मामले में पारदर्शिता प्राप्त करने और गुणता को मान्यता देने के प्रयोजन के लिए राज्य कार्रवाई के लिए बाधक नहीं बनता । शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने और इसमें उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए नियामक उपाय अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदत्त संरक्षण बाधक नहीं हैं ।

---

[1] (2005) 6 एस. सी. सी. 537.

[2] (2002) 8 एस. सी. सी. 481.

28. अतः अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था की स्थिति शंकु जैसी हो गई है और जैसा कि न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा द्वारा **इस्लामिक एकेडमी** (पूर्वोक्त) वाले मामले में कहा गया है कि अल्पसंख्यक (संस्था) के अधिकार को मूल कर्तव्य के साथ ही पढ़ा जाएगा । शिक्षा का स्तर उच्चतर है जबकि स्थान बहुत कम हैं और इसलिए गुण-दोष पर अधिक ध्यान दिया जाएगा । यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यक संस्था के मुकाबले राज्य विनियमों को प्राथमिकता दी जाए ।

29. न्यायालय ने गैर-सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं की प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न सं. 2 का उत्तर देते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जहां तक अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त संस्थाओं का संबंध है, चूंकि छात्रों के प्रवेश के लिए किसी संस्था को स्थापित करने और उसका व्यवस्थापन करने का अधिकार एक आवश्यक संघटक है इसलिए राज्य पूर्व-स्नातक शिक्षा के स्तर तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसलिए अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाएं स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकती हैं तथापि, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा तथा तकनीकी और वृत्तिक शिक्षण संस्था को भिन्न रूप से देखा जाना चाहिए । ऐसी शिक्षा किसी संस्था द्वारा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि वह विधि द्वारा सृजित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त या सहबद्ध न हो । शिक्षा में उत्कृष्टता और इस स्तर पर उच्चतर मानक को कायम करना आवश्यक है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य राष्ट्रीय हित में कार्रवाई कर सकता है और करना भी चाहिए ।

30. एक ओर पूर्व-स्नातक स्तर तक शिक्षा और दूसरी ओर स्नातक और स्नातकोत्तर तथा वृत्तिक और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को भिन्न रूप में समझा जाएगा न कि एक जैसे आधारों पर और इस बारे में **टी. एम. ए. पई फाउंडेशन** (पूर्वोक्त) वाले मामले में अभिव्यक्त मत तथा **पी. ए. इनामदार** (पूर्वोक्त) वाले मामले में अभिव्यक्त मत को दृष्टिगत करते हुए और बहस की आवश्यकता नहीं है ।

31. इस स्तर पर किसी व्यक्ति द्वारा धारित शिक्षा, ज्ञान और अध्ययन सामूहिक रूप से राष्ट्रीय हित गठित करता है । अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं द्वारा चाहे वह सहायताप्राप्त हों या गैर-सहायताप्राप्त, राज्य स्तर पर प्रवेश दिए जाएंगे । प्रवेश पारदर्शिता और गुण-दोष के आधार पर किए जाने चाहिए । ऐसा अभिकर्ता जो सी. ई. टी. संचालित करता है, एक ऐसा

अभिकर्ता होना चाहिए जो पूर्ण विश्वसनीयता के साथ कार्य करता हो और मामले में विशेषज्ञता रखता हो । ऐसा अभिकर्ता पारदर्शिता और गुण-दोष के दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेहतर साबित होगा ।

32. ऐसी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के साथ-साथ केन्द्रीयकृत परामर्श आयोजित करना या दूसरे शब्दों में प्रवेश विनियमित करने वाली एकल विन्डो प्रणाली का अनुसरण करना अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं को अपनी पसन्द के छात्रों को प्रवेश देने के लिए निवारित नहीं करती । ऐसी पसन्द का प्रयोग इस प्रकार पसन्द किए गए छात्रों के मुकाबले गुण-दोष के क्रम को परिवर्तित किए बिना सी. ई. टी. द्वारा तैयार की गई सफल छात्रों की सूची का प्रयोग करके किया जा सकता है जैसा कि **पी. ए. इनामदार**[1] (पूर्वोक्त) वाले मामले के पैरा 136 में कहा गया है ।

33. **पी. ए. इनामदार** (पूर्वोक्त) वाले मामले में प्रश्न सं. 2 का उत्तर देते हुए निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया है :–

> "137. **टी. एम. ए. पई फाउंडेशन** (पूर्वोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त संस्थाएं विधिक रूप से प्रवेश अनुज्ञात करने के लिए छात्रों का चयन करने के उन्मुक्त मूल अधिकार का दावा कर सकती हैं बशर्ते कि इसके लिए प्रक्रिया ऋजु और पारदर्शी हो और अनुचित न हो । यही सिद्धान्त गैर-अल्पसंख्यक और सहायता प्राप्त संस्थाओं को भी लागू होता है । ऐसी सभी संस्थाएं जो एक जैसी वृत्तिक शिक्षा प्रदान करती हैं, उपर्युक्त उल्लिखित तेहरी परीक्षा को पूरा करने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए साथ-साथ कार्य कर सकती हैं । राज्य ऋजु और गुण-दोष पर आधारित प्रवेश प्राप्त करने के हित में तथा अव्यवस्था को रोकने के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया उपबंधित कर सकता है । यदि प्राइवेट संस्था या संस्थाओं के समूह अनुसरण की गई इस प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया ऊपर उल्लिखित तेहरी परीक्षा के सभी या किसी मानक को पूरा करने में विफल रहते हैं तो राज्य स्वयं अपनी प्रक्रिया प्रतिस्थापित करके मामले को नियंत्रित कर सकती है । दूसरे प्रश्न का तद्नुसार उत्तर दिया जाता है ।
>
> 138. यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि छात्र-समुदाय के

---

[1] (2005) 6 एस. सी. सी. 537.

गुणागुण को उन्नत करने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और दुर्व्यवस्था को रोकने के लिए छात्रों के बृहत्तर हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह अनुज्ञेय होगा कि केन्द्रीयकृत और एकल विन्डो प्रणाली उपबंधित करके प्रवेश विनियमित किए जाएं । ऐसी कोई प्रक्रिया काफी हद तक पारदर्शिता के आधार पर गुण-दोष पर आधारित प्रवेशों को मंजूरी प्रदान कर सकती है ।"

34. **टी. एम. ए. पई** (पूर्वोक्त) वाले मामले में, प्रतिपादित और **पी. ए. इनामदार** (पूर्वोक्त) वाले मामले में स्पष्ट विधि के सिद्धान्तों का इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है :–

"(क) वृत्तिक/तकनीकी शिक्षण संस्थाएं स्वयं द्वारा एक ऐसा वर्ग गठित करती हैं जो गैर-वृत्तिक शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्था से भिन्न हैं ।

(ख) एक ओर पूर्व-स्नातक स्तर तक शिक्षा और दूसरी ओर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा तथा वृत्तिक और तकनीकी संस्थाओं में शिक्षा को समान बातें लागू न करते हुए इन्हें भिन्न स्तर पर समझा जाएगा और इस प्रतिपादना के बारे में अतिरिक्त बहस की आवश्यकता नहीं है ।

राष्ट्र/राज्य हित में विरचित कोई विनियम आवश्यक रूप से सभी शिक्षण संस्थाओं को चाहे वे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक, लागू होगा । अनुच्छेद 30(1) ऐसा नहीं हो सकता जो राष्ट्रीय हित पर अध्यारोही हो या सरकार को इस बारे में विनियम विरचित करने से निवारित करे । ऐसे किसी निर्बंधन को अनिवार्यतः अनुच्छेद 30 में पढ़ा जाना चाहिए ।

(ग) अनुच्छेद 30 पारदर्शिता प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए और तकनीकी/वृत्तिक शिक्षा देने वाली गैर-सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में गुणता को मान्यता देने के लिए राज्य के लिए बाधक नहीं हो सकता और यह बात इस सिद्धान्त पर आधारित है कि शिक्षा देने के अधिकार में दुर्व्यवस्था करना सम्मिलित नहीं है ।

(घ) राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा सहबद्धता/मान्यता की आवश्यकता शर्तें अधिकथित करना विनियम की संकल्पना में निहित है जो गुणता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने और दुर्व्यवस्था को

रोकने की आवश्यकता से संगत है । चूंकि इस स्तर पर शिक्षा राष्ट्रीय समृद्धि गठित करती है इसलिए गुणता की अनदेखी नहीं की जा सकती ।

(ङ) राज्य, नीति के मामले के रूप में स्वयं अपनी प्रक्रिया प्रतिस्थापित कर सकता है अतः यह अनुज्ञेय होगा कि राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक्तः विहित केन्द्रीकृत एकल विन्डो प्रक्रिया उपबंधित करके प्रवेशों को विनियमित किया जाए । अल्पसंख्यक गैर-सहायताप्राप्त संस्था को अपनी पसंद की स्वतंत्रता छात्रों की सूची में उपलब्ध है ।

(च) तकनीकी और वृत्तिक संस्थाओं के लिए गुणता आधारित प्रवेशों पर न केवल प्रवेश प्रक्रिया पर नजर रखने की आवश्यकता है अपितु फीस ढांचे का निर्धारण करने की भी आवश्यकता है और ऐसे विनियम अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक किसी के भी अधिकारों के अतिक्रमण में नहीं हैं ।

(छ) अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था में चाहे वह सहायताप्राप्त हो या गैर-सहायताप्राप्त, प्रवेश राज्य स्तर पर किए जाएंगे और प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला अभिकर्ता अर्थात् सी. ई. टी. को पूरी विश्वसनीयता के साथ और मामले में विशेषज्ञता के साथ कार्य करना चाहिए ।"

35. तथापि, उच्चतम न्यायालय द्वारा **इस्लामिक एकेडमी** (पूर्वोक्त) वाले निर्णय में अभिव्यक्त मत को दृष्टिगत करते हुए एन. सी. टी. ई. के अधीन कौंसिल द्वारा विरचित विनियम, आदेश 1987 द्वारा संशोधित किए गए थे । उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सहबद्ध, सहयुक्त और घटक महाविद्यालयों में डिग्री के लिए अनुदेश के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश के विनियम) (चौथा संशोधन) आदेश, 2005 का पैरा 7, 12, और 14 के सुसंगत संशोधित उपबंध इस प्रकार हैं :—

"7. प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने सहबद्ध, सहयुक्त और घटक महाविद्यालयों में स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्वयं अपनी संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा । सभी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा एक ही तारीख को जो राज्य सरकार द्वारा नियत की जा सकेगी, आयोजित करेंगे ।

7(क) यदि स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए प्रवेश

परीक्षा स्व-वित्त पोषित संस्थाओं के संगम द्वारा आयोजित की जाती है तो ऐसी परीक्षा की तारीख विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा की तारीख से भिन्न होगी ।

12(1) प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों और ऊपर उल्लिखित पैरा 11 के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक्-पृथक् सूची तैयार की जाएगी ;

(2) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर अंक प्राप्त किए जाते हैं और पैरा 11 उसी विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय से सहबद्ध या सहयुक्त या घटक महाविद्यालय के अभ्यर्थी को समान अधिमानता प्रदान करता है तो भले ही अंक समान हों, अधिक आयु के अभ्यर्थी को अधिमानता दी जाएगी ।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट की लिखित में रिपोर्ट है या उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में दांडिक कार्यवाहियां प्रक्रियाधीन हैं या यदि अभ्यर्थी को किसी दांडिक मामले में किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है या अभ्यर्थी को अऋजु साधनों का उपयोग करने के कारण दो या अधिक वर्षों के लिए बहिष्कृत किया गया है तो महाविद्यालय का प्रधानाचार्य उप-कुलपति के पूर्वतर लिखित अनुमोदन से ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश देने से इनकार कर सकता है ।

(4) विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से और विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण के अधीन स्व-वित्त पोषित संस्थाओं के संगम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार गुणता सूची के लिए मानदंड वही होगा जो ऊपर उल्लिखित किया गया है ।

14(क) संबंधित महाविद्यालय का प्रधानाचार्य मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन के पश्चात् अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा ।

(ख) अनन्तिम प्रमाणपत्र विशेषतया पैरा 11 के अधीन अंकों के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ग) प्रधानाचार्य किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने से अंतिम रूप से इनकार करने से पूर्व उप-कुलपति का पूर्व अनुमोदन लेगा ।

(घ) विश्वविद्यालय एक प्रतीक्षा-सूची भी तैयार करेगा । यदि कक्षाएं आरम्भ होने के पश्चात् एक मास के भीतर कोई स्थान खाली

रहता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा । खाली स्थानों को भरने के लिए महाविद्यालय और अभ्यर्थी को सूचित करने की विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होगी;

(ङ) प्रवेश के लिए चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी प्रवेश से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि अभ्यर्थी हकलाता नहीं है और कान, आंख या अन्य किसी अवयव की बीमारी के कारण अध्यापक पद के लिए अनुपयुक्त नहीं है;

(ट) प्रबंधमंडल कोटा के अधीन प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की गुणता-सूची के आधार पर महाविद्यालय द्वारा किए जाएंगे, और ऐसी सूची उपर्युक्त आदेश के पैरा 12 के अनुसार तैयार की जाएगी । तथापि, यदि प्रवेश परीक्षा स्व-वित्त पोषित संस्थाओं के संगम द्वारा पूर्व अनुमति से और विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण में आयोजित की जाती है तो प्रबंधमंडल कोटे के अधीन प्रवेश ऐसी प्रवेश परीक्षा की गुणता सूची के आधार पर दिए जाएंगे । तथापि, संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग, प्रवेश प्रक्रिया के आरम्भ होने से पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा । प्रबंधमंडल कोटा के अधीन प्रवेश के लिए संबंधित महाविद्यालय, प्रवेश आवेदन आमंत्रित करने के लिए सूचना प्रकाशित कराएगा जो संबंधित जिले में वृहत्तर रूप से परिचालित दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित की जाएगी जिसमें आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दी जाएगी और ऐसे आवेदनों के लिए ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा । गुणता सूची अंतिम तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों के आधार पर तैयार की जाएगी । गुणता सूची संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित की जाएगी और अनुमोदित गुणता सूची के अनुसार छात्रों को उन स्थानों की संख्या के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे जैसा कि राज्य सरकार प्रबंधमंडल कोटा के अधीन अवधारित करे । यदि प्रबंधमंडल कोटा के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या तक छात्र उपलब्ध नहीं हैं तो प्रवेशों को पूरा करने के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी । केवल ऐसे छात्र इस प्रवेश प्रक्रिया के अधीन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में भाग लिया हो और जिनके नाम

विश्वविद्यालय द्वारा घोषित गुणता सूची में अंकित हों या जिनके नाम स्व-वित्त पोषित संस्थाओं के संगम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा की गुणता सूची में प्रकाशित किए गए हों । प्रबंधमंडल कोटा के अधीन प्रवेश के संबंध में अन्य उपबंध ऊपर उल्लिखित रूप में होंगे ।"

36. आदेश, 2005 के गहन परिशीलन और जांच से यह उपदर्शित होता है कि ये आदेश एन. सी. टी. ई. द्वारा विरचित कानूनी विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए थे और तारीख 27 मई, 2005 को अधिसूचित किए गए थे । इस विनियम का पांचवां संशोधन राज्य सरकार द्वारा तारीख 1 सितम्बर, 2005 को किया गया था । अन्ततः, तारीख 1 फरवरी, 2007 को प्रभावी आदेश द्वारा जो सातवां संशोधन आदेश है, खंड 7 राज्य सरकार पर किसी विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया था । उक्त खंड इस प्रकार उपबंधित है :–

> "संयुक्त प्रवेश परीक्षा ऐसे राज्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक शिक्षण सत्र में स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए प्राधिकृत हो । परीक्षा की तारीख राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी ।
>
> यदि स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा राज्य स्तर की स्व-वित्त पोषित संस्थाओं के संगम द्वारा आयोजित की जाती है तो परीक्षा की तारीख उस परीक्षा की तारीख से भिन्न होगी जो राज्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई है ।"

37. अतः यह स्पष्ट है कि इस आदेश के अधीन शिक्षण वर्ष 2007-08 से राज्य स्तर परीक्षा एवं एकल विन्डो प्रणाली के रूप में इस विकल्प के साथ उपबंधित की गई है कि संगम राज्य स्तर पर अपनी परीक्षाएं आयोजित करें बशर्ते कि संगम ऐसी सभी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हों ।

38. आदेश 2005 के पैरा 3 के उपपैरा (1) का संशोधित खंड (ग) यह उपबंध करता है कि यदि प्रवेश परीक्षा स्व-वित्त पोषित संस्था द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है तो ऐसी परीक्षा की तारीख विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा की तारीख से भिन्न होगी ।

39. शिक्षण वर्ष 2007-08 से राज्य स्तर परीक्षा एकल विन्डो प्रणाली के रूप में उपबंधित की गई है । प्रवेश की प्रक्रिया विहित करने वाले और

विश्वविद्यालयों को राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित करने हेतु अनुज्ञात करने वाले राज्य आदेश सुसंगत शिक्षण वर्षों के दौरान होने वाली परीक्षाओं को लागू होते हैं । ऐसे इंतजाम किसी भी प्रकार से एन. सी. टी. ई. द्वारा विरचित या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अधीन विरचित विनियमों के विरोध में नहीं हैं ।

40. राज्य ने तारीख 10 जून, 2015 को अधिसूचित दसवें संशोधन द्वारा 1987 के विनियम को संशोधित किया जिसे सत्र 2015 और उसके पश्चात् लागू किया गया । यह विनियम सी. ई. टी. पर आधारित राज्य की सभी संस्थाओं में प्रवेश के लिए एकल विन्डो तथा परामर्श के सिद्धान्त के बारे में उपबंध करता है ।

41. उपबंधों के मानक जो ऊपर उद्धृत किए गए हैं और न्यायिक नजीरें जो ऊपर उल्लिखित की गई हैं, और जो मामले के तथ्यों से संबंधित हैं, यह उपदर्शित करती हैं कि वर्तमान मामले में, इस बारे में विवाद नहीं किया जा सकता कि याची-संस्था इस तथ्य से भली-भांति परिचित थी कि प्रश्नगत 50 प्रतिशत स्थान उन अभ्यर्थियों में से भरे जाएंगे जो शिक्षा स्नातक कार्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठे हों और 50 प्रतिशत स्थान अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे । विवाद्यक यह है कि जहां 50 प्रतिशत छात्रों को राज्य या इसके सहायक अभिकर्ताओं द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिए जाने की अपेक्षा है, और जहां अपेक्षित छात्रों की संख्या के नाम नहीं भेजे जाते हैं क्या वहां अल्पसंख्यक संस्था इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वह उक्त स्थानों को अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा की गुणता-सूची के आधार पर भरे ।

42. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रथमतः हम **टुपलेस एजुकेशनल सोसायटीज और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले की परीक्षा करेंगे जिसमें पूर्ण न्यायपीठ द्वारा विचारार्थ छह प्रश्न विरचित किए गए थे जिनका निम्नलिखित रूप में उत्तर दिया गया था :–

> "1. क्या एन. सी. टी. ई. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा देने वाले और विश्वविद्यालय से सहबद्ध प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त (अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक) महाविद्यालयों में राज्य/विश्वविद्यालयों द्वारा या राज्य के सभी

---

[1] 2008 (3) ए. डब्ल्यू. सी. 2499.

महाविद्यालयों के समूह द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने से भिन्न किसी रीति में प्रवेश दिए जा सकते हैं जैसा कि **पी. ए. इनामदार** (पूर्वोक्त) वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है ?

उत्तर – नहीं

2. ....

3. क्या सभी महाविद्यालयों के समूह द्वारा आयोजित किसी संयुक्त प्रवेश परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा या राज्य के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अभाव में वैयक्तिक विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा द्वारा इन महाविद्यालयों के लिए परामर्श के जरिए छात्रों की सूची तैयार करके प्रवेश दिए जा सकते हैं ?

उत्तर – हां

4. ....

5. क्या सत्र 2005-06 के लिए एन. सी. टी. ई. द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा स्नातकों के लिए शिक्षा देने वाले प्राइवेट और गैर-सहायताप्राप्त महाविद्यालयों के प्रबंधमंडल द्वारा और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से सहबद्ध महाविद्यालयों के प्रबंधमंडल द्वारा प्रवेश दिए गए छात्रों के जिन्हें अपनी प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश दिए गए थे, के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे उचित रूप से और विधिक रूप से प्रवेश दिए गए छात्र हैं और वे अध्ययन परीक्षा के लिए और परिणाम घोषित कराने के लिए हकदार हैं ?

उत्तर – नहीं

6. ....।"

43. न्यायालय ने प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त महाविद्यालयों द्वारा दिए गए शिक्षा स्नातक प्रवेशों को अकृत मानते हुए स्पष्टतया यह अभिनिर्धारित किया कि स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा देने वाले प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त (अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक) महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश के लिए अपनाई गई रीति उस रीति से भिन्न नहीं हो सकती जो सी. टी. ई. द्वारा आयोजित या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा अथवा राज्य के महाविद्यालयों के समूह द्वारा आयोजित की गई है ।

44. इस प्रश्न का उत्तर **कालेज आफ प्रोफेशनल इग्जामिनेशन** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में भी मिल जाता है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने छात्रों की अनुमोदित संख्या मंजूर करने की मांग को नकार दिया था । निर्णय का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

> "किसी संस्था की छात्रों को लेने की क्षमता जैसाकि एन. सी. टी. ई. द्वारा जारी मान्यता आदेश में उल्लिखित की गई है या संबद्ध विश्वविद्यालय के किसी आदेश में उल्लिखित है, केवल ऐसे छात्रों की अधिकतम संख्या को निर्दिष्ट करती है जो संस्था को अपनी अवसंरचना और अध्यापन तथा अन्य कर्मचारियों सहित अन्य साधनों को ध्यान में रखते हुए स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुज्ञात है । इसका यह अर्थ नहीं है कि छात्रों की ऐसी संख्या प्रवेश के लिए उपलब्ध है और न ही छात्रों की ऐसी संख्या को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिया जाए अथवा ऐसी संख्या संबद्ध विश्वविद्यालय/सी. ई. टी./राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जानी हैं । किसी शिक्षण संस्था के हक में ऐसा कोई सांविधानिक या कानूनी/विधिक अधिकार नहीं दिया गया है, और न ही उपर्युक्त प्राधिकारियों पर कोई तत्स्थानी दायित्व है । यदि छात्र किसी शिक्षण संस्था में परामर्श प्रक्रिया द्वारा प्रवेश लेना पसन्द नहीं करते हैं तो उनके स्थान रिक्त रहेंगे और यह बात विधि की दृष्टि में शिकायत का कारण नहीं बन सकती ।"

45. जब एक बार स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा 50 प्रतिशत प्रवेश की नीति के बारे में कोई विचलन नहीं है और 50 प्रतिशत प्रवेश संस्थाओं के समूह द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर बनाई गई योग्यता सूची से लिए जाएंगे, तब तारीख 14 फरवरी, 1999 को शासकीय आदेश इस कारण से याची-संस्था का किसी भी प्रकार से बचाव या उसे मुक्त नहीं करता कि उक्त शासकीय आदेश तारीख 9 मई, 2014 के शासकीय आदेश को जारी करने से पूर्व जारी किया गया था क्योंकि तारीख 9 मई, 2014 के शासकीय आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उपबंधित प्रतिशत का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा और स्वयं याची के अनुसार उक्त नीति का वर्तमान तारीख तक समान रूप से अनुसरण किया जा रहा है ।

---

[1] (2013) 2 एस. सी. सी. 721.

46. इस प्रश्न पर हम एक दूसरे इस तथ्य की अवेक्षा करते हैं कि जहां तक अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह का संबंध है, उन्हें स्वयं अपनी परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राधिकार दिया गया है । जब एक बार प्रश्नगत अल्पसंख्यक संस्था ने परीक्षा आयोजित करने के लिए किसी संगम का गठन कर लिया हो तो ऊपर उल्लिखित उपबंधों और समय-समय पर दी गई नजीरों के अनुसार इसे अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह को स्थानीय स्तर पर कभी भी प्राधिकृत नहीं किया गया अर्थात् उनकी सहबद्धता चयन प्रक्रिया ग्रहण करने पर आधारित है । दोनों ही मामलों में प्रश्नगत चयन अर्थात् राज्य सरकार द्वारा अपने अभिकर्ता के जरिए आयोजित परीक्षा में संयुक्त प्रवेश परीक्षा राज्य स्तर पर ली जाएगी तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह द्वारा ली जाने वाली परीक्षा आवश्यक रूप से ऐसी परीक्षा है जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है और इसे दृष्टिगत करते हुए हम सी. सी. एस. विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध अल्पसंख्यक संस्थाओं की प्रक्रिया और रीति पर किसी भी प्रकार से टिप्पण नहीं कर रहे हैं ।

47. भविष्य में, अल्पसंख्यक संस्थाएं भी देश की विधि का पालन करेंगी अर्थात् यदि वे अपने लिए विहित 50 प्रतिशत स्थानों को भरेंगे और तत्पश्चात् राज्य स्तर पर सभी महाविद्यालयों की प्रश्नगत सोसायटी/संगम छात्रों के चयन के लिए प्रचलित प्रक्रिया अपनाएंगे तथापि, ऐसी प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर होगी न कि निश्चित रूप से **पी. ए. इनामदार** (पूर्वोक्त) वाले मामले में यथाउल्लिखित उपबंधों के अनुसार । सभी संस्थाओं द्वारा राज्य स्तर पर ऐसी परीक्षा पर बल छात्र समुदाय के बृहत्तर हित को दृष्टिगत करते हुए और गुणता को बढ़ाने के लिए, उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए और प्रवेश विनियमित करने हेतु गलत तरीका बन्द करने के लिए दिया गया है और इसलिए केन्द्रीयकृत और एकल विन्डो प्रक्रिया उपबंधित की गई है ।

48. वर्तमान मामले में, हम इस उपधारणा पर चल रहे हैं कि "अधिनियम, 2006" के उपबंध अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होते हैं तथापि, इसका स्वतः यह अर्थ नहीं हो सकता कि ऐसी विधि जो अधिनियम या अन्य विधि के प्रवर्तन से पूर्व लागू होती है और जो उसके पश्चात् जारी की गई है, अल्पसंख्यक संस्थाओं को लागू नहीं होती है । अल्पसंख्यक संस्थाएं उन विनियामक उपायों का अनुपालन करेंगी जो पारदर्शिता और ऋजुता बनाए रखने के लिए लागू किए गए हैं और इसे दृष्टिगत करते हुए हमारे सुविचारित मतानुसार इस बात के लिए कोई अवसर या न्यायोचित्य

नहीं है कि उपबंधों को मनमाना या अयुक्तियुक्त मानकर अल्पसंख्यक संस्थाओं को इसके क्षेत्र और "अधिनियम, 2006" की परिधि से बाहर रखा जाए और तद्नुसार अधिकारातीत माना जाए जबकि इसका प्रभाव इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए उपदर्शित होना आवश्यक था कि "अधिनियम, 2006" के उपबंध लागू नहीं होंगे अपितु अन्य विनियामक उपाय जो इस संबंध में सतत रूप से लागू हैं, विश्वविद्यालय से संबद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में भी अल्पसंख्यक संस्था के कार्यों पर सतत रूप से लागू होंगे । ये उपबंध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन यथा उल्लिखित उपबंधों के अनुसार हैं और अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कौंसिल द्वारा मान्यताप्राप्त और अनुमोदित हैं । उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1933 के लिए उपबंधित विनियामक उपाय तथा एन. सी. टी. ई. अधिनियम, 1973 के अधीन उपबंधित उपाय विश्वविद्यालय की सहबद्धता के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अल्पसंख्यक संस्था पर लागू होंगे तथा मान्यता और अनुमोदन के निबंधनों और शर्तों के अनुसार भी संस्थाएं इन्हें लागू करने के लिए आबद्ध हैं । "अधिनियम, 2006" के उपबंध किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में लागू अन्य सभी विद्यमान विधि के प्रतिस्थापन में नहीं हैं ।

49. **सेन्ट जान इन्टर कालेज** बनाम **गिरधारी सिंह**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए यह दलील दी गई कि जब एक बार अल्पसंख्यक संस्था को 2006 के अधिनियम के उपबंधों से छूट दे दी गई हो तो इस बारे में यह विधायी आशय स्पष्ट है कि विधान-मंडल का यह कभी भी आशय नहीं था कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा लेने के लिए बाध्य किया जाए और तद्नुसार पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है । जहां तक उक्त निर्णय का संबंध है, इसमें अल्पसंख्यक संस्थाओं को 1982 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 5 के उपबंधों से छूट दी गई है और इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि विधान-मंडल का यह आशय स्पष्ट है कि विधान-मंडल अल्पसंख्यक संस्था के किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के लिए बोर्ड के अनुमोदन/अननुमोदन की आवश्यकता महसूस नहीं करता । उक्त निर्णय भिन्न संदर्भित स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जबकि वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में है और छात्रों के प्रवेश के मामले में अल्पसंख्यक संस्था के अधिकार के संबंध में ऊपर पहले ही विचार किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त "अधिनियम, 2006"

[1] 2010 ला सूट (एस. सी.) 581.

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 तथा एन. सी. टी. ई. अधिनियम, 1993 के उपबंध लागू होने को नहीं नकार सकता ।

50. याची-संस्था ने सही दिशा में बात को समझा है और तद्नुसार 21 छात्रों को प्रवेश देकर सही कार्य किया है जैसा कि केन्द्रीय परामर्श और याचियों की संस्था द्वारा सिफारिश की गई है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मात्र इस कारण कि अधिनियम, 2006 अल्पसंख्यक संस्था को छूट देने के लिए उपबंध करता है इसलिए वे विधि के किसी नियम से विनियमित नहीं होते हैं । सही स्थिति यह है कि जहां कहीं विधि 2006 के अधिनियम को प्रवर्तन से पूर्व लागू होती है और अधिनियम, 2006 के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है वहां वह इस बारे में कोई विभेद किए बिना कि क्या प्रश्नगत संस्था एक अल्पसंख्यक संस्था है या यह एक गैर-अल्पसंख्यक संस्था, उक्त निदेश राज्य सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त निर्देशों के साथ सतत रूप से लागू होता है ।

51. याचियों ने यह दलील देने के लिए **पारामती ट्रस्ट एजुकेशनल एण्ड कल्चरल** बनाम **यूनियन आफ इंडिया**[1] वाले मामले का अवलंब लिया है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को अपनी पसन्द के 100 प्रतिशत स्थानों को भरने का आत्यंतिक अधिकार है । इस संबंध में, यह दलील दी गई है कि इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ ने **नेशनल महिला महाविद्यालय, बलरामपुर** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में संपूर्ण स्वीकृत स्थानों को भरने की अनुमति दी है और समान रूप में शेष 29 स्थानों के संबंध में याची संस्था को भी अनुमति दी जानी चाहिए । प्रश्नगत उक्त निर्णय विद्वान् स्थायी काउंसेल की जानकारी में लाकर जवाब मांगा गया कि क्या उक्त मामला उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय अर्थात् **पारामती** (पूर्वोक्त) वाले मामले के विनिश्चय को लागू होता है । अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि उक्त **पारामती** (पूर्वोक्त) वाले मामले में क्या मत व्यक्त किया गया है । न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में विवाद्यक संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा प्रस्थापित अनुच्छेद 15 के खंड (5) की वैधता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21क की वैधता के संबंध में था :–

> "(4) संसद् द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (5) और अनुच्छेद 21क दोनों ही संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन अपनी

---

[1] (2014) 8 एस. सी. सी. 1.

[2] 2014 की विशेष अपील (डी.) संख्या 36, तारीख 25 सितम्बर, 2014 को विनिश्चित ।

संशोधन की शक्ति के प्रयोग में अन्तःस्थापित किए गए थे । इस न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने केशवानन्द भारती श्रीपाद गलवरु **बनाम** केरल राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 1461 वाले मामले में संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संसद् की संशोधन करने की शक्ति के क्षेत्र पर विचार किया और न्यायाधीशों ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान का अनुच्छेद 368 संसद् को संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित करने के लिए सशक्त नहीं करता । अतः हम इस निर्देश में निम्नलिखित दो सारभूत विधिक प्रश्नों को विनिश्चित करने के लिए अग्रसर होते हैं –

(i) क्या संसद् ने संविधान (93वें संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (5) का अन्तःस्थापन करके संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित किया है ?

(ii) क्या संसद् ने संविधान (86वें संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21क अन्तःस्थापित करके संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित किया है ?"

52. अनुच्छेद 21क छह से सोलह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसी रीति में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करता है जिसे राज्य विधि द्वारा अवधारित करे । तद्नुसार संसद् द्वारा छह से सोलह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बालकों का अधिकार अधिनियम, 2009 (जिसे आगे संक्षेप में "2009 का अधिनियम" कहा गया है) अधिनियमित किया । 2009 के अधिनियम की विधिमान्यता को **सोसायटी फार अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स आफ राजस्थान** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में आक्षेपित किया गया था जिस पर तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया था । 2009 के अधिनियम की विधिमान्यता की पुष्टि की गई थी और उसे अन्यों के साथ-साथ ऐसे सहायताप्राप्त विद्यालयों पर भी लागू माना गया था जो अपने खर्चों को संपूर्णतः या भागतः पूरा करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करते हैं । तथापि, चूंकि 2009 का अधिनियम विशेषतया धारा 12(1)(ग) और 18(3)

[1] (2012) 6 एस. सी. सी. 102.

संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन गैर-सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को गारंटीकृत मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है, इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि 2009 का अधिनियम ऐसे गैर-सहायताप्राप्त विद्यालयों को लागू नहीं होगा ।

53. सांविधानिक न्यायपीठ ने **पारामती ट्रस्ट**[1] वाले मामले में विधि, उपबंधों और दिए गए निर्णयों पर चर्चा करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि यदि 2009 का अधिनियम सहायताप्राप्त या गैर-सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को लागू किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन अल्पसंख्यक का अधिकार रद्द हो जाएगा । **सोसायटी फार अनएडेड प्राइवेट स्कूल आफ राजस्थान** (पूर्वोक्त) वाले मामले में अभिव्यक्त मत जहां तक यह इस बात से संबंधित है कि 2009 का अधिनियम सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को लागू होगा, सही नहीं है । अतः, **पारामती ट्रस्ट**[1] वाला मामला पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रम (विद्यालय) की शिक्षा देने वाली अल्पसंख्यक संस्थाओं को लागू होता है जबकि सहायताप्राप्त और गैर-सहायताप्राप्त संस्था को राज्य हस्तक्षेप के बिना अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का आत्यंतिक अधिकार प्राप्त है । इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 15(5) के अधीन आरक्षण अल्पसंख्यक संस्था पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता भले ही संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अन्तःस्थापन की पुष्टि की गई हो । न्यायालय ने प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थाओं के जो स्नातक/स्नातकोत्तर/तकनीकी या वृत्तिक शिक्षा प्रदान करती हैं, अधिकारों के संबंध में मत व्यक्त नहीं किया था जो कि **टी. एम. ए. पई फाउंडेशन** (पूर्वोक्त) वाले मामले में निर्धारित कर दिए गए हैं और जो पूर्णतया भिन्न आधारों पर नियत किए गए हैं । उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय विशिष्ट कानूनी उपबंधों के निर्देश में और संदर्भ में पढ़ा जाएगा जिन्हें विधि अधिकथित करती हो क्योंकि न्यायालय का विनिश्चय मामले में अन्तर्वलित विभिन्न प्रश्नों के संदर्भ में दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि यह विनिश्चय पश्चात्वर्ती मामले में लागू होगा इसलिए न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्याबद्ध है कि क्या न्यायालय द्वारा सही सिद्धान्त अधिकथित किया गया है । विनिश्चय का इस प्रतिपादना के समर्थन में अवलंब नहीं लिया जा सकता कि ऐसा विनिश्चय नहीं किया गया ।

---

[1] (2014) 8 एस. सी. सी. 1.

54. ऐसी स्थिति में जब एक बार प्रश्नगत प्रवेश विश्वविद्यालय परामर्श द्वारा परीक्षा आयोजित करने के अन्तर्गत आता हो तो यह निश्चित रूप से राज्य के ऐसे नीति विनिश्चय की परिधि के अन्तर्गत आता है जो उन उपबंधों से संगत है जो एन. सी. टी. ई. के अधीन विरचित विनियमों के अधीन तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सहबद्ध/सहयुक्त/घटक महाविद्यालयों) में शिक्षा में डिग्री के लिए अनुदेश के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का विनियमन आदेश, 1987 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 28 के उपबंधों के अधीन उल्लिखित हैं । वर्ष 2007-08 से राज्य स्तर परीक्षा एक एकल विन्डो प्रणाली के रूप में उपबंधित की गई है और अल्पसंख्यक संस्था के लिए 50 प्रतिशत स्थान स्वीकार किए गए हैं और इस वैचारिक प्रक्रिया को दृष्टिगत करते हुए अल्पसंख्यक संस्थाओं को शत-प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते ।

55. परिणामतः, वर्तमान मामले में जब एक बार मामले के तथ्यों पर विचार कर लिया गया हो तो यह निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि याची-संस्था इस तथ्य से अवगत थी कि वह संपूर्ण राज्य में स्थित अल्पसंख्यक संस्थाओं के समूह द्वारा राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित करके स्वयं अपने मंजूर स्थानों के 50 प्रतिशत स्थान भरने के लिए हकदार हैं और 50 प्रतिशत स्थान ऐसी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अधीन भरे जाने हैं जो इस प्रकार विहित की गई है तथापि, किसी भी समय याची संस्था ने ऐसे रिक्त स्थानों को भरने के लिए किसी शक्ति या स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सी. टी. ई.) द्वारा भरे जाने थे । वर्तमान मामले में, याचियों ने कोटे की उस परिसीमा का अतिक्रमण और अतिलंघन नहीं किया जो उनके द्वारा भरने के लिए विहित थी ।

56. जब एक बार याची ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हों तो वे इस न्यायालय से यह व्यर्थ अनुकम्पा मांगने के बजाय कि उक्त छात्रों को समायोजित किया जाए, अपने आपको दोषी माने । इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ पहले ही ऐसी कार्रवाई को अननुमोदित कर चुकी है जिसमें प्रबंधमंडल समिति ने अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण और अतिलंघन करते हुए छात्रों को प्रवेश दिया था और यह इस कारण हुआ कि इस कार्य से अन्य छात्रों को प्रवेश लेने के प्रयत्न से रोका जाए और तत्पश्चात् साम्या की बात की जाए । याची इस बात के लिए कर्तव्याबद्ध हैं कि वे इसका अतिक्रमण करने के बजाय विधि अनुसार कार्य

करें और तत्पश्चात् उन्होंने इसे गलत अनुकम्पा के आधार पर माफी प्राप्त करने का प्रयास किया और इसे दृष्टिगत करते हुए जहां तक हमारा संबंध है, हम विधि के किसी प्राधिकार के बिना 29 छात्रों को प्रवेश देने की कार्यवाही में प्रबंधमंडल के कार्य को किसी भी प्रकार से माफ नहीं कर रहे हैं ।

57. यह सही हो सकता है कि उक्त 29 छात्र उसी सूची में से हों जिससे 50 छात्रों को प्रवेश दिया गया है । जब एक बार प्रश्नगत कोटा नियत कर दिया गया हो, तब उक्त प्रश्नगत कोटा इस बात को दृष्टिगत करते हुए विस्तारित नहीं किया जा सकता कि 29 छात्रों को सम्मिलित करना पूर्णतया अनावश्यक है और इसलिए विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों को स्वीकार न करने में अपने अधिकार के भीतर कार्य किया है जिनका विषय में प्रवेश कानूनी उपबंध के अनुसार नहीं दिया गया था अपितु ये प्रवेश विधि का अतिक्रमण करके दिए गए थे ।

58. इस मत की विभिन्न मताभिव्यक्तियों से जो विद्वान् एकल न्यायाधीश ने विनिश्चय करने की प्रक्रिया के अधीन की हैं, पुष्टि होती है तथापि, निश्चित रूप से उन निष्कर्षों की जो विद्वान् एकल न्यायाधीश ने निकाले हैं, हमारे द्वारा इस कारण से अनुसरण किया जा रहा है कि जब एक बार कोटा निःशेष हो गया हो तो प्रश्नगत महाविद्यालय को छात्रों को प्रवेश देने का कोई प्राधिकार नहीं है भले ही प्रश्नगत स्थान अपशेष हों या अपशेष रहें ।

59. इस प्रक्रम पर, हम उस निर्णय की भी अवेक्षा करना चाहेंगे जिसका विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है अर्थात् **एस. निहाल अहमद** बनाम **दि डीन बालाम्मल मेडिकल कालेज हास्पीटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य**[1] वाला मामला, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने **चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और एक अन्य** बनाम **जेसमीन कौर और अन्य**[2] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यदि संस्था के दोष के कारण किसी अभ्यर्थी का किसी शिक्षण वर्ष में चयन नहीं होता है और यदि इस प्रक्रिया में स्थान भरे जाते हैं और समय बीत जाने के कारण प्रवेश देने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है तो छात्र नुकसानी/प्रतिकर पाने के हकदार हैं । परिणामतः वर्तमान

[1] (2016) 1 एस. सी. सी. 662.
[2] (2014) 10 एस. सी. सी. 521.

मामले में, जब एक बार छात्रों को गलत रूप से प्रवेश दे दिया गया है और उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा स्नातक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया है तो जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि हम प्रबंधमंडल समिति के अवैध कार्य का अनुमोदन नहीं कर सकते और इसलिए विद्वान् एकल न्यायाधीश अपनी प्रज्ञा से उक्त छात्रों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने में पूर्णतया सही है क्योंकि स्वीकृततः उनका मूल्यवान एक शिक्षण वर्ष बेकार हो गया है । परिणामतः, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है तथापि, हम मामले को निपटाने से पूर्व यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इसके सही अर्थ और भावना में अनुपालन नहीं किया गया है और यदि अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी 50 प्रतिशत स्थान भरने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो भी यह एक स्थानीय प्रयोग नहीं होना चाहिए इसके बजाय सभी अल्पसंख्यक संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सिवाय राज्य स्तर पर एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक जैसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए और यह पूर्णतया उचित होगा कि यदि वे मुख्य धारा के अन्तर्गत आएं जैसाकि उच्चतम न्यायालय ने "एन. ई. ई. टी. परीक्षा" के मामले में निदेश दिया है । **मार्डन डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाला मामला देखें ।

60. परिणामतः, आक्षेप में कोई बल नहीं है और इसे दृष्टिगत करते हुए वर्तमान विशेष अपील और संबंधित विशेष अपील खारिज की जाती हैं । खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

विशेष अपीलें खारिज की गईं ।

मह.

---

[1] (2016) 7 एस. सी. सी. 353.

शशि भूषण त्रिपाठी

बनाम

मुख्य सूचना आयोग, ओडिशा और अन्य

तारीख 19 जुलाई, 2017

न्यायमूर्ति (डा.) डी. पी. चौधरी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) – धारा 6(1) – सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन – सूचना से संबंधित संस्था की दो संस्थाएं होना – आवेदक द्वारा यह स्पष्ट न किया जाना कि उसे किस संस्था से सूचनाएं चाहिए – इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रतियां मांगने के अधिकार को आरक्षित रखते हुए वृहत्त अभिलेख के निरीक्षण की मांग – आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं कहा जा सकता – आयोग द्वारा नए सिरे से आवेदन फाइल करने के निदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – धारा 20 – शास्ति – सूचना उपलब्ध कराने में विलंब – आयोग द्वारा आवेदन अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण माना जाना – सूचना उपलब्ध कराने वाले प्राधिकारियों की ओर से कोई विलंब या दोष साबित न होना – आयोग द्वारा शास्ति अधिरोपित करने का निदेश नहीं दिया जा सकता ।

याची ने अध्यापकों के नाम और उनकी अर्हताओं के संबंध में जानने के लिए उप-कलक्टर, कामाख्या नगर, देकनाल के कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार 2005, के अधीन एक आवेदन फाइल किया था । याची ने उक्त आवेदन में अध्यापकों को संदत्त वेतन, सरकारी अनुदान और प्रबंध मंडल से संबंधित विस्तृत संपरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया था । जब मांगी गई सूचना कानूनी अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराई गई तब याची ने एक स्मरण-पत्र भेजा । सूचना देने में असफल रहने पर प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील फाइल की गई थी । जब प्रथम अपील अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो याची के पास आयोग के समक्ष अपील करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहा और इसलिए उसने 2013 की द्वितीय अपील सं. 1218 फाइल की । आयोग ने द्वितीय अपील की सुनवाई के पश्चात् याची

को नए सिरे से आवेदन फाइल करने का निदेश करते हुए आदेश पारित किया जो याची के अनुसार अवैध है । याची के द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 ने और विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 पर कोई दंड अधिरोपित किए बिना याची को नए सिरे से आवेदन फाइल करने का निदेश दिया है । चूंकि याची को अधिनियम के अधीन सूचना उपलब्ध न कराने के कारण वित्तीय, शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचा । इसलिए यह रिट याचिका फाइल की गई है । रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – उपाबंध 1 के परिशीलन मात्र से यह उपदर्शित होता है कि याची ने तारीख 12 नवंबर, 2012 को अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन एक आवेदन फाइल किया था । श्रृंखला उपाबंध 1 से यह उपदर्शित होता है कि उप-कलक्टर के कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी ने तारीख 16 नवंबर, 2012 को सांदा महाविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी को यह सूचित किया था कि वह याची को अपेक्षित सूचनाओं का प्रदाय करे । श्रृंखला उपाबंध 2 से यह उपदर्शित होता है कि तारीख 24 दिसंबर, 2012 को उप-कलक्टर, कामाख्या नगर के लोक सूचना अधिकारी ने सांदा महाविद्यालय के प्रधानाचार्या से सूचना प्रदाय करने के लिए कहा था । श्रृंखला उपाबंध 3 से यह उपदर्शित होता है कि जब याची को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो याची ने प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष तारीख 7 जनवरी, 2013 को प्रथम अपील फाइल की । उपाबंध 5 से यह उपदर्शित होता है कि जब प्रथम अपील प्राधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की तो याची ने आयोग के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की । उपाबंध 6 अर्थात् आक्षेपित आदेश से यह उपदर्शित होता है कि आयोग ने एक अभिव्यक्त आदेश पारित किया । आदेश से यह उपदर्शित होता है कि आयोग ने यह पाया कि याची ने आवेदन फाइल करते समय सम्यक् सतर्कता नहीं बरती और आवेदन त्रूटिपूर्ण है क्योंकि आवेदन विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्था से संबंधित नहीं है । आयोग ने यह भी मत व्यक्त किया कि याची ने कार्यालय के सभी अभिलेखों को देखने के लिए अति विस्तृत मांग की है और उसके पश्चात् उसकी फोटो प्रतियां के प्रदाय करने की मांग करने का कथन किया है जो निश्चित रूप से सूचना प्राप्त करने की रीति नहीं है । अधिनियम की धारा 2(च) की परिभाषा के अनुसार मांगी गई सूचना अधिनियम के उपबंधों के अधीन ही उपलब्ध कराई जा सकती है । उपबंधों से यह स्पष्ट होता है कि

सूचना के अधिकार में अभिलेखों का निरीक्षण और किसी इलेक्ट्रोनिक रीति में इसकी प्रतियां लेना सम्मिलित है । तथापि, अधिनियम के उपबंध उन दस्तावेजों को निर्दिष्ट किए बिना सूचना लेने की रीति को कहीं भी उपदर्शित नहीं करते, जिनकी प्रतियां याची चाहता है । इसके प्रतिकूल, अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि याची जो आवेदक है, पहले दस्तावेजों का सत्यापन कर सके और तत्पश्चात् बेतरतीब रूप से इसकी प्रति ले सके । अतः सूचना प्राप्त करने के लिए याची के अनुरोध को अननुज्ञात करने वाला आयोग का मत अवैध नहीं कहा जा सकता । तथापि, आयोग ने याची को विनिर्दिष्ट सूचना मांगने के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया है । (पैरा 7)

अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित उपर्युक्त विनिश्चय को दृष्टिगत करते हुए यह स्पष्ट है कि आयोग दंड अधिरोपित करने के पूर्व अपनी राय गठित करेगा जो दंड अधिरोपित करने के लिए सामग्री पर आधारित होगी । इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 20 के उपबंध आयोग को मामले में उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कोई राय गठित करने के लिए निदेशित करते हैं । वर्तमान मामले में, चूंकि आयोग ने ऊपर उल्लिखित कारणों के आधार पर आवेदन को त्रूटिपूर्ण पाया था इसलिए यह कहा जा सकता है कि आयोग के पास (दंड के लिए) राय गठित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी । आयोग ने राय गठित करने के पूर्व अधिनियम की धारा 20 के अधीन सामग्री पर विचार किया और कारण अभिलिखित किए । वर्तमान मामले में आयोग ने यह राय गठित की कि दंड अधिरोपित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 का कोई दोष नहीं पाया । अतः याची के विद्वान् काउंसेल की दलीलें सारहीन हैं । इसके प्रतिकूल, आक्षेपित आदेश स्वतः दंड अधिरोपित करने से निवारित करता है और इसलिए उचित और युक्तियुक्त है । विवाद्यक सं. 1 का तद्नुसार उत्तर दिया जाता है । रिट याचिका में उपाबंध सं. 6 को अपास्त करने के लिए और विरोधी पक्षकार सं. 1 को विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 पर दंड अधिरोपित करने का निदेश करने के लिए अनुरोध किया गया है । यह ऊपर मत व्यक्त किया जा चुका है कि आयोग का आदेश सही और आयोग ने उपर्युक्त चर्चा के आधार पर दंड अधिरोपित न करने के लिए राय गठित की है । अतः याची के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता । (पैरा 9 और 10)

अनुसरित निर्णय

पैरा

[2013]	ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 681 = (2012) 13 एस. सी. सी. 14 : **मनोहर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य** ।	9

सिविल (रिट) अधिकारिता : 2014 की रिट याचिका (सिविल) सं. 13944.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन सिविल रिट याचिका ।

याची की ओर से मैसर्स विजय कुमार मोहंती, आर. मोहंती, एस. एस. छुआल सिंह, जी. साबा और आर. बी. मुदूली

विरोधी पक्षकारों की ओर से मैसर्स स्मृति रंजन दास, आर. बी. दास, ए. के. दास, एस. जेना और ए. बी. मिश्रा, मैसर्स नागार्जुन सेठी, टी. सेठी, बी. सी. पांडा और ए. सी. बेहरा

न्यायमूर्ति (डा.) डी. पी. चौधरी – इस याचिका में तारीख 26 मई, 2014 को राज्य सूचना आयोग (जिसे आगे संक्षेप में "आयोग" कहा गया है) द्वारा 2013 की विशेष अपील सं. 1218 में पारित आदेश को आक्षेपित किया गया है । याचिका में उक्त आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है ।

तथ्य

2. इस रिट याचिका को फाइल करने से संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि याची ने अध्यापकों के नाम और उनकी अर्हताओं के संबंध में जानने के लिए उप-कलक्टर, कामाख्या नगर, देकनाल के कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार (जिसे आगे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) के अधीन एक आवेदन फाइल किया था । याची ने उक्त आवेदन में अध्यापकों को संदत्त वेतन, सरकारी अनुदान और प्रबंध मंडल से संबंधित विस्तृत संपरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया था । जब मांगी गई सूचना कानूनी अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराई गई तब याची ने एक स्मरण-पत्र भेजा । सूचना देने में असफल रहने पर प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील फाइल की गई थी । जब

प्रथम अपील अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो याची के पास आयोग के समक्ष अपील करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहा और इसलिए उसने 2013 की द्वितीय अपील सं. 1218 फाइल की । आयोग ने द्वितीय अपील की सुनवाई के पश्चात् याची को नए सिरे से आवेदन फाइल करने का निदेश करते हुए आदेश पारित किया जो याची के अनुसार अवैध है । याची के द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 ने और विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 पर कोई दंड अधिरोपित किए बिना याची को नए सिरे से आवेदन फाइल करने का निदेश दिया है । चूंकि याची को अधिनियम के अधीन सूचना उपलब्ध न कराने के कारण वित्तीय, शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचा । इसलिए यह रिट याचिका फाइल की गई है ।

दलीलें

3. याची के विद्वान् काउंसेल श्री वी. के. मोहंती ने यह दलील देते हुए आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है कि याची सूचना प्राप्त करने के लिए हकदार है । अधिनियम में यह उपबंध है कि सूचना कानूनी अवधि के भीतर प्रदत्त की जाए और यदि सूचना प्रदत्त नहीं की जाती है तो संबंधित प्राधिकारी को शास्ति अधिरोपित करते हुए दंड अधिरोपित करना चाहिए जिससे कि अधिनियम का उद्देश्य पूरा हो सके । उप-कलक्टर, कामाख्या नगर, देकनाल के कार्यालय के लोक सूचना आधिकारी ने सांदा महाविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन की गई सूचना प्रदत्त कराने के लिए लिखा । उन्होंने यह भी दलील दी कि याची ने समय से सूचना प्रदत्त करने के लिए कई बार अनुरोध किया और तद्नुसार अपेक्षित पर्चा भी जमा किया ।

4. याची के विद्वान् काउंसेल श्री मोहंती ने यह दलील दी कि याची ने प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई न करने पर द्वितीय अपील फाइल की तथापि, द्वितीय अपील प्राधिकारी ने प्रथम अपील प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा कार्रवाई न करने के तथ्य पर विचार किए बिना यह कहते हुए याची के विरुद्ध आदेश पारित किया कि याची ने आवेदन फाइल करने के पूर्व सम्यक् सतर्कता नहीं बरती । इसके प्रतिकूल, आयोग ने गलत रूप से यह मत व्यक्त किया कि याची ने विधि का दुरुपयोग किया है । आयोग की मताभिव्यक्ति विधि के अनुसरण में नहीं है, भले ही आयोग ने अपीलार्थी को नए सिरे से सूचना का अधिकार आवेदन फाइल करने के लिए निदेश किया है । इसलिए याची ने आयोग द्वारा 26 मई, 2014 को

पारित आदेश को अपास्त करने और अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 पर दंड अधिरोपित करने के लिए समुचित आदेश पारित करने के लिए निदेश करने की दलील दी है ।

5. विरोधी पक्षकार सं. 1, के विद्वान् काउंसेल एस. आर. दास ने यह दलील दी है कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है । याची द्वारा ईप्सित सूचना अत्यंत विस्तृत और त्रूटिपूर्ण है । यह भी दलील दी गई है कि द्वितीय अपील प्राधिकारी ने याची को नए सिरे से आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया है क्योंकि मांगी गई सूचना इस आधार पर त्रूटिपूर्ण है कि संबंधित संस्था की दो पृथक् शिक्षण संस्थाएं हैं और याची ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस संस्था से उक्त सूचना प्राप्त करना चाहता है । चूंकि लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील प्राधिकारी की ओर से कोई गलती नहीं की गई है इसलिए आयोग ने कोई दंड अधिरोपित नहीं किया है । इसके अतिरिक्त, यह याची द्वारा विरोधी पक्षकार सं. 1 के समक्ष फाइल की गई एक द्वितीय अपील है न कि शिकायत । अतः आयोग को केवल यह विनिश्चित करने का विशेषाधिकार प्राप्त है कि क्या सूचना प्रदत्त की जानी चाहिए या नहीं और इसलिए उन्होंने आयोग के आदेश का समर्थन किया ।

अवधारण के लिए प्रश्न

6. वर्तमान मामले में विचारणार्थ मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है और क्या विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 दंड अधिरोपित किए जाने के लिए दायी हैं ।

चर्चा

7. उपाबंध 1 के परिशीलन मात्र से यह उपदर्शित होता है कि याची ने तारीख 12 नवंबर, 2012 को अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन एक आवेदन फाइल किया था । शृंखला उपाबंध 1 से यह उपदर्शित होता है कि उप-कलक्टर के कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी ने तारीख 16 नवंबर, 2012 को सांदा महाविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी को यह सूचित किया था कि वह याची को अपेक्षित सूचनाओं का प्रदाय करे । शृंखला उपाबंध 2 से यह उपदर्शित होता है कि तारीख 24 दिसंबर, 2012 को उप-कलक्टर, कामाख्या नगर के लोक सूचना अधिकारी ने सांदा महाविद्यालय के प्रधानाचार्या से सूचना प्रदाय करने के लिए कहा था । शृंखला उपाबंध 3 से

यह उपदर्शित होता है कि जब याची को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो याची ने प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष तारीख 7 जनवरी, 2013 को प्रथम अपील फाइल की । उपाबंध 5 से यह उपदर्शित होता है कि जब प्रथम अपील प्राधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की तो याची ने आयोग के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की । उपाबंध 6 अर्थात् आक्षेपित आदेश से यह उपदर्शित होता है कि आयोग ने एक अभिव्यक्त आदेश पारित किया । आदेश का पैरा 3 और 4 इस प्रकार हैं :–

"* * * *

3. प्रधानाचार्या ने यह निवेदन किया कि क्षेत्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सांदा, जिला देकनाल एक सहायता प्राप्त संस्था है और +3 सांदा, जिला देकनाल एक असहायता प्राप्त संस्था है । अपीलार्थी ने सांदा महाविद्यालय और इसके +2 खंड के संबंध में सूचना मांगी है और कार्यालय के सभी अभिलेखों के निरीक्षण के लिए भी अनुरोध किया है और तत्पश्चात् कतिपय अभिलेखों की प्रतियां जिसे वह मांगने का विनिश्चय करे, मांगने की बात कही है । क्षेत्रीय उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय और +3 सांदा महाविद्यालय दो पृथक्-पृथक् संस्थाएं हैं । चूंकि अपीलार्थी ने दोनों संस्थाओं के नाम सही-सही उल्लिखित नहीं किए हैं इसलिए उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी पूर्व में क्षेत्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सांदा का सचिव था ।

4. आयोग ने दोनों पक्षकारों को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया । आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि अपीलार्थी ने त्रूटिपूर्ण आवेदन फाइल किया है । उसने आवेदन फाइल करने से पूर्व सम्यक् सतर्कता नहीं बरती । आयोग ने यह भी मत व्यक्त किया कि अपीलार्थी ने कार्यालय के सभी अभिलेखों को देखने की अति विस्तृत मांग की है और तत्पश्चात् अभिलेखों की फोटो प्रति प्रदाय करने के लिए अपनी पसंद बताने का कथन किया है । आयोग की राय में यह विधि का दुरुपयोग है । अपीलार्थी को नए सिरे से सूचना का अधिकार आवेदन फाइल करने की सलाह दी गई कि वह लोक हित में कार्य करते हुए सूचना की सही जिल्द का उल्लेख करे । इन मताभिव्यक्तियों के साथ मामले का निपटान किया जाता है ।"

उपर्युक्त आदेश से यह उपदर्शित होता है कि आयोग ने यह पाया कि

याची ने आवेदन फाइल करते समय सम्यक् सतर्कता नहीं बरती और आवेदन त्रूटिपूर्ण है क्योंकि आवेदन विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्था से संबंधित नहीं है । आयोग ने यह भी मत व्यक्त किया कि याची ने कार्यालय के सभी अभिलेखों को देखने के लिए अति विस्तृत मांग की है और उसके पश्चात् उसकी फोटो प्रतियां के प्रदाय करने की मांग करने का कथन किया है जो निश्चित रूप से सूचना प्राप्त करने की रीति नहीं है । अधिनियम की धारा 2(च) की परिभाषा के अनुसार मांगी गई सूचना अधिनियम के उपबंधों के अधीन ही उपलब्ध कराई जा सकती है । समान रूप में अधिनियम की धारा (ञ) "सूचना का अधिकार" को निम्न रीति में परिभाषित करती है :–

> "(ञ) 'सूचना का अधिकार' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है –
>
> (i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण ;
>
> (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों का टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना ;
>
> (iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ;
>
> (iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिन्ट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, अभिप्राप्त करना ।"

उपर्युक्त उपबंधों से यह स्पष्ट होता है कि सूचना के अधिकार में अभिलेखों का निरीक्षण और किसी इलैक्ट्रोनिक रीति में इसकी प्रतियां लेना सम्मिलित है । तथापि, अधिनियम के उपबंध उन दस्तावेजों को निर्दिष्ट किए बिना सूचना लेने की रीति कहीं भी उपदर्शित नहीं करते, जिनकी प्रतियां याची चाहता है । इसके प्रतिकूल, अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि याची जो आवेदक है, पहले दस्तावेजों का सत्यापन कर सके और तत्पश्चात् बेतरतीब रूप से इसकी प्रति ले सके । अतः सूचना प्राप्त करने के लिए याची के अनुरोध को अननुज्ञात करने वाला आयोग का मत अवैध नहीं कहा जा सकता । तथापि, आयोग ने याची को विनिर्दिष्ट सूचना मांगने के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया ।

8. याची ने यह अभिकथन किया है कि आयोग ने सूचना प्रदाय करने के लिए विलंब करने के लिए विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 पर दंड अधिरोपित नहीं किया है ।

9. **मनोहर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "उपर्युक्त उपबंध में उल्लिखित भाषा से यह स्पष्ट है कि प्रथमतः आयोग द्वारा राय बनाई गई थी । यह राय संबंधित व्यक्ति की किसी शिकायत या अपील सुनने के पश्चात् उसे विनिश्चित करते समय बनाई गई है । राय में आधार और कारण दिए होने चाहिए और ऐसी राय उपबंध के आधार पर होनी चाहिए । यह एक शास्तिक उपबंध है क्योंकि अपचारी के विरुद्ध सिविल परिणाम उत्पन्न होते हैं और अनुशासनिक कार्यवाहियों में दंडित भी किया जाता है । धारा में अभिकथित आधार निःशेष हैं और आयोग का यह कार्य नहीं है कि वह धारा में ऐसे अन्य आधारों को जोड़े जो विनिर्दिष्टतया धारा 20(2) की भाषा में उल्लिखित नहीं हैं । यह धारा दो भिन्न कार्यवाहियों के बारे में उपबंध करती है । प्रथमतः आयोग के समक्ष की गई अपील या शिकायत का विनिश्चय किया जाएगा और द्वितीयतः यदि आयोग ऐसी राय गठित करता है जो उपबंधों के अधीन अनुध्यात है तो वह यह सिफारिश कर सकता है कि ऐसे अपचारी अर्थात् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाइयां की जाएं । इन दोनों कार्यवाहियों की अपेक्षा करने में विधान-मंडल का प्रयोजन ऐसी कार्यवाहियां साथ-साथ किया जाना स्पष्ट है और यह प्रयोजन न केवल धारा की भाषा से अपितु नियम की रिष्टि लागू करने से स्पष्ट होता है जिसमें उपबंध की उस प्रयोजन के लिए परीक्षा की जानी है जिसके लिए उपबंध अधिनियमित किया गया है । यदि आयोग शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यह पाता है कि अपील में बल नहीं है और शिकायत आधारहीन है तो अभिलिखित कारणों से सूचना प्रदत्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है । यदि ऐसा विनिश्चय किया जाता है तो धारा 20(2) के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । एक

[1] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 681 = (2012) 13 एस. सी. सी. 14.

अन्य स्थिति भी हो सकती है कि अपील या शिकायत के अभिलेख का परिशीलन करने पर आयोग यह राय गठित कर सकता है कि धारा 20(2) के अधीन अनुध्यात कोई भी अपेक्षा पूरी नहीं होती और इसलिए किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि केन्द्र और राज्य आयोग को धारा 20(2) के उपबंधों में उल्लिखित कमी (किसी उपबंध का न होना) के निःशेष आधारों को जोड़ने की अधिकारिता नहीं है । कमी का मामला पूर्णतया धारा 20(2) के उपबंधों के आधारों के अन्तर्गत आना चाहिए । उपबंध का गहराई से अर्थान्वयन करके इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए । आयोग को अपनी पसंद के आधार पर इसकी परिधि को विस्तारित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता ।"

अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित उपर्युक्त विनिश्चय को दृष्टिगत करते हुए यह स्पष्ट है कि आयोग दंड अधिरोपित करने के पूर्व अपनी राय गठित करेगा जो दंड अधिरोपित करने के लिए सामग्री पर आधारित होगी । इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 20 के उपबंध आयोग को मामले में उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कोई राय गठित करने के लिए निदेशित करते हैं । वर्तमान मामले में, चूंकि आयोग ने ऊपर उल्लिखित कारणों के आधार पर आवेदन को त्रूटिपूर्ण पाया था इसलिए यह कहा जा सकता है कि आयोग के पास (दंड के लिए) राय गठित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी । आयोग ने राय गठित करने के पूर्व अधिनियम की धारा 20 के अधीन सामग्री पर विचार किया और कारण अभिलिखित किए । वर्तमान मामले में आयोग ने यह राय गठित की कि दंड अधिरोपित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 का कोई दोष नहीं पाया । अतः याची के विद्वान् काउंसेल की दलीलें सारहीन हैं । इसके प्रतिकूल, आक्षेपित आदेश स्वतः दंड अधिरोपित करने से निवारित करता है और इसलिए उचित और युक्तियुक्त है । विवाद्यक सं. 1 का तद्नुसार उत्तर दिया जाता है ।

निष्कर्ष

10. रिट याचिका में उपाबंध सं. 6 को अपास्त करने के लिए और विरोधी पक्षकार सं. 1 को विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 पर दंड अधिरोपित करने का निदेश करने के लिए अनुरोध किया गया है । यह ऊपर मत व्यक्त किया जा चुका है कि आयोग का आदेश सही है और आयोग ने

उपर्युक्त चर्चा के आधार पर दंड अधिरोपित न करने के लिए राय गठित की है । अतः याची के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

11. परिणामतः रिट याचिका में कोई बल न होने के कारण यह खारिज की जाती है ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

मह.

(2018) 1 सि. नि. प. 223 **कर्नाटक**

डैनी आनन्द

बनाम

श्रीमती जी. एन. सुजाता

तारीख 13 जुलाई, 2017

न्यायमूर्ति जयन्त पटेल और न्यायमूर्ति (श्रीमती) एस. सुजाता

विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का 4) – धारा 37 – स्थायी निर्वाह-व्यय – प्रयोजन – स्थायी निर्वाह-व्यय ऐसी सहायता है जो पत्नी को विवाह-विच्छेद के पश्चात् पत्नी के अच्छे जीवन के लिए प्रदत्त की जाती है – स्थायी निर्वाह-व्यय की धनराशि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई स्त्री अपने पति से पृथक् होने के पश्चात् गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके, पर्याप्त होनी चाहिए ।

विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 – धारा 36, 37, और 39 – स्थायी निर्वाह-व्यय – पति द्वारा विवाह-विच्छेद आवेदन (अर्जी) फाइल किया जाना – पत्नी के आवेदन पर स्थायी निर्वाह-व्यय की मंजूरी – विधिमान्यता – अधिनियम की धारा 36 से 39 के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी के लिए विवाह-विच्छेद आवेदन में विरोधी पक्षकार होने पर स्थायी निर्वाह-व्यय की मंजूरी के लिए कोई वर्जन या बाधा नहीं है ।

विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 – धारा 37 और 38 – स्थायी निर्वाह-व्यय – मंजूरी – स्थायी निर्वाह-व्यय मंजूर करते समय पक्षकारों की

वित्तीय स्थिति, पक्षकारों के जीवनयापन के स्तर, विवाह की अवधि, पक्षकारों की आयु, पक्षकारों की शारीरिक स्थिति और व्यक्ति की क्षमता जैसे कारकों को विचार में लिया जाना चाहिए ।

यह अपील प्रथम अपर पी. कुटुम्ब न्यायालय, मैसुरु द्वारा पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा न्यायालय के समक्ष के अपीलार्थी को, प्रत्यर्थी को पांच लाख रुपए का निर्वाह-व्यय का संदाय करने का निदेश दिया गया है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – स्थायी निर्वाह-व्यय ऐसी सहायता है जो पत्नी को विवाह-विच्छेद के पश्चात् पत्नी के अच्छे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी जाती है । यह पत्नी के लिए ऐसी सहायता है जो उसके द्वारा अपना भरणपोषण करने के योग्य न होने पर आवारगी से बचाने के लिए दी जाती है । अब यह सुस्थापित विधि बन चुकी है कि स्थायी निर्वाह-व्यय की धनराशि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई स्त्री अपने पति से पृथक् होने के पश्चात् गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके, पर्याप्त होनी चाहिए । (पैरा 6)

अधिनियम के उपबंधों का प्रयोजन अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करना है न कि अक्षरशः निर्वचन करना । निर्वचन का महत्वपूर्ण नियम यह है कि कानून को विधायी आशय सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण रूप से साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए । अधिनियम की धारा 36 से 39 के संयुक्त परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि पत्नी के लिए विवाह-विच्छेद आवेदन (अर्जी) में प्रत्यर्थी होने पर स्थायी निर्वाह-व्यय मांगने के लिए अधिनियम में कोई वर्जन या बाधा नहीं है । (पैरा 7)

जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, उपर्युक्त के संबंध में, स्थायी निर्वाह-व्यय मंजूर किए जाने से संबंधित सुसंगत तथ्य जिसकी परीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, इस प्रकार हैं – (1) वित्तीय स्थिति ; (2) पक्षकारों का जीवनयापन का स्तर ; (3) विवाह की अवधि ; (4) पक्षकारों की आयु ; (5) पक्षकारों की शारीरिक स्थिति ; और (6) प्राप्तकर्ता की सहायता के लिए व्यक्ति की क्षमता । कुटुम्ब न्यायालय ने स्थायी निर्वाह-व्यय के संबंध में धनराशि संगणित करने के लिए अभिलेख पर के साक्ष्य पर विचार किया जो धनराशि स्थिति से संबंधित व्यक्ति की वित्तीय क्षमता, उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ पत्नी की निर्भरता और धन के मूल पर आधारित थी इसलिए पांच लाख रुपए भरणपोषण संगणित करना किसी भी परिकल्पना

के आधार पर अत्यधिक या हद से ज्यादा नहीं समझा जा सकता । तद्नुसार, न्यायालय निचले न्यायालय के पूर्णतया युक्तियुक्त आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है । (पैरा 8)

अनुसरित निर्णय

		पैरा
[2017]	ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 2383 : **कल्यान डे चौधरी** बनाम **रीता डे चौधरी** ;	8
[2011]	2011 का एम. एफ. ए. सं. 10115 तारीख 4 अगस्त, 2015 को विनिश्चित : **श्रीमती मारग्रेट परेरा** बनाम **श्री गेराल्ड केरस्टेलीनो** ।	6

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2017 की एम. एफ. ए. सं. 3929.

2014 की एम. सी. सं. 75 में प्रथम अपर पी. कुटुम्ब न्यायालय, मैसुरु द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्रीमती एस. सुशीला

प्रत्यर्थी की ओर से —

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) एस. सुजाता ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) सुजाता – यह अपील प्रथम अपर परिवार कुटुम्ब न्यायालय, मैसुरु (जिसे आगे संक्षेप में "न्यायालय" कहा गया है) द्वारा पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा हमारे समक्ष के अपीलार्थी को, प्रत्यर्थी को पांच लाख रुपए का निर्वाह-व्यय का संदाय करने का निदेश दिया गया है ।

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी का एक दूसरे के साथ विवाह तारीख 28 दिसम्बर, 2016 को ईसाई रूढ़ियों के अनुसार बेथल ब्रदर्स चर्च, कृष्णामूर्तिपुरम, मैसुरु में हुआ था । दंपत्ति के विवाह से एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम ग्रेस जसिन्था रखा गया और जो इस समय 8 वर्ष की है । दंपत्ति के बीच वैवाहिक अनबन के कारण हमारे समक्ष के अपीलार्थी ने कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 (जिसे आगे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 10(1)(य) के अधीन आवेदन फाइल किया । अतः प्रत्यर्थी ने भी

अपीलार्थी के विरुद्ध भरणपोषण का दावा करते हुए 2014 का सिविल प्रकीर्ण आवेदन सं. 437 फाइल किया । निचले न्यायालय ने दोनों आवेदनों को एकजाई किया और तारीख 1 फरवरी, 2017 को एक संयुक्त निर्णय और आदेश पारित किया । अपीलार्थी द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए फाइल आवेदन अर्जी मंजूर की गई थी और प्रत्यर्थी द्वारा भरणपोषण के लिए फाइल सिविल प्रकीर्ण आवेदन 437/2014 खारिज किया गया था । तथापि, निचले न्यायालय ने विवाह-विच्छेद को मंजूर करते हुए अपीलार्थी को पांच लाख रुपए का स्थायी निर्वाह-व्यय का संदाय करने का निदेश दिया । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को पांच लाख रुपए के स्थायी निर्वाह-व्यय को संदाय करने के निदेश देने वाले आदेश के इसी भाग को हमारे समक्ष आक्षेपित किया गया है ।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्रीमती एस. सुशीला ने आक्षेपित आदेश को जिसके द्वारा स्थायी निर्वाह-व्यय संगणित किया गया है, दो आधारों पर चुनौती दी है । प्रथमतः "अधिनियम" की धारा 37 पत्नी को वहां स्थायी निर्वाह-व्यय के लिए दावा करने के लिए हकदार नहीं बनाती, जहां पति ने विवाह-विच्छेद का आवेदन फाइल कर दिया हो । द्वितीयतः, यह दलील दी गई थी कि प्रत्यर्थी एक श्रृंगार-व्यवसायी होने के कारण धन उपार्जन करने योग्य है जबकि अपीलार्थी मात्र एक टैक्सी-चालक है और उसकी कोई सुनिश्चित आय नहीं है । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी अपनी माता और बच्चे की देख-भाल करता है जो उस पर निर्भर हैं । प्रत्यर्थी द्वारा अभिलेख पर पेश की गई किसी सामग्री के अभाव में जो अपीलार्थी की आयु के तथ्य को साबित करती, निचले न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत पांच लाख रुपए का स्थायी निर्वाह-व्यय किसी भी प्रकार से कायम रखे जाने योग्य नहीं है । अतः विद्वान् काउंसेल ने स्थायी निर्वाह-व्यय के संबंध में अपील मंजूर करके आक्षेपित आदेश को अपास्त करने के लिए निवेदन किया है ।

4. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख पर की सामग्री का परिशीलन किया ।

5. जहां तक प्रथम मुद्दे का संबंध है, हमें "निर्वाह-व्यय" पद का अर्थान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विधिक शब्दकोश का निर्देश करना होगा जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"निर्वाह-व्यय – विधिक अर्थ में इसे ऐसे भत्ते के रूप में समझा

जाता है जिसके लिए कोई विवाहित स्त्री दावा करती है और जिसे वह अपने पति से पृथक् होने पर पाने की हकदार है ; जब वह पृथक् भरणपोषण के लिए स्वयं को हकदार साबित कर देती है तो पत्नी को दिया जाने वाला भत्ता उसकी सहायता के लिए पति की संपदा से दिया जाता है चाहे वह किसी वैवाहिक वाद के दौरान दिया जाए अथवा विवाह समाप्त होने के पश्चात् ।"

6. अतः स्थायी निर्वाह-व्यय ऐसी सहायता है जो पत्नी को विवाह-विच्छेद के पश्चात् पत्नी के अच्छे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी जाती है । यह पत्नी के लिए ऐसी सहायता है जो उसके द्वारा अपना भरणपोषण करने के योग्य न होने पर आवारगी से बचाने के लिए दी जाती है । अब यह सुस्थापित विधि बन चुकी है कि स्थायी निर्वाह-व्यय की धनराशि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई स्त्री अपने पति से पृथक् होने के पश्चात् गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके, पर्याप्त होनी चाहिए । जहां तक अधिनियम के उपबंधों के अधीन पत्नी को स्थायी जीवन निर्वाह-व्यय मंजूर करने पर विचार करने का संबंध है, **श्रीमती मारग्रेट परेरा** बनाम **श्री गेराल्ड केस्टेलीनो**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ द्वारा अभिव्यक्त मत को दृष्टिगत करते हुए यह मुद्दा अनिर्णीत नहीं रहा है । सुसंगत पैरा नीचे उद्धृत किया जा रहा है :–

"हमने विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई परस्पर विरोधी दलीलों पर गहनतापूर्वक विचार किया । यह दलील कि जहां विवाह विघटन पति के हक में मंजूर हो जाता है, वहां पत्नी स्थायी निर्वाह-व्यय की हकदार नहीं है, विधि की सही प्रतिपादना नहीं हो सकती । अधिनियम की धारा 36 से 39 किसी व्यथित पत्नी के लिए निर्वाह-व्यय के विषय पर उपबंध करती है । धारा 36 वाद लंबित होने पर पत्नी को निर्वाह-व्यय दिए जाने के बारे में उपबंध करती है जबकि धारा 37 वहां किसी पत्नी के लिए स्थायी निर्वाह-व्यय के बारे में उपबंध करती हैं जहां पत्नी द्वारा विवाह-विघटन की डिक्री या न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त कर ली गई हो । वर्तमान परिस्थितियों के लिए धारा 38 सुसंगत है जो इस प्रकार है –

'38. न्यायालय निर्वाह-व्यय का संदाय पत्नी या उसके

---

[1] 2011 का एम. एफ. ए. सं. 10115, तारीख 4 अगस्त, 2015 को विनिश्चित ।

न्यासी को करने के लिए आदेश दे सकेगा – ऐसे सभी मामलों में, जिनमें न्यायालय निर्वाह-व्यय के लिए कोई डिक्री या आदेश देता है, वह उसका संदाय या तो स्वयं पत्नी को या उसके निमित्त किसी न्यासी को जो न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, करने का निदेश दे सकेगा तथा ऐसी कोई शर्तें या निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा, जो न्यायालय को समीचीन प्रतीत हो, तो कोई नया न्यासी नियुक्त कर सकेगा ।'

उपर्युक्त उपबंध के परिशीलन मात्र से यह उपदर्शित होता है कि न्यायालय पत्नी द्वारा या पति द्वारा संस्थित किसी मामले में उसके (पत्नी के) लिए या उसके न्यासी के लिए स्थायी निर्वाह-व्यय का आदेश कर सकता है । कानून अभिव्यक्ततः या अप्रत्यक्षतया ऐसी किसी पत्नी को स्थायी निर्वाह-व्यय से विवर्जित नहीं करता जो विवाह-विच्छेद आवेदन में प्रत्यर्थी हो ।

9. निचले न्यायालय ने मुख्यतया इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि वह पहले ही जे. एम. एफ. सी. न्यायालय की अधिकारिता द्वारा पारित आदेश के आधार पर भरणपोषण राशि प्राप्त कर रही है, इसलिए वह पृथक् स्थायी निर्वाह-व्यय पाने की हकदार नहीं है । हमारे सुविचारित मतानुसार, निचला न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा 38 के उपबंधों की विवेचना करने में स्वतः भ्रमित हो गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(क) ऐसी पत्नी के लिए भरणपोषण की धनराशि अनुध्यात करती है जो स्वयं अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है जबकि इसी उपबंध का स्पष्टीकरण (ख) यह अनुध्यात करता है कि पत्नी में कोई ऐसी स्त्री सम्मिलित है जिससे पति ने विवाह-विच्छेद कर लिया हो या उसने (पत्नी ने) अपने पति से विवाह-विच्छेद की (डिक्री) प्राप्त कर ली हो और पुनर्विवाह न किया हो । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन में आदेशित भरणपोषण धनराशि मासिक भत्ता है जैसा कि इस धारा के दूसरे परंतुक में उपबंध किया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन स्थायी निर्वाह-व्यय के आदेश के लिए कोई उपबंध नहीं है । यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पत्नी के हक में आदेश पारित किया गया है और मासिक भत्ता देय हो गया है तथापि, पत्नी भरणपोषण राशि की वसूली के लिए दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 128 का आश्रय नहीं ले सकती । पति द्वारा भरणपोषण संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर ही पत्नी व्यतिक्रम की तारीख से 11 मास की परिसीमा अवधि के भीतर धनराशि की वसूली के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 के अधीन भरणपोषण आदेश का निष्पादन करा सकती है । जबकि अधिनियम की धारा 37 के अधीन स्थायी निर्वाह-व्यय की दशा में मासिक या साप्ताहिक संदाय संभव है । जब अधिनियम की धारा 37 और 38 को एक दूसरे के साथ पढ़ा जाए तो निर्वाह-व्यय के संदाय का अनुतोष सभी मामलों को लागू होता है जैसा कि अधिनियम की धारा 37 के अधीन उपलब्ध है । हमारे सुविचारित मतानुसार यह न्यायालय इस आधार पर पत्नी के हक में धारा 38 के फायदे को लागू करने को पूर्णतया खारिज नहीं कर सकता क्योंकि उसने (पत्नी ने) जे. एम. एफ. सी. न्यायालय से भरणपोषण का आदेश प्राप्त किया है । न्यायालय के लिए यह अभी भी संभव था कि वह जे. एम. एफ. सी. न्यायालय द्वारा पारित भरणपोषण की धनराशि को दृष्टिगत करते हुए धारा 38 के अधीन आदेश पारित करे । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए हमारा यह सुविचारित मत है कि निचले न्यायालय को दोनों पक्षों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् स्थायी निर्वाह-व्यय के प्रश्न की जांच करनी चाहिए ।

10. हम इस प्रक्रम पर यह अवेक्षा करते हैं कि पत्नी ने तीन लाख रुपए का स्थायी निर्वाह-व्यय पाने के लिए अधिनियम की धारा 37 के उपबंध का आश्रय लिया था । तथापि, वर्तमान मामले में पति के विवाह-विच्छेद का आवेदन डिक्री होने को दृष्टिगत करते हुए अधिनियम की धारा 38 के उपबंध लागू होते हैं । तथापि, विधि के गलत उपबंध को उद्धृत करने से पक्षकार की उस अनुतोष के लिए हकदारी समाप्त नहीं हो जाती है जिसके लिए वह (पति या पत्नी) हकदार है ।"

7. हमारा यह मत है कि अधिनियम के उपबंधों का प्रयोजन अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करना है न कि अक्षरशः निर्वचन करना । निर्वचन का महत्वपूर्ण नियम यह है कि कानून को विधायी आशय सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण रूप से साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए । अधिनियम की धारा 36 से 39 के संयुक्त परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि पत्नी के लिए विवाह-विच्छेद आवेदन (अर्जी) में प्रत्यर्थी होने पर स्थायी

निर्वाह-व्यय मांगने के लिए अधिनियम में कोई वर्जन या बाधा नहीं है। तद्नुसार, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की पहली दलील अस्वीकार किए जाने योग्य है और तद्नुसार यह खारिज की जाती है।

8. जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, उपर्युक्त के संबंध में, स्थायी निर्वाह-व्यय मंजूर किए जाने से संबंधित सुसंगत तथ्य जिसकी परीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, इस प्रकार हैं – (1) वित्तीय स्थिति ; (2) पक्षकारों का जीवनयापन का स्तर ; (3) विवाह की अवधि ; (4) पक्षकारों की आयु ; (5) पक्षकारों की शारीरिक स्थिति ; और (6) प्राप्तकर्ता की सहायता के लिए व्यक्ति की क्षमता। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ ने हाल ही में दिए गए निर्णय अर्थात् **कल्यान डे चौधरी** बनाम **रीता डे चौधरी नन्दी**[1] वाले वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि पति की आय का 25 प्रतिशत पत्नी के लिए एक समुचित धनराशि होगी। कुटुम्ब न्यायालय ने स्थायी निर्वाह-व्यय के संबंध में धनराशि संगणित करने के लिए अभिलेख पर के साक्ष्य पर विचार किया जो धनराशि स्थिति से संबंधित व्यक्ति की वित्तीय क्षमता, उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ पत्नी की निर्भरता और धन के मूल्य पर आधारित थी, इसलिए पांच लाख रुपए भरणपोषण संगणित करना किसी भी परिकल्पना के आधार पर अत्यधिक या हद से ज्यादा नहीं समझा जा सकता। तद्नुसार, हम निचले न्यायालय के पूर्णतया युक्तियुक्त आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं हैं।

9. उपर्युक्त कारणों से अपील बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अपील की खारिजी को दृष्टिगत करते हुए आक्षेपित आदेश की रोक के लिए फाइल 2017 के अंतरिम आवेदन सं. 2 पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अपील खारिज की गई।

मह.

---

[1] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 2383.

शाहजहां बेगम (श्रीमती)

बनाम

जिला मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर और अन्य

तारीख 18 सितम्बर, 2017

मुख्य न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 243ण, 345, 348(3), 346 और 347 [सपठित उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 138(1)(ग)] – ग्राम प्रधान की वित्तीय शक्तियों की समाप्ति – विधिमान्यता – प्रधान द्वारा यह अभिवाक् किया जाना कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वित्तीय शक्तियां वापस लिए जाते समय कोई कार्यवाही अभिलिखित नहीं की गई – धारा 138(1)(ग) के अंग्रेजी पाठ में सरकार की ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग के बाबत किसी अपेक्षा का अभिलिखित न होना – किन्तु हिन्दी पाठ में इस अपेक्षा का अभिलिखित होना पाया जाना – राज्य की राजभाषा हिन्दी का होना – हिन्दी पाठ में पाए गए शब्दों का अंग्रेजी पाठ में विलुप्त होना – संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन अंग्रेजी पाठ अधिनियम का प्राधिकृत पाठ होने के कारण अंग्रेजी पाठ हिन्दी पाठ पर अभिभावी होगा – अतः प्रधान की वित्तीय शक्तियां वापस लेने वाला आदेश वैध है ।

उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (2016 का 11) – धारा 146, 185, 138(4)(1)(ग) – शक्तियों का प्रत्यायोजन – जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रधान की वित्तीय शक्तियों की समाप्ति – विधिमान्यता – प्रधान का अभिवाक् कि धारा 138(1)(ग) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग किया गया – जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 146 और 185 के अधीन जारी अधिसूचनाओं के अनुसार शक्ति का प्रयोग किया जाना – अधिसूचना धारा 138(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति को सीमित नहीं करती – धारा 185 के अधीन जारी अधिसूचना जिसके अधीन धारा 138 के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया, की परिधि पर विचारोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश वैध पाया गया ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि याची ऊधम सिंह नगर के ग्राम मिस्सरवाला का ग्राम प्रधान है । उसके विरुद्ध शिकायत पर एक जांच

गठित की गई और मामले की जांच जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा की गई । इसके परिणामस्वरूप, जांच के पूर्ण होने तक याची की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां 2016 के उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम की धारा 138(1)(ग) के अधीन वापस ले ली गई । चूंकि इन शक्तियों को जांच के लंबन के दौरान कानूनी उपबंध के अन्तर्गत वापस लिया गया था, अतः इसी उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए वित्तीय शक्तियां वापस लिए जाने वाले आदेश में कोई असंगतता नहीं पाई और रिट याचिका निस्तारित करते हुए, जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देश दिया कि वे मामले की जांच बिना किसी अनुचित विलम्ब के शीघ्रतापूर्वक विधि अनुसार करें । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रस्तुत रिट याचिका फाइल की । रिट याचिका को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अनुच्छेद 345 के अधीन किसी राज्य का विधान-मंडल उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली एक या एक से अधिक भाषाओं या हिन्दी को उस राज्य के समस्त या किसी राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकता है । यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के अध्यधीन है । अनुच्छेद 345 के निबंधनों के अनुसार यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश विधान-मंडल ने दो विधियां पारित की हैं जिनका हमने उल्लेख किया है अर्थात् 1950 का उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक और अधिनियम) अधिनियम और 1951 का उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम । राज्य ने निःसंदेह रूप से इन विधियों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी को विधियां अधिनियमित किए जाने के प्रयोजनार्थ, चाहे वे सर्वांगीण विधान हों या अधीनस्थ विधान, भाषा के रूप में अंगीकृत किया है, किन्तु इन विधियों को संविधान के अनुच्छेद 348(3) में समाविष्ट परिसीमा के अन्तर्गत कर दिया गया है । अनुच्छेद 348(3) के अधीन किसी भी विधि का अनुवाद, जो अंग्रेजी के अलावा राजभाषा में किया गया हो, प्रकाशित किए जाने को कर्तव्य बना दिया गया है । अनुवाद का प्रकाशन राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार के अंतर्गत राज्य के शासकीय राजपत्र में किया जाना होता है । अनुच्छेद 348 का उप अनुच्छेद (3) असंदिग्ध रूप से पुनः घोषणा करता है कि इस अनुवाद को अनुच्छेद 348 के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा । अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 348(1) उपबंधित करता है कि सभी विधेयकों और अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होने होते हैं । आकस्मिक स्थिति में यह उपबंधित कर दिया गया है कि राज्य

किसी अन्य भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकृत कर सकता है जिसमें अंग्रेजी में बनाई जाने वाली विधि का अनुवाद किए जाने के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने उपबंधित किया है और विधान-मंडल द्वारा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में बनाया गया है । ऐसी स्थिति में निःसंदेह रूप से अंग्रेजी पाठ को संविधान के अनुच्छेद 348 के उप अनुच्छेद (1) के अर्थान्तर्गत प्राधिकृत पाठ माना जाएगा । किसी ऐसे मामले में, जहां विधि अंग्रेजी भाषा में बनाई गई है और हिन्दी पाठ में अनुवाद के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह नितांत रूप से स्पष्ट है कि अंग्रेजी पाठ को प्रमुखता प्रदान की जाएगी । तथापि, जहां विधि अंग्रेजी भाषा के अलावा राजभाषा में बनाई जाती है जैसे कि इस मामले में हिन्दी भाषा में और अनुवाद किए जाने पर असंगतता उत्पन्न होती है, तो इससे पुनः दो व्यापक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं । पहली परिस्थिति अनुवादक की अपर्याप्तता और अकुशलता के कारण उत्पन्न होगी, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन किए गए अनुवाद के कारण संदेह या अस्पष्टता सृजित हो सकती है । जबकि यह सत्य है कि अनुच्छेद 348(1) के अर्थान्तर्गत प्राधिकृत पाठ होगा, चूंकि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विधान-मंडल के आशय को प्रभावी बनाए, भिन्नताओं का समाधान किए जाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए । विधि के निर्माताओं के आशय का पता लगाए जाने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए । हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों पाठों का अवलोकन किया जाना चाहिए और न्यायालय उस पाठ, जो विधान-मंडल के आशय को भली-भांति अर्थ प्रदान करने वाला है, का अवलंब लेने में, निर्वाचन के विभिन्न नियमों और विशेष रूप से उद्देश्यपूर्ण नियमों को लागू करने में अपनी शक्तियों के अन्तर्गत होगा । इस विषय पर लागू होने वाले विधिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए न्यायालय का कर्तव्य है कि मामले के तथ्यों पर विधि को लागू किया जाए । इस मामले में धारा 138(1)(ग) का अंग्रेजी पाठ उन शक्तियों, जिनका प्रयोग संतुष्ट होने के पश्चात् सरकार के विरुद्ध किया जाना है, जो कि एक ऐसी अपेक्षा है जिसको निःसंदेह रूप से हिन्दी पाठ में पाया गया है, पर शर्तें अधिरोपित नहीं करता । न्यायालय को अंग्रेजी अनुवाद में शब्दों की आपूर्ति करनी होगी जिससे कि उसका हिन्दी अनुवाद के अनुसार बनाया जा सके । अन्य शब्दों में, न्यायालय के विचार में यह मात्र संदेह या अस्पष्टता का मामला नहीं है । यह एक स्पष्ट मामला है जहां शब्दों, जिनको हिन्दी पाठ में पाया जाना है, अंग्रेजी पाठ में

विलुप्त है । वास्तव में, न्यायालय को इस दृष्टिकोण को लागू करना है जिसको अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने इस न्यायालय को संबोधित करते हुए आरम्भ में ही दलीलें देते हुए दोनों पाठों के मध्य दिन और रात के मध्य अंतर के रूप में स्पष्ट किया है । न्यायालय उनसे सहमत है कि हिन्दी पाठ और अंग्रेजी पाठ के मध्य सुसंगत भाग में अत्यधिक अंतर है । यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि और साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि का अनुसरण करते हुए हिन्दी पाठ और अंग्रेजी पाठ के मध्य विरोध का मामला है, न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि चूंकि सरकार ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया और अपना मत स्थगित नहीं किया जैसा कि धारा 138(1)(ग) के हिन्दी पाठ के अधीन अपेक्षित है, आक्षेपित आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाए, यह अमान्य किए जाने योग्य है और न्यायालय इसको अस्वीकृत करता है । अधिसूचना जिला मजिस्ट्रेट को धारा 138(4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकती । यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने निवेदन किया कि शब्द "विहित प्राधिकारी" को धारा 138(4) में होना चाहिए, हम यह नहीं समझते कि धारा 185, जिसके द्वारा धारा 138 के अधीन प्रदत्त शक्ति को विहित प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर दिया गया है, जो स्थानीय पंचायत के मामले में जिला मजिस्ट्रेट के पास हैं, के अधीन अधिसूचना की परिधि को ध्यान में रखते हुए शक्ति को संक्षिप्त कर दिया जाना चाहिए । (पैरा 20, 21, 23 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	2009 (2) केरल ला जर्नल 844 : **मर्सी जार्ज** बनाम **केरल राज्य** ;	15
[2008]	(2008) 7 एस. सी. सी. 409 = 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5317 : **व्यापार कर आयुक्त** बनाम **एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड** ;	14
[2007]	आई. एल आर. 2007 (4) केरल 221 : **पी. के. अलवी** बनाम **जिला कलक्टर और अन्य** ;	16

[2006] (2006) 10 एस. सी. सी. 587 = 2006 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5379 :
प्रभात कुमार शर्मा बनाम **संघ लोक सेवा आयोग और अन्य** ; 13

[2001] (2001) 3 एस. सी. सी. 135 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 931 :
पार्क लेदर इंडस्ट्री (प्राइवेट) लिमिटेड और एक अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ; 12

[1996] (1996) 3 एस. सी. सी. 576 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2306 :
नित्यानंद शर्मा बनाम **बिहार राज्य और अन्य** ; 11,13

[1992] (1992) 2 एस. सी. सी. 124 :
कानोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ; 10

[1974] 1974 यू. पी. टैक्स केसेज 570 :
माता बदल पाण्डेय और एक अन्य बनाम **राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ; 9

[1961] ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1534 :
जे. के. जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** । 8

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2017 की विशेष अपील सं. 593.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अंतर्गत अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री टी. ए. खान, ज्येष्ठ अधिवक्ता जिनकी सहायता आदित्य कुमार आर्य द्वारा की गई और सुश्री फरीदा सिद्दीकी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सी. एस. रावत, अपर स्थायी काउंसेल

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ ने दिया ।

मु. न्या. जोसेफ – अपीलार्थी रिट याची है ।

2. अपीलार्थी ग्राम पंचायत का प्रधान था । अपीलार्थी की वित्तीय शक्तियों को (इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित) आक्षेपित विनिश्चय के द्वारा ले लिया गया था । विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय इस प्रकार है :–

> "याची की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षापाल सेखों उपस्थित हैं । अपर मुख्य स्थायी काउंसेल श्री योगेश पाण्डेय राज्य/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 की ओर से उपस्थित हैं । याची जिला ऊधम सिंह नगर के ग्राम मिस्सरवाला का ग्राम प्रधान है । उसकी (याची की) शिकायत पर एक जांच गठित की गई है और वर्तमान में मामले की जांच जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा की जा रही है । इसके परिणामस्वरूप, जांच के पूर्ण होने तक याची की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां 2016 के उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम की धारा 138(1)(ग) के अधीन वापस ले ली गई है ।
>
> चूंकि इन शक्तियों को जांच के लंबन के दौरान एक कानूनी उपबंध के अंतर्गत वापस लिया गया है, अतः यह न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित तारीख 28 जुलाई, 2017 के आदेश में कोई असंगतता नहीं पाती । तथापि, यह रिट याचिका संबद्ध जिला पंचायतराज अधिकारी को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वे इस मामले की जांच बिना किसी अनुचित विलम्ब के यथासंभव शीघ्रतापूर्वक विधि अनुसार करें ।"

इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने इस न्यायालय की शरण ली है ।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री टी. ए. खान, जिनकी सहायता अधिवक्ता श्री आदित्य कुमार आर्य द्वारा की गई और सुश्री फरीदा सिद्दीकी और उत्तराखंड राज्य/प्रत्यर्थियों की ओर से अपर मुख्य स्थायी काउंसेल श्री सी. एस. रावत को सुना ।

4. बाद में, हमारे समक्ष अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री टी. ए. खान द्वारा तीन दलीलें दी गईं । सर्वप्रथम विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थी की वित्तीय शक्तियों को वापस लिए जाने के बाबत कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है । उन्होंने दलील दी कि यह अपेक्षा 2016 के उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम (जिसको इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कह कर निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 138(1)(ग) को पढ़े जाने पर अपेक्षित प्रतीत होती

है । फिर भी उक्त उपबंध के अंग्रेजी रूपांतर में ऐसी कोई अपेक्षा दर्शित नहीं होती कि सरकार का संतुष्ट होना आवश्यक है । निःसंदेह रूप से हमारे समक्ष उपलब्ध कराया गया अनुवाद इस प्रकार है :–

"138. त्रि-काडर पंचायत के पदाधिकारियों की उनके पदों से बर्खास्तगी – राज्य सरकार पंचायतों के किसी सदस्य को निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर बर्खास्त कर सकती है –

(क) उसने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य का पद धारण की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की ओर से मतदान किया है या किसी वाणिज्यिक हित में चर्चा में भाग लिया है ।

(ख) वह सदस्य, प्रधान, उप-प्रधान, प्रमुख, उप-प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त हो गया है ।

(ग) उसको अपने कर्तव्यों के निर्वहन में वर्तमान कार्यकाल के या किसी पूर्ववर्ती कार्यकाल के दौरान किसी अवचार के लिए दोषी पाया गया है या उसने इस अधिनियम के किसी उपबंध का अतिक्रमण किया है या पंचायत निधि या संपत्ति को हानि पहुंचाई है या नुकसान पहुंचाया है और राज्य सरकार के मतानुसार वह महिला सदस्य, प्रधान, उप-प्रधान, प्रमुख, उप-प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पति, परिवार के सदस्यों या नातेदारों द्वारा अवचार, अतिक्रमण या हानि या अप्राधिकृत कार्यों के कारण अपने पद के अनुपयुक्त हो गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको विभागीय जांच पूर्ण होने तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और उनके कार्यों और दायित्वों को उस पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की समिति को समनुदेशित कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, विभागीय कर्मचारी/अधिकारी, जो जांच में दोषी पाया गया है, के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच भी की जा सकती है ।"

(रेखांकन जोर देने के लिए किया गया ।)

5. धारा 138(1)(ग) का अंग्रेजी पाठ निम्नलिखित है :–

"138. Separation from their posts to the officers of the three tiers Panchayat –

(1) The State Government may remove a member of the Panchayats on any of the following grounds –

(a) to (b) * * *

(c) That he has been guilty whether in his present or an earlier term of office, of misconduct in the discharge of his duty as such member, Pradhan, Up Pradhan, Pramukh, Up Pramukh, Chairman, Vice Chairman or has contravened any of the provisions of this Act or caused loss or damage to the fund or property of the state government or Panchayats and such misconduct, contravention or causing of loss or damage renders due to conduct of work as unauthorised in place by women representative, her husband or family members or relatives, such women shall be in eligible as member, Pradhan, Up Pradhan, Pramukh, Up Pramukh, Chairman, Vice Chairman, in such case they may be suspended upto the departmental final enquiry and their work and duties may be handedover to a committee of three elected members of the concerning Panchayat. In addition to the disciplinary action also may be taken aginst the departmental employees/officer, if found guilty in the enquiry."

6. अतः, प्रथम प्रश्न, जिसका हमको उत्तर देना है, यह है कि क्या भाषा, जिसका प्रयोग किया गया है, में इस अन्तर को दृष्टि में रखते हुए, हिन्दी वृत्तांत को निकाल दिया जाना चाहिए । हिन्दी वृत्तांत में जो अभिकथित है, का एक भाव है और इसलिए, न्यायालय को हिन्दी वृत्तांत का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा निवेदन किया गया है ।

7. यह प्रश्न अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है, यद्यपि स्थिरीकृत विधिक सिद्धान्तों के उपयोजन में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं । हम इस संबंध में निर्णयज विधि का उल्लेख करेंगे । हाजी लाल मोहम्मद बीड़ी वर्क्स, मीरगंज, इलाहाबाद और अन्य बनाम विक्रय कर अधिकारी, इलाहाबाद वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया । उस मामले में राज्य सरकार द्वारा 1948 के उत्तर प्रदेश विक्रय कर अधिनियम की धारा 3क(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना जारी की गई थी । न्यायालय की

पूर्ण न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त किया कि यद्यपि धारा 3क(2) को तारीख 31 मार्च, 1956 से प्रभावी होना प्रतीत किया जाना था चूंकि धारा 3क(2) में किए गए संशोधन को उसी तारीख से प्रभावी किया गया था और उद्देश्य यह था कि 1956 की अधिसूचना को विधिमान्य कर दिया जाए जिसको पहले शून्य अभिनिर्धारित कर दिया गया था, न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि पुरानी धारा प्रभाव में बनी रही और इसलिए, पुरानी धारा 3क(2) के अधीन अधिसूचना को किसी ऐसी अधिसूचना में परिवर्तित नहीं किया जा सकता जिसको नई पुरःस्थापित धारा के अधीन जारी किया गया था और उसको शून्य घोषित कर दिया गया था । इस कारणवश धारा 3 में पुनः एक संशोधन किया गया और यही वह धारा है जिसका निर्वचन किया गया । उक्त नई धारा ने एक नई विधिक अधिधारणा को सृजित कर दिया । यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या हिन्दी वृत्तांत और अंग्रेजी वृत्तांत के मध्य क्या अन्तर है । न्यायालय ने अन्य बातों के साथ जो अभिनिर्धारित किया, वह इस प्रकार है :–

> "याचियों में से एक याची के विद्वान् काउंसेल श्री जगदीश स्टाम्प द्वारा दलील दी गई कि इस धारा में अभिव्यक्ति 'उसी स्वरूप में जिसमें वे अधिनियम के आरम्भ के तुरंत पूर्व प्रवृत्त थीं', को शब्द 'अधिसूचना' को विशेषित करने वाली अभिव्यक्ति के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और अभिव्यक्ति 'उक्त धाराओं' को विशेषित करने वाली अभिव्यक्ति, जो कुछ पहले उद्भूत होती है, के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए । इस संदेह के निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश राजाज्ञा, जिसमें इस अधिनियम को हिन्दी में प्रकाशित किया गया था, का अवलोकन किया गया । हिन्दी को उत्तर प्रदेश विधान-मंडल द्वारा भाषा के रूप में स्वीकार किया गया ।
>
> संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधायकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, तो वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।
>
> अधिनियम का अंग्रेजी पाठ, जिसके आधार पर हमारे समक्ष दलीलें

दी गई, इस राज्य में मूल अधिनियम के मात्र अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ की हैसियत रखता है । जहां मूल अधिनियम हिन्दी में हो और कहीं भी कोई संदेह होने पर और वास्तव में और मुख्यतया ऐसी किसी अधिनियमिति के किसी उपबंध का उचित रीति में निर्वचन किए जाने के प्रयोजनार्थ उचित अनुक्रम यह है कि हिन्दी में प्रकाशित मूल अधिनियम का अवलोकन किया जाए । इन परिस्थितियों में हमने इस अधिनियम के हिन्दी पाठ का अवलोकन किया । इसका परीक्षण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अंग्रेजी के प्राधिकृत पाठ में उस स्वरूप, जिसमें वे इस अधिनियम के आरम्भ के तुरंत पूर्व प्रवृत्त थे, की गई अभिव्यक्ति शब्दों 'उक्त धाराओं' को विशेषित करती है और 1958 के बिक्री कर (वैधीकरण) अधिनियम की धारा 3 में शब्दों 'अधिसूचनाओं' को विशेषित नहीं करती । हिंदी पाठ की भाषा इस प्रकार है –

> 'माना कि उक्त धाराएं विज्ञप्तियों में जारी होने के उसी रूप में प्रचलित थीं जिस रूप में कि वे इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रचलित थीं ।'

यदि मूल हिंदी पाठ में संप्रेषित अर्थ को अंग्रेजी अनुवाद में उचित स्वरूप में लिया जाता जिससे कि कोई अस्पष्टता नहीं होती, जो आसानी से किया जा सकता था यदि अभिव्यक्ति 'उस तारीख पर जिसको अधिसूचनाएं जारी की गई थीं' को इस धारा में उस स्थान पर, जहां इस अभिव्यक्ति को स्थान दिया गया, को स्थान नहीं दिया गया होता किन्तु अभिव्यक्ति 'जैसे कि उक्त धाराएं थीं' और शब्द 'प्रवृत्त' को पहले स्थान दिया गया होता । यदि ऐसा किया गया होता तो हमारे लिए मूल हिंदी पाठ को निर्दिष्ट करना आवश्यक होता । उक्त निर्देश से यह बिंदु स्पष्ट हो जाता है कि 1958 के उत्तर प्रदेश बिक्री कर (वैधीकरण) अधिनियम की धारा 3 यह परिकल्पित नहीं करती कि अधिसूचनाएं या तारीख 31-3-1956 अधिनियम के आरम्भ के तुरंत पूर्व किसी भी स्वरूप में प्रवृत्त थीं । उक्त धारा जो परिकल्पित करती है, वह मात्र उन अधिसूचनाओं की विद्यमानता का तथ्य है या यदि इसी बात को अन्य स्वरूप में कहें तो उक्त धारा इस तथ्य को अवेक्षित करती है कि इस प्रकार की अधिसूचनाएं एक ही समय में जारी की गई थीं ।"

8. अपीलार्थी में विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने दलील दी कि न्यायालय का इस मत को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जे. के. जूट मिल्स कंपनी**

लिमिटेड बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय द्वारा अनुमोदन प्राप्त है । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ जो अभिनिर्धारित किया, वह निम्नलिखित है :–

> "किसी अर्थान्वयन, जिसके कारण ऐसे परिणाम सामने आएंगे, से यथासंभव बचा जाना चाहिए । इसमें कोई संदेह नहीं कि शब्दों 'ऐसे स्वरूप में जिसमें वे इस अधिनियम के आरम्भ होने के तुरंत पहले प्रवृत्त थे,' शब्द 'अधिसूचना' के पहले प्रयोग नहीं होते । किन्तु तत्पश्चात् शब्द 'इस स्वरूप में' का आपेक्षित अधिसूचना में कोई निर्देश नहीं हो सकता क्योंकि इन शब्दों ने कभी कोई स्वरूप नहीं बदला जबकि वे धारा 3क के सम्बन्ध में पूर्णतया उपयुक्त थे क्योंकि उनको संशोधित कर दिया गया था । आगे, इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि वैधीकरण अधिनियम हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया गया था और दोनों ही प्राधिकृत पाठ थे । हिंदी पाठ में शब्द समस्त संदेहों के परे स्पष्ट करते हैं कि शब्द 'उसी स्वरूप में जिसमें वे इस अधिनियम के आरम्भ होने के तुरंत पहले प्रवृत्त थे' शब्द 'धाराओं' को विशेषित करते हैं न कि शब्द 'अधिसूचना' को । इस मत को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ द्वारा एच. एल. एम. बीड़ी वर्क्स बनाम बिक्री कर अधिकारी वाले मामले में दोनों पाठों की तुलना किए जाने पर व्यक्त किया गया है और हम इससे सहमत हैं । इस दलील के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी कि यदि धारा में शब्दों का स्थान बदले जाने के द्वारा लिखित है कि 'चूंकि उक्त धाराएं उसी स्वरूप में थीं जिसमें वे इस अधिनियम के आरम्भ के होने के तुरंत पहले प्रवृत्त थीं, उस तारीख पर प्रवृत्त थीं जिस पर अधिसूचनाएं जारी की गई थीं ।' किन्तु अपने वर्तमान शब्दबंधन में भी इस धारा का वही अर्थ है और आक्षेपित अधिसूचना को वैधीकरण अधिनियम की व्यावृत्ति के अंतर्गत होना अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए ।"

9. हम यह उल्लेख करते हैं कि निर्णयज विधि को ध्यान में रखते हुए अगली प्रगति **माता बदल पाण्डेय और एक अन्य** बनाम **राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सात विद्वान् न्यायाधीशों द्वारा दिया गया निर्णय है । इस मामले में वृहत्तर न्यायपीठ ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया :–

---

[1] ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1534.

[2] 1974 यू. पी. टैक्स केसेज 570.

"10. जब कभी भी किसी अधिनियमिति में कोई अस्पष्टता विद्यमान होती है, तो विधान-मंडल का आशय का पता लगाने के लिए निर्वचन के सुस्थापित नियम लागू किए जाते हैं । जब कभी भी इस बाबत कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है कि क्या किसी उपबंध में प्रयुक्त शब्द 'और' को 'या' या इसके विपरीत के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, तो प्रश्न 'संदेह या अस्पष्टता' का उत्पन्न होता है । किन्तु जहां शब्द असंदिग्ध नहीं हैं, वहां उनके निर्वचन का प्रश्न निश्चित रूप से नहीं उठता ।

11. अतः हमारा यह मत है कि जहां किसी उपबंध के प्रमाणिक अंग्रेजी पाठ में कोई संदेह या अस्पष्टता है, तो यह अनुज्ञेय है कि किसी संदेह या अस्पष्टता को दूर करने के लिए हिंदी पाठ का अवलोकन किया जाए । तद्‌नुसार, हम इस न्यायपीठ को निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में देते हैं ।"

तथापि, यह भी आवश्यक है कि उक्त निर्णय के पैरा संख्या 4 का उल्लेख किया जाए, जो इस प्रकार है :–

"4. हम आरम्भ में ही यह उल्लेख करते हैं कि यदि हिंदी और अंग्रेजी में प्राधिकृत पाठ में 'विरोध' के मध्य अंतर और अंग्रेजी में प्राधिकृत पाठ में 'अस्पष्टता और संदेह' को ध्यान में रखा जाए, तो इस न्यायालय के विनिश्चयों में दृश्यमान विरोध लुप्त हो जाएगा । जब दोनों पाठों में सामंजस्य या समन्वय स्थापित किया जाना संभव न हो तो दोनों पाठों के उपबंधों के मध्य विरोध तो रहेगा और तब यह प्रश्न उद्‌भूत होगा कि दोनों में से कौन सा पाठ अभिभावी होगा । इस प्रकार के विरोध के परिणामस्वरूप प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ में 'संदेह या अस्पष्टता' अपने आप ही नहीं उत्पन्न हो जाती । 'विरोध' के समाधान पर लागू सिद्धांत 'संदेह या अस्पष्टता' के समाधान पर लागू नहीं होते । प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ के किसी भी उपबंध में 'संदेह या अस्पष्टता' के मामले में कानूनों के निर्वचन के सामान्य नियम लागू किए जाएंगे ।"

10. अब, हम **कानोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करेंगे । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ जो अभिनिर्धारित किया, वह निम्नलिखित है :–

---

[1] (1992) 2 एस. सी. सी. 124.

"तृतीय आक्षेप यह है कि संशोधन अधिनियम का हिंदी पाठ का शब्दांकन भिन्न है और उसमें अंग्रेजी पाठ में पाए गए शब्द 'प्रथम बार' समाविष्ट हैं । माता बादल पाण्डेय **बनाम** राजस्व बोर्ड (पूर्वोक्त) वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिए गए विनिश्चय का अवलंब इस बात को साबित किए जाने के लिए लिया गया कि जहां अंग्रेजी शब्दों को सपाट रूप से पढ़े जाने पर विधान-मंडल के सत्य आशय के बाबत संदेह या अस्पष्टता प्रतीत होती है और उनके मुकाबले में हिंदी पाठ में परस्पर विरोध या भिन्नता है, तो हिंदी पाठ के आधार पर ही उत्तर प्राप्त किए जाएंगे । हम नहीं समझते कि हिंदी पाठ वास्तविकता में इस स्थिति को परिवर्तित करता है; वास्तव में यह अंग्रेजी पाठ में शब्दों 'प्रथम बार' की उपस्थिति ही है जिसके कारण अस्पष्टता सृजित होती है । इन शब्दों के बिना यह खंड स्पष्टतया उपबंधित करता है कि बिजली की समस्त आपूर्ति, जिसके लिए तारीख 20 मई, 1983 के पश्चात् संदाय किया जाना है, के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर शुल्क अधिरोपित किया जाएगा । अतः, हम अपीलार्थी की दलील को अस्वीकृत करते हैं और अभिनिर्धारित करते हैं कि बोर्ड द्वारा तारीख 20 मई, 1983 से दरों का निर्धारण और समय की भिन्न अवधियों के लिए भिन्न दरें संतोषजनक हैं ।"

11. अब आगे **नित्यानंद शर्मा और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया जाता है । उक्त मामले में निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में प्रश्न विचारणार्थ उद्भूत हुए :—

"अपीलार्थियों ने, जो लोहार जाति से सम्बन्ध रखते हैं, अधिनियम के अधीन अनुसूचित जनजातियों की हैसियत और आदेश प्रदान किए जाने का दावा किया और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा में प्रोन्नति प्रदान किए जाने की ईप्सा की । मामला भागतः इस तथ्य पर आधारित था कि लोहार समुदाय को अधिनियम के अधीन अनुसूची में सम्मिल्लित किया गया था, जैसा कि आदेश के हिंदी पाठ से स्पष्ट होता है और इसलिए, उन्होंने दावा किया कि वे अनुसूचित जनजाति की हैसियत के हकदार हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस दलील पर विचार करते हुए जो अभिनिर्धारित किया, वह निम्न प्रकार है —

---

[1] (1996) 3 एस. सी. सी. 576 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2306.

'19. संविधान का अनुच्छेद 348(1)(ख) उपबंधित करता है कि भाग 2 में किसी बात के होते हुए भी (अध्याय 2 में अनुच्छेद 346 और 347 क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित हैं), प्रस्तावित किए जाने योग्य सभी विधेयकों के प्राधिकृत पाठ और उनके संशोधनों, जिनको संसद् के किसी भी सदन में पेश किया जानी हैं ... राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेश ... और संविधान के अधीन या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी कोई भी आदेश, नियम, विनियम और उप-विधि अंग्रेजी भाषा में होगा । सर्वोपरि खंड के साथ इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद (3) के क्रियान्वयन के अंतर्गत, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने प्रस्तावित किए जाने वाले बिलों या पारित किए जाने वाले अधिनियमों में प्रयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को विहित कर दिया है, तो उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का या इस उपखंड के पैरा 3 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उप-विधि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार के अंतर्गत प्रकाशित किया जाएगा । इसलिए संसद् द्वारा अंग्रेजी भाषा में अधिनियमित अधिनियम और उनके साथ संलग्न अनुसूची अधिनियम के भाग हैं । यह प्राधिकृत पाठ है । अनुसूचियों का अनुवाद हिंदी में किया गया, तो अनुवादक ने गलती से वर्ण 'ए' को छोड़ते हुए शब्द लोहरा का अनुवाद लोहार के रूप में कर दिया जबकि अंग्रेजी पाठ में लोहरा लिखित है । यह भी स्पष्ट है कि जब हम पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंधित द्वितीय अनुसूची के भाग 6 की तुलना करते हैं, तो पाते हैं कि शब्द लोहार का उल्लेख हिंदी और अंग्रेजी, दोनों पाठों में नहीं है । न्यायालय संसद् के अधिनियमों का न्यायिक संज्ञान लेता और अनुसूची का निर्वचन अंग्रेजी पाठ, जो अधिनियम और द्वितीय अनुसूची का प्राधिकृत पाठ है, के प्रकाश में करता है ।'"

12. अब हम **पार्क लेदर इंडस्ट्री (प्राइवेट) लिमिटेड और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करेंगे । इस मामले में यह प्रश्न उद्भूत हुए

---

[1] (2001) 3 एस. सी. सी. 135 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 931.

कि क्या शोधित चमड़ा 1964 के उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम की अनुसूची के भाग 6 की प्रविष्टि 11 के अधीन अभिव्यक्ति "खालें और चमड़ा" के अंतर्गत आता है । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभिनिर्धारित किया, वह इस प्रकार है :–

> "23. अन्यथा भी हमारा उपरोक्त मत परिभाषा के हिंदी पाठ द्वारा समर्थित है । जैसा कि कृषि उत्पादन मंडी समिति वाले मामले में अभिनिर्धारित किया जा चुका है, यह सुविख्यात है कि उत्तर प्रदेश में सभी विधान हिंदी में हैं । साथ ही साथ अंग्रेजी पाठ भी प्रकाशित किया जाता है । निःसंदेह रूप से यदि दोनों (हिंदी पाठ और अंग्रेजी पाठ) के मध्य विरोध है, तो अंग्रेजी पाठ लागू होगा । तथापि, यदि दोनों के मध्य कोई विरोध न हो, तो भी इस बात का पता लगाने के प्रयोजनार्थ कि क्या अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द में कोई विशिष्ट बात सम्मिलित है या नहीं, कोई भी हिंदी पाठ की सहायता कोई भी ले सकता है । हिंदी पाठ में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, वह है 'चमड़ा' । इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि शब्द 'चमड़ा' में शब्द 'leather' सभी स्वरूपों में सम्मिलित होगा ।"

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नित्यानंद शर्मा** (पूर्वोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण **प्रभात कुमार शर्मा** बनाम **संघ लोक सेवा आयोग और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय में लिया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती मामले में अधिकथित विधि के पुनर्विचारण के अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए **नित्यानंद शर्मा** (पूर्वोक्त) वाले मामले में व्यक्त किए गए विचार से सहमति व्यक्त की ।

14. अंततः, हम इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय से संबंधित वृत्तांत को पूर्ण करने के प्रयोजनार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश** बनाम **एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड**[2] वाले मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट करते हैं । इस मामले में यह प्रश्न विचारणार्थ उद्‌भूत हुआ कि क्या उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत बबल-गम मद "मिठाई" के अंतर्गत आएगा । माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिना किसी हिचकिचाहट जो अभिनिर्धारित किया, वह निम्नलिखित है :–

> "यहां पर यह उल्लेख करना लाभदायक है कि उत्तर प्रदेश राज्य

---

[1] (2006) 10 एस. सी. सी. 587 = 2006 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5379.

[2] (2008) 7 एस. सी. सी. 409 = 2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5317.

की राजभाषा हिन्दी है । यदि हिन्दी और अंग्रेजी में जारी की गई अधिसूचनाओं के मध्य कोई अंतर पाया जाता है तो हिन्दी में जारी की गई अधिसूचना लागू होगी । उक्त अधिसूचनाओं के आधार पर न्यायालयों ने निर्णीत किया है कि मिष्ठान मिठाई और मीठा के अंतर्गत आता है, किन्तु इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि बबल-गम किसी मिठाई की श्रेणी के अन्तर्गत आता है ।"

15. हम केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय को भी निर्दिष्ट करते हैं । **मर्सी जार्ज** बनाम **केरल राज्य चुनाव आयोग और अन्य**[1] वाले मामले में विद्वान् एकल न्यायाधीश ने **नित्यानंद** (पूर्वोक्त) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का अनुसरण किया और अंग्रेजी पाठ को प्राधिकृत और बाध्यकारी पाठ माना और उसका अनुसरण किया है ।

16. **पी. के. अलवी** बनाम **जिला कलक्टर और अन्य**[2] वाले मामले में न्यायालय की खंड न्यायपीठ से निम्नलिखित तथ्यात्मक विषय पर उत्पन्न हुए विवाद्यक को निर्णीत किए जाने की अपेक्षा की गई थी :–

> "2001 का केरल नदी के तटों का संरक्षण और रेती का निष्कासन अधिनियम नामक विधि पारित की गई थी । उक्त अधिनियम की धारा 23 का अंग्रेजी पाठ इस प्रकार है –
>
> > 'यानों का समपहरण – जो कोई भी इस अधिनियम के उपबंधों का पालन किए बिना रेती का परिवहन करता है, दंडित किए जाने योग्य होगा और परिवहन के लिए उपयोग किया गया यान पुलिस या राजस्व अधिकारियों द्वारा अभिगृहित किए जाने योग्य होगा ।
> >
> > किन्तु, मलयालम पाठ में, शब्द समपहरण के स्थान पर एक अन्य शब्द, जिसका अर्थ अभिग्रहड से है, का प्रयोग किया गया था । खंड न्यायपीठ ने मत व्यक्त किया कि इस शब्द को उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए और अभिनिर्धारित किया कि अंग्रेजी पाठ लागू होगा ।'"

17. हम इस मामले में कतिपय लक्षणों का उल्लेख करते हैं । उत्तर प्रदेश विधान-मंडल ने 1950 का उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक और

---

[1] 2009 (2) केरल ला जर्नल 844.

[2] आई. एल आर. 2007 (4) केरल 221.

अधिनियम) अधिनियम पारित किया है । इस अधिनियम की धारा इस प्रकार है :–

"विधेयकों और अधिनियमों में हिन्दी का प्रयोग – उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल द्वारा पुरःस्थापित विधेयकों या पारित अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगा ।"

18. अगले ही वर्ष उसी विधान-मंडल ने 1951 का उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम पारित किया जिसको भी अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने निर्दिष्ट किया । इस अधिनियम की धारा 2 इस प्रकार है :–

"2. राज्य की राजभाषा हिन्दी – संविधान के अनुच्छेदों 346 और 347 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना देवनागरी लिपि में हिन्दी, उस तारीख जिसको राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियुक्त करे, निम्नलिखित के संबंध में भाषा होगी –

(क) (i) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेशों ;

(ii) भारत के संविधान के या संसद् या राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों, नियमों, विनियमों और उप-विधियों ; और

(ख) राज्य के समस्त या किन्हीं आधिकारिक प्रयोजनों ; और पूर्वोक्त खंड (क) और (ख) में विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न तारीखें नियुक्त की जा सकती हैं ।"

19. 2000 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य में ये दोनों अधिनियम लागू हैं । इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील भी दी कि हिन्दी के राजभाषा होने के कारण हिन्दी पाठ ही लागू होगा । इस प्रक्रम पर यह आवश्यक है कि भारत के संविधान के दो अनुच्छेदों, अर्थात् 345 और 348 का उल्लेख किया जाए, जो इस प्रकार है :–

"345. **राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं** – अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के

सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के प्ररूप में अंगीकार कर सकेगा :

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था ।

348. **उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा** – (1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक –

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

(ख) (i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के,

प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे ।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) के किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी ।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुई भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों में या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।"

20. इन सभी उपबंधों का एक साथ अध्ययन किए जाने पर जो परिणाम निकलता है, वह निम्नलिखित है :–

"अनुच्छेद 345 के अधीन किसी राज्य का विधान-मंडल उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली एक या एक से अधिक भाषाओं या हिन्दी को उस राज्य के समस्त या किसी राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकता है । यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के अध्यधीन है । अनुच्छेद 345 के निबंधनों के अनुसार यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश विधान-मंडल ने दो विधियां पारित की हैं जिनका हमने उल्लेख किया है अर्थात् 1950 का उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक और अधिनियम) अधिनियम और 1951 का उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम । राज्य ने निःसंदेह रूप से इन विधियों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी को विधियां अधिनियमित किए जाने के प्रयोजनार्थ, चाहे वे सर्वांगीण विधान हों या अधीनस्थ विधान, भाषा के रूप में अंगीकृत किया है, किन्तु इन विधियों को संविधान के अनुच्छेद 348(3) में समाविष्ट परिसीमा के अन्तर्गत कर दिया गया है । अनुच्छेद 348(3) के अधीन किसी भी विधि का अनुवाद, जो अंग्रेजी के अलावा राजभाषा में किया गया हो, प्रकाशित किए जाने को कर्तव्य बना दिया गया है । अनुवाद का प्रकाशन राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार के अंतर्गत राज्य के शासकीय राजपत्र में किया जाना होता है । अनुच्छेद 348 का उप अनुच्छेद (3) असंदिग्ध रूप से पुनः घोषणा करता है कि इस अनुवाद को अनुच्छेद 348 के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा । अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 348(1) उपबंधित करता है कि सभी विधेयकों और अधिनियमों के

प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होने होते हैं । आकस्मिक स्थिति में यह उपबंधित कर दिया गया है कि राज्य किसी अन्य भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकृत कर सकता है जिसमें अंग्रेजी में बनाई जाने वाली विधि का अनुवाद किए जाने के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने उपबंधित किया है और विधान-मंडल द्वारा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में बनाया गया है । ऐसी स्थिति में निःसंदेह रूप से अंग्रेजी पाठ को संविधान के अनुच्छेद 348 के उप अनुच्छेद (1) के अर्थान्तर्गत प्राधिकृत पाठ माना जाएगा ।"

21. विधि के विभिन्न उपबंधों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् हम किसी अस्पष्टता, जो दो पाठों के मध्य विद्यमान हो सकती है अर्थात् (i) अंग्रेजी भाषा और (ई) कोई अन्य भाषा, जो संबद्ध राज्य की राजभाषा हो, के प्रभाव पर विचार करते हैं । हमारे विवेकानुसार व्यापक रूप से दो परिस्थितियां हो सकती हैं । जैसा कि **नित्यानंद शर्मा** (पूर्वोक्त) वाले मामले और **प्रभात कुमार शर्मा** (पूर्वोक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, विधि के मूल पाठ को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाना चाहिए । उसका अनुसरण उसके हिन्दी पाठ द्वारा किया जाना चाहिए । द्वितीय संभाव्यता यह है कि जहां विधि को संबद्ध राज्य की राजभाषा बनाया जाता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में हिन्दी राजभाषा है । वहां पर विधि हिन्दी भाषा में बनाई जा सकती है और उसका अनुसरण अनुच्छेद 348(3) के अर्थान्तर्गत अंग्रेजी अनुवाद द्वारा किया जा सकता है, जिसको अनुच्छेद 348(1) के अधीन प्राधिकृत पाठ माना जाएगा । किसी ऐसे मामले में, जहां विधि अंग्रेजी भाषा में बनाई गई है और हिन्दी पाठ में अनुवाद के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह नितांत रूप से स्पष्ट है कि अंग्रेजी पाठ को प्रमुखता प्रदान की जाएगी । तथापि, जहां विधि अंग्रेजी भाषा के अलावा राजभाषा में बनाई जाती है जैसे कि इस मामले में हिन्दी भाषा में और अनुवाद किए जाने पर असंगतता उत्पन्न होती है, तो इससे पुनः दो व्यापक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं । पहली परिस्थिति अनुवादक की अपर्याप्तता और अकुशलता के कारण उत्पन्न होगी, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन किए गए अनुवाद के कारण संदेह या अस्पष्टता सृजित हो सकती है । जबकि यह सत्य है कि अनुच्छेद 348(1) के अर्थान्तर्गत प्राधिकृत पाठ होगा, चूंकि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विधान-मंडल के आशय को प्रभावी बनाए, भिन्नताओं का समाधान किए जाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए । विधि के

निर्माताओं के आशय का पता लगाए जाने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए । हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों पाठों का अवलोकन किया जाना चाहिए और न्यायालय उस पाठ, जो विधान-मंडल के आशय को भली-भांति अर्थ प्रदान करने वाला है, का अवलंब लेने में, निर्वाचन के विभिन्न नियमों और विशेष रूप से उद्देश्यपूर्ण नियमों को लागू करने में अपनी शक्तियों के अन्तर्गत होगा ।

22. द्वितीय कोटि के मामले वे मामले हैं जहां दोनों पाठों के मध्य विरोध है, अर्थात् हिन्दी पाठ और अंग्रेजी पाठ । यदि हिन्दी पाठ और अंग्रेजी पाठ के मध्य विरोध है, तो हमारा विचार है कि विधि का अनुच्छेद 348(3) के अधीन प्रकाशित अनुवाद अभिभावी होगा । हमने ये विचार न केवल माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पार्क लेदर इंडस्ट्री** (पूर्वोक्त) वाले मामले में अधिकथित विचार का अवलंब लेते हुए बल्कि **माता बदल पाण्डेय** (पूर्वोक्त) वाले मामले में सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा व्यक्त किए गए मत का अनुसरण करते हुए भी व्यक्त किए हैं ।

23. इस विषय पर लागू होने वाले विधिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए हमारा कर्तव्य है कि मामले के तथ्यों पर विधि को लागू किया जाए । इस मामले में धारा 138(1)(ग) का अंग्रेजी पाठ उन शक्तियों, जिनका प्रयोग संतुष्ट होने के पश्चात् सरकार के विरुद्ध किया जाना है, जो कि एक ऐसी अपेक्षा है जिसको निःसंदेह रूप से हिन्दी पाठ में पाया गया है, पर शर्तें अधिरोपित नहीं करता । हमको अंग्रेजी अनुवाद में शब्दों की आपूर्ति करनी होगी जिससे कि उसका हिन्दी अनुवाद के अनुसार बनाया जा सके । अन्य शब्दों में, हमारे विचार में यह मात्र संदेह या अस्पष्टता का मामला नहीं है । यह एक स्पष्ट मामला है जहां शब्दों, जिनको हिन्दी पाठ में पाया जाना है, अंग्रेजी पाठ में विलुप्त है । वास्तव में, हमको उस दृष्टिकोण को लागू करना है जिसको अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने इस न्यायालय को संबोधित करते हुए आरम्भ में ही दलीलें देते हुए दोनों पाठों के मध्य दिन और रात के मध्य अंतर के रूप में स्पष्ट किया है । हम उनसे सहमत हैं कि हिन्दी पाठ और अंग्रेजी पाठ के मध्य सुसंगत भाग में अत्यधिक अंतर है । यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि और साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि का अनुसरण करते हुए हिन्दी पाठ और अंग्रेजी पाठ के मध्य विरोध का मामला है, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि चूंकि सरकार ने अपने विवेक

का प्रयोग नहीं किया और अपना मत स्थगित नहीं किया जैसा कि धारा 138(1)(ग) के हिन्दी पाठ के अधीन अपेक्षित है, आक्षेपित आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाए, यह अमान्य किए जाने योग्य है और हम इसको अस्वीकृत करते हैं ।

24. अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा दी गई अगली दलील यह है कि विद्वान् अपर मुख्य स्थायी काउंसेल ने जो पक्षकथन किया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 140 और 185 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अधीन धारा 138(1)(ग) के अधीन प्रदत्त सरकार की शक्ति का प्रयोग किया गया है (वास्तव में, विद्वान् मुख्य स्थायी काउंसेल श्री परेश त्रिपाठी ने दलील दी कि यह धारा 146 है और न कि धारा 140) । अधिनियम की धारा 146 और 185 निम्नलिखित है :–

> "146. राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को उन शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन करते हुए, जिनको वह अधिरोपित करना चाहती है, कर सकती है ।
>
> 185. राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला पंचायत या जिला पंचायतों या क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र पंचायतों के अध्यधीन नियत प्राधिकारी को कर सकती है ।"

25. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील देने का प्रयास किया कि शक्तियों को केवल धारा 138(4) के अर्थान्तर्गत प्रत्यायोजित प्रतीत किया जाना चाहिए । अधिनियम की धारा 138(4) निम्नलिखित है :–

> "138(4). निलंबन – (क) यदि आरम्भिक जांच के पश्चात् प्रधान, उप-प्रधान, प्रमुख, उप-प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रथमदृष्ट्या दोषी पाते हैं, तो राज्य सरकार अंतिम जांच तक उसको निलंबित रख सकती है ।
>
> (ख) यदि यह साबित हो जाता है कि ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक प्रधान/उप-प्रधान के घर में आहूत की गई है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जांच के पश्चात्, राज्य सरकार उसको निलम्बित

कर सकती है :

परंतु यह तब जबकि राज्य सरकार/पदनामित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर न दे दिया गया हो ।"

26. अधिसूचना जिला मजिस्ट्रेट को धारा 138(4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकती । यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने निवेदन किया कि शब्द "विहित प्राधिकारी" को धारा 138(4) में होना चाहिए, हम यह नहीं समझते कि धारा 185, जिसके द्वारा धारा 138 के अधीन प्रदत्त शक्ति को विहित प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर दिया गया है, जो स्थानीय पंचायत के मामले में जिला मजिस्ट्रेट के पास हैं, के अधीन अधिसूचना की परिधि को ध्यान में रखते हुए शक्ति को संक्षिप्त कर दिया जाना चाहिए ।

27. तीसरी और अंतिम दलील, जो अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा दी गई, यह है कि धारा 138(1)(ग) का भाग, जो अन्य बातों के साथ प्रधान को उसकी वित्तीय शक्तियों से वंचित किए जाने के बारे में उपबंधित करता है, एक स्वतंत्र शक्ति है और इसलिए प्रत्यायोजित शक्तियां, जिनका प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट धारा 185 सपठित धारा 146 के अधीन अधिसूचना के अधीन करता है, को उस सीमा तक विस्तारित नहीं किया जा सकता । हम यह नहीं समझते कि इसमें कोई गुणागुण है । राज्य सरकार द्वारा प्रधान, उप-प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य के संबंध में शक्ति को असंदिग्ध रूप से जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर दिया गया है । शक्ति के प्रत्यायोजन को रिट याचिका में चुनौती नहीं दी जा सकती । इसलिए, हमसे उक्त प्रश्न को निर्णीत किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है ।

28. अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील भी दी कि उसके विरोधियों को एक समिति के गठन के द्वारा स्थान दे दिए गए हैं । हम नहीं समझे कि हमको इस पहलू की जांच करनी चाहिए ।

29. उपरोक्त चर्चा का निष्कर्ष यह निकलता है कि अपील विफल होती है । ऐसा कहते हुए हम यह महसूस करते हैं कि जांच पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए । तद्नुसार, हम निर्देशित

करते हैं कि अधिनियम की धारा 138 के अधीन अंतिम जांच आज से दो माह के भीतर समाप्त हो जानी चाहिए ।

30. हमको इस समस्या और इसके परिणामस्वरूप वह तरीका जिसमें अनुवाद किया गया है, जिसको अपीलार्थी द्वारा इस मामले में, हमारे समक्ष उठाया गया, से अत्यधिक पीड़ा हुई है । हमने विभिन्न विधियों के अनुवादित पाठों की अनुपलब्धता की समस्या का सामना किया है । हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि सरकार शीघ्रतापूर्वक अनुवाद उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि अनुवाद इस प्रकार से किए जाएं, जो विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के मूल पाठ के सामंजस्य में हों । यह मात्र सर्वांगीण विधायन पर लागू नहीं होता बल्कि सभी प्रकार के अधीनस्थ विधायन पर भी लागू होती है । इसलिए, हम निदेशित करते हैं कि इस निर्णय की एक प्रति उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव को अग्रेषित की जाएगी ताकि मुख्य सचिव मामले के इस पहलू पर ध्यान दे सकें । इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह अपील लागत के संबंध में कोई आदेश पारित किए बिना खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अवि.

.......................पूर्ववर्ती निर्णय का आगामी भाग

56. तारीख 15 सितम्बर, 2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"आज इस न्यायालय के समक्ष ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एस. आर. सुराना ने हिंगौनिया गौशाला के संबंध में सामूहिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की । उक्त रिपोर्ट की प्रति महाधिवक्ता श्री एन. एम. लोढ़ा को एवं नगर निगम की अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ को दिलाई गई । इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से जिन बिन्दुओं को उठाया गया है उनके संबंध में विद्वान् महाधिवक्ता ने दस दिवस का समय चाहा है । उनका कथन है कि उन्होंने पूर्व में भी हिंगौनिया गौशाला के कार्य को व्यक्तिगत रूप से लिया है । उनका कथन है कि चूंकि यह धार्मिक कार्य है और वे इस कार्य को निष्ठा से करेंगे एवं जो भी कमियां रही हैं उन्हें दूर कराएंगे । उन्हें इस हेतु कम से कम दस दिवस का समय दिया जाए ।

प्रकरण को तारीख 30 सितम्बर, 2014 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई सामूहिक निरीक्षण रिपोर्ट को पत्रावली में संलग्न रखा जाए ।"

57. इसके उपरांत प्रकरण में तारीख 10 नवम्बर, 2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस मामले में कमिश्नर एवं ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एस. आर. सुराना ने इस न्यायालय का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित किया –

1. एक नक्शे का न्यायालय को अवलोकन कराते हुए कथन किया गया कि गौशाला की भूमि पर कुछ भू-माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसे हटाया जाना चाहिए ।

2. डाक्टरों की टीम सही रूप से कार्य नहीं कर रही है । सप्ताह में दो ही आपरेशन किए जाते हैं जबकि सर्जरी के चार डाक्टर कार्यरत हैं । एक्स-रे मशीन एवं सोनोग्राफी मशीन इत्यादि मशीनें सही रूप से संचालित नहीं हैं ।

3. गौशाला में गायें अत्यधिक हो गई हैं, जिनके लिए बाड़ों की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है । बाड़ों की उपयुक्त व्यवस्था

की जाए ।

4. उचित लाईट की व्यवस्था, चारा व पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था कराई जाए ।

5. आपरेशन थियेटर व आई. सी. यू. जो बनाए गए हैं उनकी हालत बिगड़ गई है, जिन्हें ठीक कराया जाए । प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरणों को स्थापित कराया जाए ।

6. नगर निगम के पास 16 करोड़ रुपए की रिटेन्डरिंग कर दी गई है, यदि तारीख 31 मार्च, 2015 तक उक्त राशि का उपयोग नहीं किया गया तो वह राशि लेप्स हो जाएगी, इस हेतु उपयुक्त कदम उठाए जाएं ।

7. जो रास्ता टूट गया है उसकी उपयुक्त मरम्मत कराई जाए ।

इस न्यायालय द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री बी. एन. सान्दू को तलब कर उनका ध्यान इन बिन्दुओं की और दिलाया गया । उनसे अपेक्षा की जाती है कि इन बिन्दुओं की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाते हुए इनका समाधान संबंधित विभागों के अधिकारियों से अविलंब कराएंगे । सभी ने मिलकर यह तय किया है कि वे तारीख 16 नवम्बर, 2014 को विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री बी. एन. सान्दू के साथ मौके पर जाकर उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के निवारण कराएंगे संयुक्त निदेशक जी. आर. बैरवा, नगर निगम के सी. ई. ओ. या उनके नोमिनी, राज्य सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारियों को 16 नवम्बर, 2014 को मौके पर पहुंचने हेतु सूचित करेंगे एवं अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख पर प्रस्तुत करेंगे । प्रकरण को तारीख 28 नवम्बर, 2014 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए ।"

तारीख 28 नवम्बर, 2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"आज यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश तारीख 10 नवम्बर, 2014 की अनुपालना में न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है । इस न्यायालय के समक्ष नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानाराम चौधरी मय अन्य अधिकारियों के

समक्ष उपस्थित हैं, निदेशक, एनीमल हसबेण्डरी श्री राजेश मान मय अन्य अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हैं । इस न्यायालय के समक्ष नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानाराम चौधरी ने निम्नलिखित कथन किए हैं –

1. हिंगौनिया गौशाला की भूमि पर जो अतिक्रमण हैं उन्हें 15 दिवस की अवधि में हटवा दिया जाएगा । बाड़ों की दीवारों, लोहे के फाटकों व टूटी हुई केचों को एक माह की अवधि में रिपेयर करवा दिया जाएगा ।

2. बीस बाड़े छह माह की अवधि में बनवा दिए जाएंगे । लगभग 10-15 दिन की अवधि में उक्त बाड़ों को बनवाए जाने के संबंध में टेण्डर जारी कर दिए जाएंगे ।

3. चारा पानी का इन्तजाम सही तरीके से कराया जाएगा । श्रमिकों की संख्या को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाते रहेंगे ।

4. जो पानी निकालने के लिए मशीनें लगी हुई है उनकी सफाई व उनको रिपेयर एक माह की अवधि में करवा दिया जाएगा । जो गौपथ टूट गया है उसे भी ठीक करवा दिया जाएगा ।

5. उन्होंने यह कथन किया है कि नगर निगम की एडवरटाइजिंग के लिए आई. एन. एस. ने यह सलाह दे रखी है कि नगर निगम की एडवरटाइजिंग प्रकाशित न की जाए । ऐसी सूरत में गौशाला का उत्थान करने में वे असमर्थ हैं । क्योंकि नियमानुसार बिना प्रकाशन के टेण्डर जारी नहीं हो सकते हैं । यह न्यायालय श्री ज्ञानाराम चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम से यह अपेक्षा करता है कि वे संबंधित समाचारपत्र के प्रधान संपादक से संपर्क कर इस न्यायालय के आदेश की प्रति उनके समक्ष रखकर उनसे यह आग्रह करें कि चूंकि यह धार्मिक कार्य है, इसलिए इसमें टेण्डर प्रकाशन का जो भी नियमानुसार खर्चा होगा वह नगर निगम देने को तैयार हैं । संबंधित समाचारपत्र के प्रधान संपादक जिनके समक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस आदेश की प्रति रखेंगे उनसे यह अपेक्षा की जाती हैं कि वे मानवता के आधार पर एवं गौशाला के

उत्थान को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार टेण्डर प्रकाशित करेंगे एवं खर्चा नगर निगम से प्राप्त करेंगे, ऐसे खर्चे को नगर निगम उन्हें देगा ।

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी से न्यायालय यह अपेक्षा करता है कि जो भी गायें शहर में कूड़ा स्थानों पर, सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर मिले उन्हें पकड़कर हिंगौनिया गौशाला में दाखिल कराएं तथा इस हेतु संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं । उन गायों को छोड़ने का अधिकार शिकायत में दर्ज कराए गए अपराध को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट को होगा ।

7. नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि दूरभाष नगर 1962 हमेशा चालू रखा जाए ।

8. जो भी दाना पानी गायों के लिए आवश्यक होगा वह यथासंभव दिलवाया जाएगा ।

9. वे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की व्यवस्था का भी ध्यान रखेंगे तथा कोई कमी होगी तो पूर्ण कराएंगे ।

10. उन्होंने कथन किया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में समय समय पर पारित किए गए आदेशों की पालना कराएंगे । पूर्व में जनरेटर खरीद करने व लगाने का आदेश दिया था इसलिए पुनः आदेश देने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने कथन किया कि पूर्व में पारित किए गए आदेशों की अक्षरशः पालना की जाएगी ।

निदेशक, एनीमल हसबेण्डरी श्री राजेश मान ने यह कथन किया है कि वे दो एम्बुलेंस खरीदने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, राज्य सरकार से आदेश प्राप्त होने के बाद एम्बुलेंस खरीद की जाएगी । उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया है कि डिजिटल एक्सरे मशीन, ऑटो एनालाईजर व प्रयोगशाला से संबंधित उपकरण दो माह की अवधि में रिप्लेस कर दिए जाएंगे ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें ।

इस प्रकरण को तारीख 16 जनवरी, 2015 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया

जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति सभी संबंधित को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए ।"

58. तारीख 16 जनवरी, 2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"यह याचिका आज आवश्यक अनुपालन के लिए इस न्यायालय द्वारा तारीख 28 नवम्बर, 2014 को पारित आदेश में उल्लेखित बिन्दुओं पर आवश्यक कदम उठाने के लिए सूचीबद्ध की गई है ।

श्री एस. के. यादव की सहायता करने वाले याची की ओर से श्री एस. आर. सुराना, श्री पी. सी. भंडारी और श्री विमल चौधरी, विद्वान् काउंसेलों ने, न्यायालय आयुक्त ने इस न्यायालय से अनुरोध किया है कि तारीख 28 नवम्बर, 2014 के आदेश की आवश्यक अनुपालना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने उपस्थित होकर नहीं की है । यह भी अनुरोध किया है कि निदेशक, पशुपालन ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पशुपालन से संबंधित कार्य को पूरा नहीं किया है जैसा कि आदेश किया गया था ।

श्री ज्ञान राम चौधरी, सी. ई. ओ., नगर निगम, जयपुर के साथ नगर निगम की ओर से काउंसेल श्री बी. एन. संधु, महाधिवक्ता और श्रीमती नैना सर्राफ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं ।

इस न्यायालय ने श्री चौधरी से यह पूछा है कि क्यों तारीख 28 नवम्बर, 2014 के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है और अब कितने समय में, और किस रीति से उसका अनुपालन किया जाएगा, जिसका उसने यह उत्तर दिया है कि कुछ और समय आवश्यक अनुपालन के लिए दिया जाए ।

इसलिए, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, श्री ज्ञान राम चौधरी, सी. ई. ओ. नगर निगम, जयपुर को तारीख 28 नवम्बर, 2014 के आदेश में उल्लेखित बिन्दुओं पर शपथपत्र फाइल करने का निदेश दिया जाता है ।

श्री जे. आर. बैरवा, संयुक्त निदेशक, पशुपालन जो श्री राजेश मान, निदेशक, पशुपालन की ओर से उपस्थित हुए हैं, ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि बहुत ही शीघ्र आवश्यक

कार्य पूरा कर लिया जाएगा, इसीलिए उसे तारीख 28 नवम्बर, 2014 के आदेश में यथा उल्लिखित पशुपालन के संबंधित बिंदुओं के अनुपालन के संबंध में श्री राजेश मान, निदेशक को शपथपत्र फाइल करने का निदेश भी दिया है ।

श्री चौधरी, सी. ई. ओ. और श्री बैरवा, संयुक्त निदेशक को आवश्यक शपथपत्र फाइल करने के लिए दो सप्ताह का समय मंजूर किया है ।

श्री बी. एन. संधु, महाधिवक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों प्राधिकारी अर्थात् सी. ई. ओ. और निदेशक द्वारा शपथपत्रों को फाइल करने से पूर्व, उसकी प्रतियां इस मामले से संबंधित विपक्षी काउंसेलों और अन्य काउंसेल को प्रदाय करेंगे ।

नगर निगम, जयपुर की ओर से श्री नैना सर्राफ को टेलीफोन संख्या 1962 के प्रभारी के साथ उपस्थित रहने का निदेश दिया जाता है जिसको शहर में पशुओं से संबंधित जानकारी के लिए आबंटित किया है ।

शपथपत्रों को फाइल करने के लिए इस मामले में 4 फरवरी, 2015 को सूचीबद्ध किया है । उप रजिस्ट्रार (न्यायिक), राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ, जयपुर को इस मामले में उपस्थित हुए सभी काउंसेलों को इस आदेश की प्रति प्रदाय करने का निदेश दिया जाता है ।"

59. तारीख 4 फरवरी, 2015 को उभयपक्ष एवं सी. ई. ओ. नगर निगम, जयपुर के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की गई कि वे तारीख 14 फरवरी, 2015 को प्रातः 9 बजे ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एस. आर. सुराना के साथ मौके पर निरीक्षण कर समस्याओं को सुलझाएंगे । प्रकरण को तारीख 3 मार्च, 2015 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।

60. इसके उपरांत तारीख 16 मार्च, 2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"यह प्रकरण लगभग पांच वर्ष की अवधि से इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । इस मामले में इस न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत अंतिम आदेश पारित कर दिया था, जिसकी पालना के लिए यह प्रकरण विभिन्न तारीखों को नियत किया जाता रहा है ।

हमें यह अंकित करते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि इस न्यायालय के समक्ष विभिन्न तारीखों को संबंधित अधिकारियों के द्वारा अण्डरटेकिंग देने के उपरांत भी न्यायालय के आदेशों की अक्षरशः पालना नहीं हो रही है । नगर निगम के पास लगभग 1000 बीघा भूमि थी, जिसमें से लगभग 250 बीघा भूमि ही नगर निगम के कब्जे में थी एवं शेष भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिससे विधि अनुसार अतिक्रमियों का कब्जा हटाते हुए शेष भूमि पर नगर निगम को कब्जा दिलाया गया । नगर निगम ने उक्त भूमि पर बाउण्ड्री वाल का निर्माण कराया, कुंए खुदवाए एवं अन्य कार्य कराए । किन्तु आज परिस्थितियां यह हैं कि आवारा कुत्ते डण्डा उंघालकर अन्दर प्रवेश कर गायों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी आंखें फोड़ देते हैं, कान, नाकों को चोटिल करते हैं । जबकि न्यायालय ने इस हेतु भी विभिन्न तारीखों पर अपने आदेश पारित किए हैं । नगर निगम ने उक्त भूमि पर घास उगाए जाने के बारे में आज तक उपयुक्त व्यवस्था नहीं की है ताकि वहीं उगाई गई घास की आपूर्ति गायों को की जा सके, जिससे नगर निगम का खर्चा बच सके । गायों से उत्पन्न की जा सकने वाली आय पर भी ध्यान नहीं दिया है ताकि गौशाला का खर्चा बचाया जा सके । इस न्यायालय ने विभिन्न तारीखों पर पशुपालन के संबंधित अधिकारियों को बाड़ों को ठीक करने के बारे में भी निर्देश दिए थे । इस न्यायालय द्वारा विभिन्न तारीखों को गौशाला के विकास एवं सुचारु रूप से संचालन के लिए भी निर्देश दिए थे । किन्तु इस न्यायालय के आदेशों की प्रभावी रूप से पालना हुई हो, ऐसा नगर निगम की ओर से नहीं बताया जा सका है । गौशाला में हो रही गंदगी की ओर से उनका ध्यान दिलाया गया ।

इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित गौसेवक श्री राजेश तांबी ने बताया कि मुख्य रोड से हिंगौनिया गौशाला तक जाने वाली सड़क में जगह-जगह पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे हिंगौनिया गौशाला पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । इस पर श्री नाहटा ने कथन किया कि वे इस संबंध में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को न्यायालय की भावना से अवगत कराएंगे ताकि हिंगौनिया गौशाला पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े ।

इस न्यायालय ने आज उपस्थित नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानाराम चौधरी से यह पूछा कि हिंगौनिया गौशाला को

किस प्रकार विकसित किया जा रहा है तथा उसे किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है । इस पर उन्होंने सुझाव दिया कि कृषकों एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों जैसे पशुपालन विभाग इत्यादि के साथ तालमेल करके एवं खुली जेल को गति प्रदान करने के उपरांत हिंगौनिया गौशाला के सुचारु रूप से संचालन की व्यवस्था की जा सकती है ।

इस न्यायालय ने महापौर को भी तलब किया । महापौर श्री निर्मल नाहटा आज इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हैं । उन्होंने प्रार्थना की कि वे इस न्यायालय की भावना के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं, इस पवित्र कार्य को पवित्र रूप से करना चाहते हैं, किन्तु इस हेतु उन्हें कम से कम दो माह का समय प्रदान किया जाए ताकि वे पशुपालन विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से संपर्क कर हिंगौनिया गौशाला की स्थिति को सुदृढ़ करने, इसे सुचारु रूप से संचालित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे । उन्होंने कथन किया कि खुली जेल को तीव्र गति प्रदान करने के लिए भी वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेंगे । इन कार्यों हेतु वे भिन्न-भिन्न तारीखों को हिंगौनिया गौशाला पहुंचकर मीटिंग करेंगे एवं परिणाम से न्यायालय को आगामी तारीख पर अवगत कराएंगे । उन्होंने कथन किया कि वे माह अप्रैल, 2015 के प्रथम सप्ताह में अधिकारियों को वहां लेकर जाएंगे । वे संबंधित अधिकारियों को एवं इस मामले के कोर्ट कमिश्नर श्री सज्जन राज सुराना, श्री पी. सी. भंडारी इत्यादि को सूचना देकर वहां मीटिंग करेंगे ।

उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है । इस प्रकरण को तारीख 18 मई, 2015 को सूचीबद्ध किया जाए । उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति इस मामले से संबंधित समस्त अधिवक्तागण को निःशुल्क उपलब्ध कराए ।"

61. तारीख 18 मई, 2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"श्री सज्जन राज सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता एवं कोर्ट कमिश्नर मय श्री एस. के. यादव अधिवक्ता के उपस्थित हैं । एम. एस. शैफाली शर्मा आवेदक की ओर से उपस्थित है । इसके अतिरिक्त पक्षकारान की ओर से आज कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है ।

यह अत्यंत खेद का विषय है कि नगर निगम की ओर से आज इस न्यायालय के समक्ष कोई उपस्थित नहीं है, जबकि गत तारीख पेशी को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए महापौर श्री निर्मल नाहटा ने प्रार्थना की थी कि वे इस न्यायालय की भावना के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं, इस पवित्र कार्य को पवित्र रूप से करना चाहते हैं, किन्तु इस हेतु उन्हें कम से कम दो माह का समय प्रदान किया जाए ताकि वे पशुपालन विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से सम्पर्क कर हिंगौनिया गौशाला की स्थिति को सुदृढ़ करने, इसे सुचारु रूप से संचालित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे । उन्होंने यह भी कथन किया था कि खुली जेल को तीव्र गति प्रदान करने के लिए भी वे संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क करेंगे । इन कार्यों हेतु वे भिन्न-भिन्न तारीखों को हिंगौनिया गौशाला पहुंचकर मीटिंग करेंगे एवं परिणाम से न्यायालय को आगामी तारीख पर अवगत कराएंगे ।

श्री सुराना ने इस न्यायालय का ध्यान विशेष रूप से इस ओर दिलाया कि गायों के बाड़ों में टनल से कुत्ते बाड़ों में घुस जाते हैं, जो गायों को नोचते हैं, कौवे आकर गायों की आंखें फोड़ जाते हैं, गायों को घायल कर जाते हैं । यह अत्यंत ही ह्रदय विदारक दृश्य होता है । श्री सुराना ने कथन किया कि गायों की ऐसी दशा देखकर उनकी आत्मा तड़प उठती है और नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग के बिना वे स्वयं को असहाय महसूस करते हैं । उन्होंने कथन किया कि इस न्यायालय ने अनेकों अवसरों पर नगर निगम के अतिरिक्त कृषि विभाग, पशुपालन विभाग इत्यादि के अधिकारियों को भी उपयुक्त निर्देश जारी किए हैं किन्तु उनकी भी अक्षरशः पालना नहीं हो पाई है ।

इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित विद्वान् लोक अभियोजक श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत को निर्देश दिया जाता है कि वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर, निदेशक स्थानीय निकाय, निदेशक कृषि विभाग, निदेशक पशुपालन विभाग एवं भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना, कानोता को आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होने के लिए सूचित करें ।

प्रकरण को तारीख 21 मई, 2015 को प्रातः 10.00 बजे न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए ।"

62. तारीख 21 मई, 2015 को इस न्यायालय के समक्ष श्री आशुतोष पेडणेकर, आयुक्त, जयपुर नगर निगम ने प्रार्थना की कि वे तारीख 24 मई, 2015 को प्रातः 9.00 बजे समस्याओं की जानकारी के लिए आज उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं संबंधित एस. एच. ओ. के साथ हिंगौनिया गौशाला जाएंगे एवं अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष तारीख 26 मई, 2015 को प्रस्तुत करेंगे । उस समय श्री श्याम आर्य अतिरिक्त महाधिवक्ता भी वहां उपस्थित रहेंगे एवं वे भी अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । प्रकरण को तारीख 26 मई, 2015 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।

63. तारीख 26 मई, 2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

> "यह प्रकरण इस न्यायालय के आदेश तारीख 21 मई, 2015 के अनुक्रम में आज न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है ।
>
> मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि उन्होंने अभी हाल ही में नगर निगम ने ज्वाइन किया है । इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित गौशाला आयुक्त श्री अशोक स्वामी ने कथन किया कि आपरेशन थियेटर के लिए पूर्ण व्यवस्था की जाएगी, वाटर टैंक बना दिया जाएगा । गायों के लिए बांटे की फाइल के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि वे उक्त फाइल को शीघ्र क्लीयर करेंगे । वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी शीघ्र कार्यवाही करेंगे । सी. सी. टी. वी. कैमरों के संबंध में आदेश पारित कर दिए गए हैं, कुट्टी की मशीन को ठीक करा देंगे एवं बाड़ों में कुत्तों का प्रवेश नहीं हो इस हेतु अवरोधक तैयार कराएंगें । वन विभाग की ओर से उपस्थित अधिकारी श्री एन. के. अग्रवाल ने कथन किया कि वे गौशाला में इस प्रकार के पेड़ लगवाएंगे ताकि गायें उनके नीचे बैठ सकें ।
>
> मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ओपन जेल के बारे में कथन किया गया है कि इस हेतु टेण्डर हो गए हैं । आगामी तारीख को ठेकेदार का नाम न्यायालय को बताएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओपन जेल कितने दिन में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी । उन्होंने यह भी कथन किया कि गौशाला के कार्य में किसी प्रकार की

रुकावट नहीं आएगी तथा गौशाला से संबंधित कार्यों की पत्रावली वे शीघ्र क्लीयर करेंगे तथा गौशाला के कार्य की प्रगति वे स्वयं अपनी देख-रेख में कराएंगे । उन्होंने यह भी कथन किया कि किस प्रकार से राशि जनरेट की जानी है इस हेतु भी वे विचार करेंगे ।

पुलिस भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना, कानोता ने कथन किया है कि उनके समक्ष रिपोर्ट आने पर वे भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाकर भूमि नगर निगम के सुपुर्द करेंगे । उन्होंने यह भी कथन किया कि वे रोजनामचे में रपट डालकर रोजाना किसी न किसी व्यक्ति को गौशाला में भेजकर राउण्ड करवाएंगे तथा रोजनामचा को न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर पेश करेंगे ।

श्री एम. के. अग्रवाल, डिप्टी कंजरवेटर आफ फोरेस्ट को निर्देश दिए जाते हैं कि वे बारिश आने से पहले गौशाला में पौधारोपण कराएं एवं बड़े-बड़े पौधे लगवाएं । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे जयपुर विकास प्राधिकरण की सहायता से पौधारोपण कराएं ।

एम. एस. संजीता विश्नाई, अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय ने कथन किया कि वे गौशाला के लिए आर्थिक सहायता की मांग आने पर उसे सरकार से पास कराने का प्रयत्न करेंगी ।

श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किए गए आदेशों के अनुसार सड़कों की मरम्मत कराने व नई सड़क बनाने हेतु पालना के लिए आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को सूचित करेंगे और पालना रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख को प्रस्तुत करवाएंगे ।

इस प्रकरण को तारीख 28 जुलाई, 2015 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । आगामी तारीख को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को एवं अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निकाय को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, आज उपस्थित शेष अधिकारीगण आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे ।

मेयर की ओर से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थिति को माफ किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार करते हुए मेयर को उपस्थिति से मुक्ति प्रदान की जाती है ।

इसके उपरांत विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर इस प्रकरण को तारीख 17 जुलाई, 2015 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया गया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किए गए आदेशों की परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए पक्षकारों के अधिवक्तागण एवं सी. ई. ओ. नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे तारीख 18 जुलाई, 2015 को प्रातः 9.00 बजे मौके पर जाएं । तत्समय इस मामले में आज उपस्थित समस्त अधिवक्तागण भी मौके पर जाएं । तत्समय मेयर एवं सी. ई. ओ. नगर निगम, जयपुर भी मौके पर उपस्थित रहें । प्रकरण को तारीख 22 जुलाई, 2015 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।"

64. तारीख 22 जुलाई, 2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस प्रकरण में आज ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एस. आर. सुराना ने इस न्यायालय के निर्देशानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

इस न्यायालय के आदेश तारीख 26 मई, 2015 के अनुसार इस प्रकरण को न्यायालय के समक्ष तारीख 28 जुलाई, 2015 को सूचीबद्ध किया जाना था, किन्तु सभी संबंधित अधिवक्तागण की विशेष प्रार्थना पर प्रकरण को तारीख 17 जुलाई, 2015 को सूचीबद्ध कराया गया । तारीख 17 जुलाई, 2015 को सभी अधिवक्तागण ने यह स्वीकार किया कि तारीख 18 जुलाई, 2015 को सभी अधिवक्तागण हिंगौनिया गौशाला जाएंगे एवं मौके की रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत कराएंगे । इसी क्रम में श्री सुराना ने इस न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट मय फोटोग्राफ्स के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है ।

प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री पी. सी. भंडारी ने मुख्य रूप से इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि गायों के लिए घास आदि उगाने के लिए नगर निगम को उपयुक्त निर्देश दिए जाएं । उनका कथन है कि 16 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग तारीख 31 मार्च, 2015 तक करना था लेकिन इस राशि का उपयोग नहीं किया गया । गौशाला के कार्य के लिए करोड़ों रुपए की राशि का आबंटन किया गया किन्तु इसका उपयोग नहीं हो रहा है । उनका

कथन है कि इस काम के लिए राज्य सरकार ने गौ-सेवा आयोग बनाया हुआ है, जिसके चेयरमैन श्री अश्विनी भगत हैं एवं गौ-पालन विभाग है, जिसके निदेशक श्री औंकारमल सैनी हैं, जिनके पास लगभग 150 करोड़ रुपए की राशि इस कार्य हेतु है, जिन्हें भी न्यायालय के समक्ष बुलाया जाए ।

श्री जे. एम. सक्सेना, अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं नगर निगम की ओर से श्रीमती नयना सर्राफ अधिवक्ता उपस्थित हैं, जिन्होंने कथन किया कि वे इस पवित्र कार्य को पवित्र तरीके से करना चाहते हैं । उनका कथन है कि मृत गायों के निस्तारण की मुख्य रूप से समस्या आ रही है । चैनपुरा ग्राम में कारकस प्लांट लगा हुआ है । इस न्यायालय के समक्ष नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित हैं, जिन्होंने कथन किया कि वे कल ही कारकस प्लांट जाकर देखेंगे कि इस प्लांट को चालू करने में क्या असुविधा हो रही है और आगामी तारीख को इस न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे

इस प्रकरण को तारीख 24 जुलाई, 2015 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । उक्त दिवस को आज उपस्थित सभी अधिकारीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे । मेयर यदि उक्त दिवस को जयपुर में उपस्थित नहीं हो तो उस परिस्थिति में उन्हें इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है । विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जे. एम. सक्सेना को निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख को गौ-सेवा आयोग के चेयरमैन श्री अश्विनी भगत एवं गौ-पालन विभाग के निदेशक श्री औंकारमल सैनी को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित रखें । उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति सभी संबंधित अधिवक्तागण को आज ही निःशुल्क उपलब्ध कराएं ताकि आदेश की अक्षरशः पालना हो सके ।"

इसके उपरांत इस न्यायालय के द्वारा इस मामले में तारीख 24 जुलाई, 2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस न्यायालय के आदेश तारीख 22 जुलाई, 2015 के अनुक्रम में यह प्रकरण आज सूचीबद्ध किया गया है ।

विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एस. आर. सुराना, कोर्ट कमिश्नर

इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है ।

नगर निगम, जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर ने इस न्यायालय के समक्ष चैनपुरा स्लाटर हाउस स्थित कारकस प्लांट के बारे में अपना संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि चैनपुरा स्लाटर हाउस का कुल क्षेत्र 91 बीघा है, जिसमें स्लाटर हाउस के साथ-साथ कारकस प्लांट भी है । कारकस प्लांट के लिए अलग से भूमि निश्चित है, जो लगभग 3 बीघा में है । उक्त प्लांट जनवरी, 2001 में नगर निगम, जयपुर द्वारा बनवाया जाकर संचालन के लिए संविदा पर दिया गया था । जो कि समय-समय पर खराब होने पर नए संविदाकारों को दुरुस्तीकरण एवं संचालन के लिए दिया गया था, जो अंतिम बार वर्ष 2010-11 में दिया था ।

उक्त कारकस प्लांट को अपग्रेडेशन करने हेतु वर्ष 2013-14 में निविदा निकाली गई । लेकिन उनमें मात्र एक निविदा आने पर राज्य सरकार को निर्णय हेतु भेजा गया था जो निर्णय लंबित है । उक्त निविदा मात्र कारकस प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए थी जबकि गांव वालों की आपत्ति एवं पर्यावरण की दृष्टि से ई. टी. पी. प्लांट का अपग्रेडेशेन व न्यूरोकार्बन फिल्टर चिमनी भी लगाया जाना आवश्यक है । कारकस उपयोगिता प्लांट जिसका निविदा जारी की जा चुकी है तथा ई. टी. पी. प्लांट का संशोधन व आधुनिकीकरण व न्यूरोकार्बन फिल्टर चिमनी में लगभग 3.5 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है । उक्त प्लांट में 24 घंटे में 72 मृत पशुओं के निस्तारण की क्षमता होगी, जो जयपुर शहर की वर्तमान मृत पशुओं की संख्या को देखते हुए पर्याप्त है । जून, 2013 में स्थानीय नागरिकों के विरोध के कारण चैनपुरा कारकस प्लांट पर मृत पशुओं का निस्तारण बंद कर दिया गया । इस विवरण रिपोर्ट को भी इस प्रकरण में रिकार्ड पर लिया जाता है ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस न्यायालय से यह निवेदन किया कि उनके पास 3.5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध नहीं है, जो राज्य सरकार से उन्हें दिलाई जाए ताकि उक्त प्लांट को चालू कराया जा सके । उनकी इस प्रार्थना पर इस न्यायालय के समक्ष

उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्तागण सर्वश्री जे. एम. सक्सेना, बी. एन. सांदू एवं श्याम आर्य ने विश्वास दिलाया कि वे राज्य सरकार से इस बारे में वार्ता करके राशि दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे । इस हेतु प्रमुख सचिव, श्री मनजीत सिंह को आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है ।

गौ सेवा आयोग के चेयरमेन श्री अश्वनी भगत एवं गौ पालन विभाग के सचिव श्री औंकारमल सैनी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिनके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिए गए विवरण से यह न्यायालय संतुष्ट नहीं है, जिससे उक्त दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख को अपना शपथपत्र इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत करें कि उन्हें वर्ष 1995 से अब तक कितनी राशि दानदाताओं से, राज्य सरकार से एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई एवं कहां-कहां खर्च की गई । वे अपना सपथपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी एक-एक प्रति अधिवक्ता श्री पी. सी. भण्डारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. आर. सुराना को उपलब्ध कराएं ।

नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुपयुक्त हुए वाहनों को उपयोगी बनवाने के संबंध में कार्यवाही इस न्यायालय को आगामी तारीख को सूचित करेंगे । प्रकरण को दिनांक 30.7.2015 को 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । उक्त दिवस को आज उपस्थित समस्त अधिकारीगण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित रहेंगे । उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति सभी संबंधित अधिवक्तागण को आज ही निःशुल्क उपलब्ध कराएं ।

दिनांक 30.7.2015 को इस न्यायालय के समक्ष श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने उपस्थित होकर यह अवगत कराया कि उन्होनें नगर निगम जयपुर को 3.50 करोड़ रुपए दे दिए हैं, जिसके संबंध में श्री आशुतोष पेडणेकर सीईओ नगर निगम जयपुर दिनांक 3.8.2015 को न्यायालय के समक्ष कथन करेंगे कि चैनपुरा स्थित कारकस प्लान्ट कितनी अवधि में शुरू हो जाएगा ।

श्री अजय गुप्ता, निदेशक, पशुपालन विभाग ने कथन किया कि वे हिंगौनिया गौशाला के लिए 13 संविदा श्रमिक (9 पशुधन परिचारक एवं 4 चौकीदार) नियुक्त करेंगे । उन्होंने कथन किया कि उन्होंने चार स्वीपर्स नियुक्त कर दिए हैं । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे उन स्वीपर्स के संबंध में विधि अनुसार कार्यवाही करें जो वहां काम नहीं कर रहे हैं एवं अन्य स्वीपर्स की सेवाएं लें । श्री अश्विनी भगत, सचिव, पशुपालन विभाग ने अपना एक शपथपत्र प्रस्तुत किया ।

विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री एस. आर. सुराना ने कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी प्रति विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं जयपुर नगर निगम के विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ को दिलाई गई । जिन्होंने जवाब के लिए समय चाहा । दोनों पक्षों को जवाब एवं काउंटर शपथपत्र प्रस्तुत करने हेतु चार सप्ताह का समय दिया गया ।

प्रकरण को तारीख 3 अगस्त, 2015 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।"

65. तारीख 3 अगस्त, 2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस न्यायालय के आदेश तारीख 30 जुलाई, 2015 के अनुक्रम में यह प्रकरण आज सूचीबद्ध किया गया है ।

आज नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को न्यायालय के समक्ष यह बताना था कि कारकस प्लांट के लिए जो राशि 3.50 करोड़ रुपए श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव ने नगर निगम को रिलीज की है उस राशि का क्या उपयोग किया गया । इस हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जे. एम. सक्सेना ने कथन किया कि कारकस प्लांट को चालू कराने के लिए तकनीकी व्यक्ति को बुलाया गया है जो आज जयपुर पहुंचेगा एवं कारकस प्लांट के बारे में वे 2-3 दिन में स्थिति से अवगत करा देंगे ।

श्री एस. आर. सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता ने कथन किया कि इस न्यायालय के आदेश तारीख 28 नवम्बर, 2014 की अनुपालना नगर निगम व अन्य अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है, जिस हेतु उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया जाए या इस हेतु उनका कथन

लिया जाए कि वे कब तक उक्त आदेश की पालना कर देंगे । इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री जे. एम. सक्सेना ने कथन किया कि वे आदेश तारीख 28 नवम्बर, 2014 की प्रति निकलवाकर न्यायालय को अवगत करा देंगे कि उक्त आदेश की पालना कितनी अवधि में की जाएगी ।

इस न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि हिंगौनिया गौशाला में कम वोल्टेज की विद्युत सप्लाई के कारण एक्सरे आदि का कार्य नहीं हो पाता है । इस पर नगर निगम के आयुक्त श्री अशोक स्वामी ने कथन किया कि वहां पर 160 के. वी. के जनरेटर की आवश्यकता है । इस पर श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया कि इस संबंध में वे आगामी तारीख को जवाब देंगी । श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे श्री एस. आर. सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता के साथ हिंगौनिया गौशाला का दौरा करें ।

श्री एस. आर. सुराना ने न्यायालय को अवगत कराया कि हिंगौनिया गौशाला में डाक्टर्स के अनुरूप कम्पाउंडर उपलब्ध नहीं है । इस पर निदेशक, एनीमल हसबेण्डरी जो आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, ने कथन किया कि वे आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष कम्पाउंडर्स की सूची पेश करेंगे ताकि हिंगौनिया गौशाला में कम्पाउंडर्स की कमी की पूर्ति की जा सके ।

इस प्रकरण को तारीख 12 अगस्त, 2015 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । श्री जे. एम. सक्सेना, अतिरिक्त महाधिवक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे आगामी तारीख को निदेशक, कृषि विभाग से वार्ता कर न्यायालय को अवगत कराएं कि हिंगौनिया गौशाला की जमीन पर कृषि के लिए क्या उपयोगी कार्य किया जा सकता है, वे न्यायालय की संतुष्टि के लिए आगामी तारीख को निदेशक, कृषि विभाग को भी व्यक्तिशः उपस्थित रखें । नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की आज की उपस्थिति माफ की जाती है । श्री अश्विनी भगत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, उन्हें आगामी तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है । आज उपस्थित शेष अधिकारीगण आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें ।

उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश

एवं आदेश तारीख 28 नवम्बर, 2014 की एक-एक प्रति अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री जे. एम. सक्सेना को उपलब्ध कराएं एवं आज के आदेश की प्रति श्री एस. आर. सुराना, कोर्ट कमिश्नर एवं अन्य समस्त संबंधित को उपलब्ध कराई जाए । ये समस्त प्रतियां निःशुल्क आज ही उपलब्ध कराई जाएं ।"

66. तारीख 12 अगस्त, 2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस न्यायालय के आदेश तारीख 3 अगस्त, 2015 के अनुक्रम में यह प्रकरण आज सूचीबद्ध किया गया है ।

कृषि विभाग के सचिव, श्री कुलदीप रांका न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिन्होंने हिंगौनिया गौशाला में चारा उत्पादन के संबंध में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है । उन्होंने कथन किया कि वे नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से इस बारे में बातचीत कर इस न्यायालय को आगामी तारीख को अवगत कराएंगे । इस हेतु उन्हें समय दिया जाए । वे नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री जगमोहन सक्सेना के कार्यालय में मीटिंग करके आगामी तारीख को न्यायालय को अवगत कराएं ।

निदेशक, पशुपालन विभाग की ओर से इस न्यायालय के समक्ष कार्यालय आदेश तारीख 11 अगस्त, 2015 की एक प्रति प्रस्तुत की गई, जिसे भी इस पत्रावली में संलग्न किया जाए । इस आदेश के तहत 15 व्यक्तियों को हिंगौनिया गौशाला में पदस्थापित किया गया है । इन व्यक्तियों का स्थानांतरण न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाए । लेबोरेट्री व ऑपरेशन थियेटर के बारे में कथन किया कि वे तीन माह की अवधि में कार्य को पूर्ण करा देंगे ।

इस प्रकरण को तारीख 24 अगस्त, 2015 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । उस दिन नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें एवं न्यायालय को कारकस प्लांट के बारे में वस्तुस्थिति से अवगत कराएं । निदेशक, पशुपालन विभाग को उस दिन उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है ।"

67. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 15 अक्तूबर, 2015 को लगाए जाने का आदेश दिया गया । तारीख 15 अक्तूबर, 2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :-

"इस प्रकरण को आज दोपहर 2.00 बजे न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया ।

श्री भगत सिंह देवल को तीन माह पूर्व ही नगर निगम ने हिंगौनिया गौशाला में कमेटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है, जो आज न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हैं । उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष हिंगौनिया गौशाला की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया । उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह प्रकट किया कि हिंगौनिया गौशाला में गायों को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया जा रहा है । उनका कथन है कि उन्होंने हिंगौनिया गौशाला को सुचारु रूप से चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को कई बार सुझाव दिए हैं लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई । उन्होंने कथन किया कि विवश होकर उन्हें न्यायालय के समक्ष यह उल्लेख करना पड़ रहा है कि वहां पर पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई भी प्रभावशाली कदम नगर निगम के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है । उनका कथन है कि गायों की मृत्यु दर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, गायों को चारा भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो रहा है, गायें भूख से बिलख रही हैं ।

यह न्यायालय कोई विपरीत आदेश पारित करने से पूर्व अपनी संतुष्टि के लिए यह निर्देश दे रहा है कि आगामी तारीख पेशी को इस न्यायालय के समक्ष वे अपना शपथपत्र प्रस्तुत करें ताकि उसके संबंध में उपयुक्त कार्यवाही की जा सके ।

इस न्यायालय के समक्ष श्री श्रीचंद, उप निरीक्षक उपस्थित हैं जो आज पुलिस थाना, कानोता के भारसाधक अधिकारी भी हैं । उन्होंने कथन किया कि गायों की तस्करी के संबंध में पुलिस थाना कानोता पर दर्ज हुई प्राथमिकी संख्या 589/2015 के वे अनुसंधान अधिकारी हैं । उन्होंने कथन किया कि उक्त प्राथमिकी के मामले में अनुसंधान जारी है तथा वे आगामी तारीख पेशी को इस न्यायालय को अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट वे अवगत कराएंगे । उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि वे गौशाला में रात्रि 12 बजे एवं दोपहर 12

बजे प्रतिदिन जाएं एवं उस समय वहां कौन-कौन उन्हें उपस्थित मिले इसके संबंध में अपनी रोजनामचा रपट अंकित करें एवं आगामी तारीख पेशी को उक्त प्राथमिकी के अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट के साथ उक्त रोजनामचा रपट की प्रति भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें ।

डा. हरेन्द्र सिंह, उपायुक्त, हिंगौनिया गौशाला ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वे हिंगौनिया गौशाला में सुचारु रूप से कार्य करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, अभी उन्हें पदस्थापित हुए करीब एक माह हुआ है । उन्होंने कथन किया कि न्यायालय के आदेशों के तत्परता से पालन के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें ।

श्री एस. आर. सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता एवं श्री पी. सी. भंडारी अधिवक्ता ने इस न्यायालय के आदेश तारीख 10 नवम्बर, 2014 की ओर ध्यान दिलाया एवं मुख्य रूप से अजय गुप्ता के शपथपत्र की ओर ध्यान दिलाया एवं संयुक्त रूप से प्रार्थना की कि आयुक्त नगर निगम श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर को व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष बुलाया जाए तथा उन्हें इस न्यायालय की भावना से अवगत कराया जाए तथा श्री अजय गुप्ता को भी व्यक्तिशः बुलाया जाए ।

डा. हरेन्द्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वे वैशाली नगर रहते हैं किन्तु अब वे प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक हिंगौनिया गौशाला कार्यालय में रहेंगे ।

श्री भगवत सिंह देवल को निर्देश दिया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय से जो कमेटी आई थी उनकी रिपोर्ट की प्रति वे संबंधित गौ-पालन विभाग से प्राप्त कर इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख पेशी को प्रस्तुत करें, ताकि इस न्यायालय को वहां की स्थिति की जानकारी मिल सके ।

इस प्रकरण को तारीख 18 नवम्बर, 2015 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति सभी संबंधित को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए ।

इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 5 नवम्बर, 2015 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा श्री मनजीत सिंह प्रमुख सचिव, शहरी विकास एवं आवासन विभाग को दोपहर 2.00 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया । उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि उन्हें हिंगौनिया गौशाला की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए 15 दिन का समय दिया जाए । उनका कथन है कि भविष्य में गायों के घास व बांटे की कमी नहीं आने दी जाएगी ।"

68. तारीख 19 नवम्बर, 2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस प्रकरण में आज ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री अरविन्द कुमार गुप्ता ने इस न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला की हालत को हर स्तर पर सुधारा जाएगा । उन्होंने प्रार्थना की कि इस प्रकरण को पूर्व में नियत तारीख 24 नवम्बर, 2015 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए ।

प्रकरण को तारीख 24 नवम्बर, 2015 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । उस दिन श्री मंजीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आयुक्त नगर निगम न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें ।"

69. तारीख 24 नवम्बर, 2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस प्रकरण को आदेश तारीख 19 नवम्बर, 2015 के अनुक्रम में आज सूचीबद्ध किया गया है । श्री मंजीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, आयुक्त नगर निगम, श्री अजय गुप्ता, निदेशक, एनीमल हसबेण्डरी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं ।

श्री मंजीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि उन्होंने हिंगौनिया गौशाला का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने कई कामों को संतोषजनक पाया है लेकिन कुछ कामों में सुधार की आवश्यकता है । उन्होंने कथन किया कि वे एक टीम बनाकर नागौर, पथमेड़ा व अन्य गौशालाओं में भेजेंगे एवं रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात् अपनी संतुष्टि के बाद कोई ठोस

कदम उठाएंगे ताकि समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सके और चिरकाल तक हिंगौनिया गौशाला सुचारु रूप से चलती रहे । उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया है कि गाय ही नहीं अपितु गाय का मूत्र एवं गोबर भी मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं ।

आयुक्त, नगर निगम ने कथन किया कि 1400 बीघा भूमि उनके कब्जे में है, आस-पास की गोचर भूमि को भी खाली रखा जाएगा ताकि वह भूमि गायों व पशुओं के काम में आ सके, किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होगा तो उसे नियमानुसार हटवाया जाएगा । सेन्चुरी की स्थापना के संबंध में उन्होंने कथन किया कि वे इस बारे में मालूम करने के उपरांत आगामी तारीख पेशी को अपना कथन करेंगे । उन्होंने कथन किया कि गायों की बीमारी का मुख्य कारण पॉलीथीन की थैलियां हैं । उन्होंने कथन किया कि पॉलीथीन की थैलियों को बंद करने के लिए तारीख 1 दिसम्बर, 2015 से 15 दिसम्बर, 2015 तक अभियान चलाया जाएगा और यदि कोई फैक्ट्री अवैध रूप से प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त पाई गई तो उसके खिलाफ विधि की अपेक्षित अपेक्षाओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अजय गुप्ता, निदेशक, एनीमल हसबेण्डरी से पूछा गया कि हिंगौनिया गौशाला में कितने डाक्टरों की आवश्यकता है तो उन्होंने कथन किया कि वहां इस समय 17 डाक्टर कार्यरत हैं, वहां इतने ही डाक्टर आवश्यक हैं क्योंकि वहां पर दुर्घटनाग्रस्त गायें भी आती हैं । वहां मशीनें वगैरह लग जाएगीं, पार्टस मंगवा लिए जाएंगे एवं उनका रीटेण्डरिंग करवाया जाएगा । उन्होंने इस न्यायालय से प्रार्थना की कि वे कुछ कर्मचारियों को किसी कारण से बदलना चाहें तो उन्हें बदलने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए । उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की जाती है । उन्होंने एक प्रार्थनापत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है । डा. हरेन्द्र सिंह हिंगौनिया गौशाला में दिन में एक बार जाएंगे अधिकांश समय वहां रहेंगे एवं आवश्यक होने पर आयुक्त नगर निगम के निर्देश पर कार्य करेंगे ।

श्री मंजीत सिंह ने न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि वे आगामी तारीख पेशी को इस न्यायालय के समक्ष हिंगौनिया गौशाला को सुचारु रूप से चलाने के लिए तथ्य रखेंगे । उन्हें न्यायालय के

समक्ष उपस्थिति से छूट दी जाए, उन्हें बुलाए जाने पर वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे । उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है । किन्तु आयुक्त नगर निगम आगामी तारीख पेशी को राज्य सरकार की भावना को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर रखेंगे ।"

70. तारीख 6 जनवरी, 2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"विपक्षी नगर निगम के विद्वान् अधिवक्ता श्री ए. के. गुप्ता ने इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि आज नगर निगम के सी. ई. ओ. अपने व्यक्तिगत कार्य से अलवर गए हुए हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति क्षमा की जाए । इस हेतु उनकी ओर से एक प्रार्थनापत्र भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार किया जाता है । उक्त प्रार्थनापत्र को पत्रावली में संलग्न किया जाए ।

इस प्रकरण को तारीख 18 जनवरी, 2016 को सूचीबद्ध किया जाए । उस दिन नगर निगम की ओर से आज उपस्थित अधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे ।"

71. तारीख 18 जनवरी, 2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"यह प्रकरण इस न्यायालय के आदेश तारीख 6 जनवरी, 2016 के अनुक्रम में आज न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है ।

श्री सज्जन राज सुराना ज्येष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि लगभग दस हजार गायों के लिए कम से कम 125 बाड़ों की आवश्यकता है । उनके इस कथन की पुष्टि हेतु हमने डा. जी. आर. बैरवा पशुपालन विभाग से पूछा तो उन्होंने प्रकट किया कि एक गाय के लिए 3 फीट × 8 फीट का स्थान बांधने के लिए चाहिए न कि उसे घूमने के लिए, इस प्रकार एक गाय को लगभग 24 फीट स्थान की आवश्यकता होने से कम से कम 100 बाड़ों की आवश्यकता है । श्री सुराना ने यह भी कथन किया बीमार गायों को अलग बाड़े में रखा जाना चाहिए, बाड़ों की जो जाली लगी हुई है वह टूट गई है, उससे तारीख 15 जनवरी, 2016 को कौवे व कुत्ते घुस गए एवं 5-6 गायों की आंखें फोड़ दी । उनका कथन है कि सुधार के प्रस्ताव लम्बे समय से चल रहे हैं और गायों की आंखें

फोड़ी जा रही हैं, जो चिंताजनक स्थिति है । उन्होंने कुछ फोटोज का भी न्यायालय का अवलोकन कराया । श्री सुराना ने यह भी कथन किया कि भूसा व चारा गायों के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है । एनीमल हसबेण्डरी विभाग के उप निदेशक श्री आर. पी. सिंह सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके स्थान पर किसी ज्येष्ठ अधिकारी को पदस्थापित नहीं किया गया है, उनके स्थान पर किसी ज्येष्ठ अधिकारी को पदस्थापित किया जाना चाहिए । उन्होंने कथन किया कि एनीमल हसबेण्डरी विभाग को निर्देश दिया जाए कि टेस्ट के लिए किट्स उपलब्ध नहीं है, जो तुरन्त मंगाई जानी चाहिए । उनका यह भी कथन है कि गायों की बायोग्राफी कम्प्यूटराईज की जाए ताकि गायों के बीमार होने पर उन्हें उपयुक्त उपचार मिल सके । गायों के लिए आर्थोपेडिक के डाक्टर भी नहीं हैं जबकि अधिकांश गायों की टांगे टूटी हुई हैं, जिसके लिए उचित आदेश देकर समुचित व्यवस्था कराई जाए ।

इस न्यायालय ने न्यायहित में अधिवक्ता श्री ए. के. जैन का तलब किया एवं इस न्यायालय द्वारा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे आगामी तारीख से पूर्व हिंगौनिया गौशाला का निरीक्षण करके वस्तुस्थिति से न्यायालय को अवगत कराएंगे एवं अपने सुझाव देंगे कि किस प्रकार से समस्याओं का निराकरण कराया जा सकता है ।

नगर निगम के अधिवक्ता श्री ए. के. गुप्ता ने भी इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि उनका मकसद भी इस न्यायालय के आदेशों की क्रियान्विति कराना है । हिंगौनिया गौशाला में जो भी आवश्यकता होगी जैसे 100 बाड़ों को बनाने या अन्य जो भी राज्य सरकार से संबंधित कार्य होंगे उन्हें क्रियान्वित कराने के लिए वे आगामी तारीख को इस न्यायालय को अवगत कराएंगे । श्री सुराना ने कथन किया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय से भी कमेटी आई थी, जिसकी रिपोर्ट जिलाधीश महोदय के पास है, जिसे तबल कराया जाए ताकि कोई कमी हो जो उसे पूरा कराया जा सके । श्री सुराना ने यह भी कथन किया कि ओपन जेल अभी तक नहीं खोली गई है ।

श्री मनोज शर्मा, अधिशासी अभियन्ता इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिन्होंने ओपन जेल के संबंध में यह कथन किया कि

राज्य सरकार ने अब तक ओपन जेल पर 180,00,000/- रुपए खर्च किए हैं, लगभग 4 करोड़ रुपए और मांगे गए हैं, कुल 6 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई थी । ओपन जेल में लगभग 250-300 कैदी रहते हैं, जो गायों की सेवा को सुनिश्चित कर सकेंगे और इस प्रकार पुण्य भी प्राप्त कर सकेंगे, यह कार्य नगर निगम के लिए अपने आप में एक वरदान साबित होगा ।

थानाधिकारी, पुलिस थाना, कानोता को निर्देश दिया जाता है कि वे हिंगौनिया गौशाला में समय समय पर अपनी देख-रेख कराएं एवं अपनी रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी को न्यायालय के समक्ष पेश करें । आज उपस्थित समस्त अधिकारी आगामी तारीख पेशी को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें ।

श्री ए. के. गुप्ता अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे राज्य सरकार के संबंधित विभागों से सम्पर्क स्थापित करके आगामी तारीख पेशी को इस न्यायालय के समक्ष न्यायहित में अपनी सृजनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । इस प्रकरण को तारीख 15 फरवरी, 2016 को सूचीबद्ध किया जाए । उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस पत्रावली में हुए समस्त आदेश/आदेशिकाओं की एक-एक छाया प्रति निःशुल्क सभी संबंधित पक्ष को उपलब्ध कराएं ।”

72. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 29 जनवरी, 2016 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

“इस प्रकरण को कल श्री एस. आर. सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री पी. सी. भंडारी एवं श्री अजय कुमार जैन अधिवक्तागण के द्वारा की इस प्रार्थना पर आज सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया कि उन्होंने हिंगौनिया गौशाला का विजिट किया, जिसमें अत्यंत दयनीय स्थिति पाई, इसलिए इस प्रकरण में कोई सख्त आदेश पारित किया जाए ताकि हिंगौनिया गौशाला में हो रही अनियमितताओं को दूर किया जा सके ।

आज श्री एस. आर. सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री पी. सी. भंडारी एवं श्री अजय कुमार जैन, अधिवक्तागण इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं । कल इस न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया

गया था कि प्रमुख शासन सचिव श्री मनजीत सिंह एवं नगर निगम के सी. ई. ओ. श्री आशुतोष ए. डी. पेडणेकर भी इस न्यायालय के समक्ष दोपहर 2.00 बजे उपस्थित रहें ।

नगर निगम के विद्वान् अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार गुप्ता ने प्रार्थना की है कि जयपुर शहर को स्मार्ट सिटी घोषित किए जाने के कारण उक्त अधिवक्तागण केन्द्र सरकार के विभिन्न सचिवों के साथ हो रही वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में व्यस्त होने से आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके हैं, उन्हें 2-3 दिन का समय दिया जाए । उन्होंने इस न्यायालय को विश्वास दिलाया कि वे आगामी तारीख को इन दोनों अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेंगे ।

श्री पी. सी. भंडारी ने हिंगौनिया गौशाला में व्याप्त अनियमितताओं की ओर से इस न्यायालय का ध्यान दिलाया, जिनमें मुख्य रूप से उन्होंने यह बताया कि बिजली के वायर खुले पड़े हुए हैं, चिकित्सकों द्वारा सही रूप से चिकित्सा नहीं की जा रही है, बाड़ा नम्बर 9बी, 4 व 10 में कुत्तों का प्रवेश निरंतर जारी है, कुट्टी की व्यवस्था एवं टेगिंग की व्यवस्था नहीं की गई है । इस पर नगर निगम के विद्वान् अधिवक्ता श्री गुप्ता ने इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि श्री भंडारी उन्हें समस्याएं लिखित में दे दें, उनका निराकरण कराया जाएगा ।

श्री अजय कुमार जैन, अधिवक्ता ने इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि वे माननीया मुख्यमंत्री महोदया के सचिव श्री तन्मय कुमार को इस प्रकरण से अवगत कराएंगे ताकि इस पावन सुधा का संचालन शीघ्र व सुचारु रूप से कराया जाए ।

अतः निर्देश दिया जाता है कि आगामी तारीख को प्रमुख शासन सचिव, श्री मनजीत सिंह, नगर निगम के सी. ई. ओ. श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, पशुपालन विभाग के संबंधित अधिकारीगण एवं एस. एच. ओ. कानोता इस न्यायालय के समक्ष तारीख 4 फरवरी, 2016 को दोपहर 2.00 बजे उपस्थित रहें । प्रकरण को तारीख 4 फरवरी, 2016 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक निःशुल्क प्रति संबंधित अधिवक्तागण को उपलब्ध कराएं ।"

73. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 2 फरवरी, 2016 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"मामला विधि की उपयुक्त प्रक्रिया के लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर को मामला भेजने के लिए श्री एस. आर. सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय आयुक्त, हिंगौनिया गौशाला द्वारा फाइल किए गए तारीख 2 फरवरी, 2016 के आवेदन संख्या 5961 से संयोगवश सामने आया है ।

इस न्यायालय ने हिंगौनिया गौशाला, जयपुर के आयुक्त के रूप में श्री एस. आर. सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त किया था और इस संबंध में को हिंगौनिया गौशाला, जयपुर को निर्देश दिया था इससे संबंधित एक वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था । तारीख 31 जनवरी, 2016 को श्री एस. आर. सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता संबंधित हिंगौनिया गौशाला, जयपुर को पूर्वोक्त निर्देशों का अनुसरण करने को कहा था । तत्पश्चात्, उसने पूर्वोक्त आवेदन का इस न्यायालय के समक्ष इसमें यह उल्लेख करते हुए कि बाड़ा सं. 3 में डाक्टर कौशिक के उपस्थिति में कुट्टी भूसा के नमूने लेकर जांच की प्रक्रिया के दौरान यह पाया था कि वहां कुट्टी भूसा में बहुत मिट्टी थी जो मवेशियों के स्वास्थ्य के हानिकारक है । पूर्वोक्त आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह कुट्टी भूसा हिंगौनिया गौशाला, जयपुर में ठेकेदार द्वारा प्रदाय की जाती है और इसके लिए एक मोटी रकम ठेकेदार को नगर निगम, जयपुर द्वारा संदत्त की गई है । पूर्वोक्त आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि डाक्टर चिरौनिया के कथन के अनुसार, जो वर्तमान में हिंगौनिया गौशाला में उपायुक्त के रूप में तैनात है और डाक्टर पदम चंद, उप निदेशक को सुसंगत समय पर उपस्थित होने और इन पदार्थों की उक्त कुट्टी भूसा को थैले में सील करने का निर्देश दिया था । तत्पश्चात्, दो थैलों को डाक्टर पदम चंद, उप निदेशक हिंगौनिया गौशाला, जयपुर द्वारा सील किया गया है । पूर्वोक्त आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि दुर्भावनापूर्ण आशय से ठेकेदार की इस रीति से नगर निगम, जयपुर को गलत तरीके से हानि पहुंची है और उसने गलत तरीके से लाभ कमाया है ।

न्याय के हित में, इस न्यायालय ने श्री बी. एन. संधु, अपर

महाधिवक्ता को पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर से पूछताछ करने के लिए आज दोपहर 2.00 बजे उसकी ओर से उपस्थित होने के लिए उसके कार्यालय के किसी सक्षम व्यक्ति/अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या सीधे उपस्थित होने के लिए बुलाया ।

श्री एम. एन. दिनेश, पुलिस महानिरीक्षक के साथ श्री बजरंग सिंह शेखावत, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए । श्री एम. एन. दिनेश ने न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया है कि आपराधिक मामले पिछले कई वर्षों से हिंगौनिया गौशाला, जयपुर से संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के समक्ष लंबित हैं किन्तु अभियोजन की मंजूरी के कारण राज्य सरकार द्वारा मंजूर नहीं किया जा रहा है, मामलों में चालान समय के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष भ्रष्टाचार निरोधक द्वारा मामलों को फाइल नहीं किया जा सका है ।

न्याय के हित में, न्यायालय का श्री एम. एन. दिनेश, पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर निर्देश देने का दृष्टिकोण यह है कि उसे हिंगौनिया गौशाला, जयपुर से संबंधित मामले में प्रारंभिक जांच स्वयं या किसी व्यक्ति से सीधे करानी चाहिए जो उसके अधीक्षण के अधीन मामले में प्रारंभिक जांच करने में बहुत सक्षम हो । यह मामला तारीख 4 फरवरी, 2016 के लिए पहले ही सूचीबद्ध किया जा चुका है, उस तारीख को, श्री एम. एन. दिनेश, पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, यदि उसी तारीख/तारीखों को श्री एम. एन. दिनेश की उपस्थिति इस न्यायालय द्वारा अपेक्षित है तो श्री बी. एन. संधु, विद्वान् अपर महाधिवक्ता इस संबंध में उनको सूचित करेंगे । श्री एम. एन. दिनेश, पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से यह प्रत्याशा की जाती है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक जांच करे ।

इस न्यायालय के उप रजिस्ट्रार (न्यायिक) को सभी कागजों की प्रतियां भेजने के लिए निर्देश दिया जाता है जिसमें श्री एम. एन दिनेश या किसी भी अधिकारी द्वारा दोनों में किसी ने भी फाइल किए

हों, संपूर्ण आदेश सीटों और मामले शामिल हैं जो उसके अधीनस्थ हैं, निःशुल्क भेजें ।

74. तारीख 4 फरवरी, 2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"यह प्रकरण आदेश तारीख 29 जनवरी, 2016 के अनुक्रम में आज सूचीबद्ध किया गया है । किन्तु तारीख 2 फरवरी, 2016 को इस न्यायालय के समक्ष ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एस. आर. सुराना ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिस पर सुनकर आदेश तारीख 2 फरवरी, 2016 को पारित किया गया । इसके उपरांत प्रकरण आज सूचीबद्ध हुआ है ।

इस न्यायालय के समक्ष प्रमुख शासन सचिव श्री मनजीत सिंह, सी. ई. ओ. नगर निगम श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, डा. हरेन्द्र सिंह उपायुक्त, श्री मनोज शर्मा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, निदेशक पशुपालन विभाग, श्री आर. के. शर्मा, इन्चार्ज हिंगौनिया गौशाला एवं एस. एच. ओ. कानोता उपस्थित हैं ।

दोनों पक्षों की सहमति से मुख्य रूप से यह तय हुआ है कि बायो गैस प्लांट, ओपन जेल, घास लगाने के बारे में, 382 बीघा भूमि की लेवलिंग के बारे में, गौशाला के आस-पास की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाने के बारे में, गोचर भूमि के बारे में, 400 बीघा भूमि की नाम करवाने के बारे में एवं ट्यूबवेल चालू करवाने के बारे में श्री मनजीत सिंह, श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर एवं आज उपस्थित अन्य अधिकारीगण तारीख 14 फरवरी, 2016 को प्रातः 9.00 बजे हिंगौनिया गौशाला जाएंगे, समस्याओं के निराकरण हेतु मौके पर ही निर्णय लेंगे एवं आगामी तारीख को इस न्यायालय को सूचित करेंगे ।

श्री ए. के. जैन अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे इस प्रकरण में रिकार्ड पर लिया जाता है । उक्त रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि उन्होंने माननीया मुख्यमंत्री महोदया के सचिव, श्री तन्मय कुमार के समक्ष इन समस्त बिन्दुओं को रखा है । श्री जैन ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि सरकार स्वयं भी इस कार्य को करने के लिए अग्रसर है तथा उन्होंने लिखित रूप से यह अभिकथन किया है कि गौशाला को और उन्नत करने के लिए वे क्या कर सकते हैं

इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ।

श्री सुराना ने 400 बीघा भूमि की नाप करवाने के बारे में जोर दिया है । इस हेतु सर्वश्री मनजीत सिंह, आशुतोष ए. टी. पेडणेकर एवं अजय कुमार जैन ने यह विश्वास दिलाया है कि वे संबंधित विभाग से मशीन मंगवाकर भूमि की नाप करवाएंगे । श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर ने इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की है कि चूंकि यह धर्म का काम है इसलिए भू-प्रबंध विभाग को उन्हें मशीन निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए । उनकी उक्त प्रार्थना न्यायसंगत है । अतः आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग को निर्देश दिया जाता है कि हिंगौनिया गौशाला में 400 बीघा भूमि की नाम कराए जाने हेतु मशीन नगर निगम को उनकी सुविधा के अनुसार भूमि की नाप होने तक निःशुल्क उपलब्ध कराएं ।

दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरण को तारीख 25 फरवरी, 2016 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । आगामी तारीख को श्री मनजीत सिंह एवं श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है । वे अपनी रिपोर्ट किसी अधिकारी के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराएं ।"

75. इसके उपरांत प्रकरण तारीख 29 फरवरी, 2016 को सूचीबद्ध हुआ । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"यह मामला आज आवश्यक आदेश के लिए फाइल किए गए एक आवेदन पर सामने आया है ।

श्री एस. आर. सुराना, न्यायालय आयुक्त के साथन श्री पूनम चंद भंडारी और श्री विजय सिंह पूनिया ने इस न्यायालय से यह अनुरोध किया है कि हिंगौनिया गौशाला में खाली पड़ी भूमि के लगभग 382 या 400 बीघा पर अतिक्रमणकर्ता उस भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं । श्री ए. के. गुप्ता को निर्देश जारी किया जाना चाहिए जिसको नगर निगम का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी है और इस प्रक्रम पर, इस न्यायालय के निर्देशन के अधीन जयपुर विकास प्राधिकरण यथाशीघ्र संभव निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिनिधित्व करेगा –

(iv) श्री ए. के. गुप्ता यह वचनबंध करता है कि वह

हिंगौनिया गौशाला में भूमि का 400/382 बीघा की गोचर भूमि को एस. डी. ओ. बस्सी, जयपुर विकास प्राधिकरण के पदाधिकारियों और नगर निगम के व्यवस्थापन विभाग, जयपुर के अन्य प्राधिकारियों की सहायता से मापने का प्रयत्न करेगा और आगामी तारीख पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(v) श्री गुप्ता यह भी वचन करता है कि वह श्री महेश शर्मा, कार्यकारी इंजीनियर, नगर निगम, जयपुर को निर्देश जारी करके विद्युत कार्य को पूरा करने का अपने स्तर पर उत्तम प्रयास करेंगे जो सभी विद्युत समस्या का प्रबंधन करते हैं और आगामी तारीख पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

(vi) वह यह भी वचनबंध करता है कि वह हिंगौनिया गौशाला की गोचर भूमि को समतल कराने के लिए सुसंगत मशीनों अर्थात् 10 जे. सी. बी., डंपरों, रोलरों, क्रशेरों इत्यादि का उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे;

(vii) इस न्यायालय ने तर्कों की मध्यस्थिति में, श्री हरेन्द्र सिंह, उपायुक्त को यह प्रश्न किया कि कितने मजदूर कितनी गायों पर कार्य कर सकते हैं जिसका उसने यह उत्तर दिया कि 20 गायों को एक मजदूर की आवश्यकता है; इसलिए उस संदर्भ में, श्री ए. के. गुप्ता को हिंगौनिया गौशाला में गायों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त मजदूरों को उपलब्ध कराने और प्रबंध करने का निर्देश दिया जाए;

(viii) तर्कों के मध्यस्थिति में, आवेदन की एक प्रति श्री बी. एस. छाबा, भारत के सहायक सालिसिटर जनरल को भी भेजी गई है जिसको इस न्यायालय द्वारा हिंगौनिया गौशाला में ब्रोडबेंड की बुनियादी और आवश्यक सेवाओं को प्रदान कराने के लिए बुलाया गया है, जिसके लिए, वह यह वचनबंध करता है कि वह आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने स्तर पर उत्तम प्रयास करेगा;

(ix) श्री ए. के. गुप्ता, नगर निगम के काउंसेल को यह भी निर्देश दिया कि हिंगौनिया गौशाला की उन्नति (सुधार) के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति प्राप्त कराएं, जिसका उसने यह उत्तर दिया है कि बजट प्रक्रिया चल

रही है, और वह इस बजट में संपूर्ण धनराशि की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उस प्रयोजन के लिए वह व्यक्तिगत रूप से राज्य सरकार के वित्त सचिव और अन्य प्राधिकारियों से अनुरोध करेंगे;

(x) चूंकि हिंगौनिया गौशाला में शव प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए, श्री गुप्ता को आगामी तारीख को शव प्लांट के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है;

(xi) चूंकि हिंगौनिया गौशाला की भूमि के ऊपर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है और अभी तक इसको नहीं हटाया गया है, इसलिए, उस प्रयोजन के लिए, श्री गुप्ता को आज की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर ऐसे अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम के संबंधित आयुक्त या किसी प्राधिकारी से बात करने का निर्देश दिया जाता है और वह आगामी तारीख को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

(xii) श्री गुप्ता हिंगौनिया गौशाला के आस-पास की भूमि 382 बीघा पर सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने का वचनबंध भी करता है;

(xiii) अंतिम तारीख को, इस न्यायालय ने खुली जेल की शुरुआत करने का सुझाव दिया है किन्तु यह न्यायालय के नोटिस में नहीं आया है कि राज्य सरकार और नगर निगम शीघ्रता से और उचित रूप से कार्य नहीं कर रही है और यह मामला राज्य सरकार के समक्ष न्यायाधीन है । इस संबंध में, श्री ए. के. गुप्ता ने यह दलील दी है कि उनके पास उस प्रयोजन के लिए निधि नहीं है, और जब तक कि नगर निगम के पक्ष में निधि जारी नहीं हो जाती है तब तक खुली जेल का कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है किन्तु फिर भी वह इस संबंध में उच्च प्राधिकारियों अर्थात् गृह आयुक्त इत्यादि से बात करने के लिए अपने स्तर पर उत्तम प्रयत्न करेंगे;

(xiv) श्री खेमराज, वन सहायक संरक्षक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं, उसे हिंगौनिया गौशाला में हरियाली बनाए रखने और आगामी तारीख

को श्री ए. के. गुप्ता के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है;

(xv) श्री ए. के. गुप्ता ने उपबंध किया है कि उन्होंने हिंगौनिया गौशाला में शिकायत रजिस्टर रखने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया है;

(xvi) पुलिस महानिरीक्षक (ए. सी. डी.), जयपुर को जांच/अन्वेषण के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और उसे यह भी निर्देश दिया है कि वह न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्देशों के अनुसार हिंगौनिया गौशाला पर हुए सभी कार्य और उपगत व्ययों की निगरानी करें; और इसके अलावा, उसे इस न्यायालय के समक्ष अपनी ओर से या किसी प्रतिनिधित्व या अधीनस्थ दोनों में कोई एक को व्यक्तिगत रूप से भेजकर आगामी तारीख को उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है;

इस न्यायालय के उप रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति श्री ए. के. गुप्ता, अधिवक्ता तथा आज इस न्यायालय में उपस्थित अन्य अधिवक्ता और उपस्थित अधिकारियों को भी आगामी तारीख तक आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराएं ।

यह मामला तारीख 31 मार्च, 2016 को सूचीबद्ध किए जाने की प्रार्थना की गई थी ।

76. तारीख 31 मार्च, 2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस मामले में भूमि की नाप कराने के संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के आदेश तारीख 31 मार्च, 2016 की प्रति श्री अशोक कुमार योगी, उपखण्ड अधिकारी, बस्सी ने इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पेश की । उन्होंने यह अभिकथन किया कि हिंगौनिया गौशाला की लगभग 482 बीघा भूमि की नाप कराने का काम वे तारीख 6 अप्रैल, 2016 से आरंभ करवा देंगे, जो कार्य बीस दिवस में पूर्ण करवा लेंगे एवं तदोपरांत इस न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करेंगे ।

जिलाधीश महोदय ने अपने आदेश में आयुक्त भू-प्रबंध विभाग, राजस्थान, जयपुर को निर्देशित कर दिया है लेकिन फिर भी न्यायहित में भूमि की नाप को सुनिश्चित कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी, बस्सी को निर्देश दिया जाता है कि वे आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग को इस आदेश की एक प्रति देकर यह सूचित करें कि हर सूरत में 6 अप्रैल, 2016 तक भूमि की नाप हेतु ई. डी. एम. मशीन उपलब्ध कराएं ताकि वे इस न्यायालय के आदेश की पालना बीस दिवस में कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकें ।

इस न्यायालय ने पूर्व में इस मामले में यह आदेश दिया है कि हिंगौनिया गौशाला में ओपन जेल खोली जाए ताकि कैदी गायों की सेवा का पवित्र कार्य कर सकें । किन्तु इस आदेश की पूर्ण रूप से पालना नहीं हुई है । श्री ए. के. गुप्ता, अधिवक्ता एवं श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत प्रमुख सचिव गृह को सूचित करें कि वे आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें ।

इस प्रकरण को तारीख 29 अप्रैल, 2016 को सूचीबद्ध किया जाए । उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति सभी संबंधित को निःशुल्क उपलब्ध कराएं ।"

77. इसके उपरांत इस प्रकरण को तारीख 20 अप्रैल, 2016 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"आज विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री एस. आर. सुराना ने मौखिक रूप से इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की कि हिंगौनिया गौशाला में लगभग 250-300 गायों की मृत्यु हो चुकी है, जिसका कारण भी पता नहीं । इस मृत्यु दर के समाचार लगातार मीडिया में प्रकाशित भी हो रहे हैं । इस पर न्यायालय ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए श्री आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, आयुक्त नगर निगम, कुंवर राष्ट्रदीप सिंह, उपायुक्त पुलिस, श्री हरेन्द्र सिंह उपायुक्त नगर निगम, श्री पदम सिंह, उप निदेशक एनीमल हसबेण्डरी, डा. पी. सारस्वत, एडीशनल डायरेक्टर एनीमल हसबेण्डरी, श्री जी. आर. बैरवा, ज्वाइंट डायरेक्टर एनीमल हसबेण्डरी को तलब किया, जो आज न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हैं ।

आयुक्त नगर निगम श्री पेडणेकर ने न्यायालय के समक्ष यह

कथन किया कि वे गायों के लिए चारा, पानी और उपचार की कोई कमी नहीं होने देंगे । इस न्यायालय ने विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी. एस. गिल को भी तलब किया, जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं । उन्होंने कथन किया कि वे इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश तारीख 31 मार्च, 2016 के अनुक्रम में जिलाधीश जयपुर से बात कर मौके पर जाकर हिंगौनिया गौशाला की 482 बीघा भूमि व अन्य भूमि को नपवाने का कार्य तारीख 29 अप्रैल, 2016 से पूर्व पूर्ण कराकर इस मामले में नियत तारीख 29 अप्रैल, 2016 को न्यायालय को सूचित करेंगे । विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष तारीख 29 अप्रैल, 2016 को अपनी रिपोर्ट पेश करें कि गौशाला की 482 बीघा भूमि नगर निगम को नपवाने के बाद संभला दी गई है या नहीं । श्री गिल ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि उनके पास आज तक के आदेश की प्रति नहीं है । उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में पारित आदेशों की एक-एक फोटो प्रति विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी. एस. गिल को शीघ्र निःशुल्क उपलब्ध कराएं ।

इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित पुलिस उपायुक्त कुंवर राष्ट्रदीप को निर्देश दिया जाता है कि वे पुलिस भारसाधक अधिकारी, कानोता को निर्देश दें कि वे प्रतिदिन हिंगौनिया गौशाला जाएं एवं वहां की गतिविधियों को रोजनामचे में दर्ज करें एवं रोजनामचे की प्रति आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें ।

आयुक्त नगर निगम श्री पेडणेकर को निर्देश दिया जाता है कि वे पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों की पालना के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

प्रकरण को पूर्व नियत तारीख 29 अप्रैल, 2016 को सूचीबद्ध किया जाए । उस दिन उप निदेशक एनीमल हसबेण्डरी गायों के मरने का क्या कारण रहा इस संबंध में अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें । उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति समस्त संबंधित अधिवक्तागण को निःशुल्क उपलब्ध कराएं ।"

78. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 10 मई, 2016 को सूचीबद्ध

किया गया । उस दिन प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने एक प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसे रिकार्ड पर लिया गया । प्रकरण को तारीख 26 मई, 2016 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया । इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 1 जून, 2016 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

> "याची के विद्वान् काउंसेल ने हिंगौनिया गौशाला में सिविल इंजीनियर द्वारा पूरा किए जाने के लिए 9 कार्यों की एक सूची प्रस्तुत की है ।
>
> इस संबंध में, श्री ए. के. गुप्ता को इस न्यायालय के समक्ष कल अर्थात् तारीख 2 जून, 2016 को सुबह 11.00 बजे उपस्थित रहने के लिए श्री हेमंत गैरा, नगर निगम के प्रशासक को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि गायें समुचित मात्रा में पानी न होने के कारण घोर समस्या का सामना कर रहीं हैं अधिकतर ट्यूबवेल भी सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं तथा इलेक्ट्रिसिटी का आंतरिक कनेक्शन खराब है, चूंकि अत्यधिक धनराशि इसके ऊपर पहले खर्च की जा चुकी है बल्कि उसका संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है । तथापि, इस उद्देश्य से, इस न्यायालय ने मामले को अन्वेषण करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को पहले ही सौंप दिया है ।
>
> श्री शेखावत, विद्वान् लोक अभियोजक को कल अर्थात् तारीख 2 जून, 2016 को प्रगति रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के लिए संबंधित अन्वेषण करने वाले अधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है ।
>
> इस प्रक्रम पर, नगर निगम, जयपुर की ओर से उपस्थित होकर श्री गुप्ता ने यह अनुरोध किया है कि उसने श्री गैरा से टेलीफोन पर बात की थी और उसने टेलीफोन पर बताया है कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और पूर्वोक्त कारण से, तारीख 2 जून, 2016 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना उनके लिए व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं होगा और श्री गुप्ता ने न्यायालय से मामले को नियत करने के लिए कोई दूसरी तारीख देने का अनुरोध किया ।
>
> श्री गुप्ता का पूर्वोक्त अनुरोध सही होना प्रतीत लगता है ।

मामले को तारीख 2 जून, 2016 को सूचीबद्ध किया । तथापि, श्री गुप्ता को श्री गैरा की वैयक्तिक छूट के लिए एक आवेदन फाइल करने की स्वतंत्रता होगी ।

तारीख 2 जून, 2016 को सूचीबद्ध किया ।"

79. तारीख 2 जून, 2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :-

"यह प्रकरण कल से आज सूचीबद्ध किया गया है । हिंगौनिया गौशाला में निम्नलिखित बातों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया –

1. अभी तक गौशाला में 34 ट्यूबवेल का निर्माण कर दिया गया है जिसमें 15 ट्यूबवेल चालू हालत में है और उनमें भी काफी रिपेयरिंग आ गई है और करीबन 20 ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, बिजली का काम अधूरा है और चालू नहीं है 34 ट्यूबवेलों को रिपेयरिंग कर दुरुस्त किया जाए और सभी ट्यूबवेल चालू कराए जाएं ।

2. हरा चारा कटाई की काफी मशीनें खुले में पड़ी हैं जिन्हें कभी काम में नहीं लिया गया उनकी रिपेयरिंग कर मशीनों को चालू कराया जाए ।

3. गौबर गैस प्लांट बाड़े में अंधी गायों के लिए बरसात से बचने के लिए शेड का निर्माण किया जाए ।

4. आई. सी. यू. बाड़े में बाथरूम का निर्माण कराया जाए ।

5. बाड़ा संख्या आर 3 में खेडी थाना बनाया जाकर बाड़ा समर्पित किया जाए ।

6. बागरियों का जहां से अतिक्रमण हटाया गया है उसके तीन तरफ दीवार है, एक तरफ दीवार और बनाकर शेड खेली व ठाणउ बनाए जाएं जिससे नया बाड़ा बन जाएगा ।

7. पांच जे. सी. बी. मशीन दिलाई जाएं ताकि भूमि को समतल कराया जा सके ।

8. गौशाला में निर्माण शाखा का आफिस है उसमें जे. ई. एन. नियमित बैठे और निर्माण से संबंधित आई कमियों का

निरीक्षण कर उन्हें तुरन्त दुरुस्त करें, जैसे कई जगह से बाहर की दीवार टूट गई है, कई जगह पर गेट नहीं लगे हुए हैं साथ ही हास्पिटल के वार्डों की पानी की खेली में रिसाव है जो कि ठीक नहीं किया जा रहा है । इन सभी कमियों को दुरुस्त करें ।

9. बागरिया बस्ती की तरफ जगह चिन्हित कर चारे के एक बाड़े गोदाम का निर्माण कराया जाए ।

विद्वान् अधिवक्ता श्री ए. के. गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि वे अवकाश के दौरान आयुक्त, नगर निगम, जयपुर के साथ मीटिंग कर हिंगौनिया गौशाला की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे एवं नियमानुसार निर्देश पारित करेंगे ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिन्होंने कथन किया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश के मामले में प्राथमिक जांच चल रही है । आज न्यायालय ने उनका जिस बारे में ध्यान आकर्षित कराया है उसमें भी प्राथमिक जांच करेंगे एवं आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

आयुक्त, नगर निगम की ओर से आज की उपस्थिति क्षमा किए जाने के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार किया जाता है । प्रकरण को तारीख 13 जुलाई, 2016 को सूचीबद्ध किया जाए ।"

तारीख 13 जुलाई, 2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"श्री राजेन्द्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री जी. एस. गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता आज उपस्थित नहीं हुए हैं और उनसे इस न्यायालय के समक्ष तारीख 18 जुलाई, 2016 को उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है ।

आज मामले को श्री ए. के. गुप्ता, अधिवक्ता की रिश्तेदारी में विवाह के आधार पर स्थगित किया जाता है ।

मामला तारीख 19 जुलाई, 2016 को सूचीबद्ध किया । वे अधिकारी जो आज न्यायालय में उपस्थित हुए हैं आगामी तारीख को उपस्थित रहेंगे ।"

80. तारीख 19 जुलाई, 2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस प्रकरण में सभी पक्षकारों ने इस बात की सहमति व्यक्त की है कि इस मामले में विभिन्न मुद्दों के निपटारे के लिए प्रमुख सचिव नगरीय विकास विभाग, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण एवं सी. ई. ओ. नगर निगम को न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख को व्यक्तिशः बुलाया जाए एवं सभी मुद्दों का निपटारा किया जाए ताकि हिंगौनिया गौशाला के संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो ।

विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी. एस. गिल ने यह प्रकट किया कि क्या-क्या काम हो चुके हैं एवं क्या-क्या काम किया जाना है इसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध करा दें । इस पर ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सुराना ने कथन किया कि वे इस न्यायालय द्वारा विभिन्न तारीखों को पारित किए गए आदेशों के क्रम में क्या काम हुए एवं क्या नहीं हुए इसका एक नोट सात-आठ दिवस की अवधि में श्री गिल को दे देंगे ताकि वे उसे संबंधित अधिकारियों को दे सकें ताकि उन्हें न्यायालय के समक्ष जवाब देने में कोई परेशानी नहीं हो ।

सभी पक्षकारों की सहमति से श्री जी. एस. गिल अतिरिक्त महाधिवक्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि वे सचिव नगरीय विकास विभाग, सचिव स्थानीय निकाय, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण एवं सी. ई. ओ. नगर निगम जयपुर को आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित रखें । श्री गिल को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख को हिंगौनिया गौशाला के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा गठित कमेठी की रिपोर्ट, जो कि जिलाधीश जयपुर के यहां होना बताया जाता है, की प्रति जिलाधीश, जयपुर से संपर्क कर उनसे प्राप्त कर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें ।

विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्तागण श्री जी. एस. गिल एवं राजेन्द्र प्रसाद का नाम वाद सूची में दर्शाया जाकर प्रकरण को तारीख 10 अगस्त, 2016 को सूचीबद्ध किया जाए ।

उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक निःशुल्क प्रति सभी संबंधित को कल तक प्रदान की जाए ।"

81. इसके उपरांत इस प्रकरण को तारीख 4 अगस्त, 2016 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"पूर्व में, यह मामला तारीख 19 जुलाई, 2016 को सूचीबद्ध किया था और उसी दिन यह मामला तारीख 10 अगस्त, 2016 को स्थगित कर दिया था । पिछले दो दिनों से, अनेकों समाचार प्रिंट मीडिया में हिंगौनिया गौशाला के संबंध में प्रकाशित हो रहे हैं । आज भी एक समाचार प्रिंट मीडिया में प्रकाशित की गई है जिसमें यह उल्लेख किया है कि पिछले दो दिनों से हिंगौनिया गौशाला में 90 गायों की मृत्यु हो गई है और पिछले दो सप्ताह में 500 से अधिक गायों की मृत्यु हो गई है । आज प्रिंट मीडिया में प्रकाशित समाचार पर स्वयं इस न्यायालय ने श्री जी. एस. गिल, श्री बी. एन. संधु और श्री एस. के. गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता को बुलाया है और श्री जी. एस. गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता को नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर निगम, जयपुर के अन्य संबंधित अधिकारियों को बुलाने का निर्देश दिया है । इस न्यायालय ने श्री बी. एन. संधु, अतिरिक्त महाधिवक्ता से श्री दिनेश एम. एन, पुलिस महानिरीक्षक (ए. सी. डी.) को बुलाने के लिए भी पूछा है । उसने इस न्यायालय को यह सूचित किया है कि उसका स्थानांतरण वर्तमान स्थान से एस. ओ. जी. में हो गया है । बहुत से आदेश इस मामले में पारित किए गए हैं और मामला इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना के लिए सूचीबद्ध किया है ।

यह नगर निगम जयपुर के भाग पर दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वे पूर्ववर्ती तारीखों पर पारित न्यायालय के आदेशों की अनादर और अवज्ञा कर रहे हैं और राजस्थान सरकार का प्रशासन भी देखभाल नहीं कर रहा है और उनके ऐसे कार्य के द्वारा सरकार की ख्याति खराब हो रही है और मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्ववर्ती आदेशों की अनुपालना नहीं हो रही है, इसलिए मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह मामला आज ग्रहण किया गया है ।

एक संयुक्त अनुरोध श्री बी. एन. संधु, श्री जी. एस. गिल और श्री एस. के. गुप्ता (अतिरिक्त महाधिवक्ताओं) द्वारा किया गया है कि यदि न्यायालय फिट और उचित समझे तो उनको हिंगौनिया गौशाला में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर और श्री दिनेश एम.

एन. और श्री बजरंग सिंह शेखावत के साथ दौरा करने अनुमति दे । पूर्वोक्त अतिरिक्त महाधिवक्ताओं द्वारा किया गया यह अनुरोध सही समझा गया और उन्हें हिंगौनिया गौशाला में जाने की अनुमति दी गई और वह आगामी तारीख को इस न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर से इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्ववर्ती आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा भी की जाती है और श्री दिनेश एम. एन. को निम्नलिखित पहलुओं पर इस न्यायालय के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी स्वतंत्र किया जाता है –

(1) क्या इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पूर्णरूप से अनुपालन किया गया है या नहीं ?

(2) क्या नगर निगम के अधिकारियों ने राजस्थान गौवंश अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया है और उस प्रयोजन के लिए यदि वह किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य विधिक प्राधिकारी से सहायता चाहते हैं तो वह उसे प्राप्त कर सकते हैं ।

(3) निदेशक पशुपालन को गायों की शव-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जिनकी मृत्यु हो गई है ।

(5) विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी. एस. गिल ने श्री मंजीत सिंह, स्थानीय सेल्फ सरकार के प्रधान सचिव और पशुपालन विभाग के निदेशक को आगामी तारीख पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित करने का निर्देश भी दिया है ।

(5) उप रजिस्ट्रार (न्यायिक) को सभी संबंधित पक्षकारों को इस आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रेषित करने का निर्देश दिया है ।

(6) मामला तारीख 10 अगस्त, 2016 को सूचीबद्ध किया है ।

उपरोक्त नामित अधिकारी जो आज इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे हैं वे आगामी तारीख अर्थात् 10 अगस्त, 2016 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे ।

शेष भाग आगामी अंक में प्रकाशित

प्रेम शर्मा

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

तारीख 6 अक्तूबर, 2017

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 14 [सपठित पायलट वेदर बेस्ड क्राप इंश्योरेंस स्कीम] – ऋणी कृषकों और गैर-ऋणी कृषकों के बीच वर्गीकरण और विभेद – विधिमान्यता – भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 वर्गीकरण को अनुज्ञात करता है बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण बोधगम्य वैशिष्ट्य पर आधारित हो – बोधगम्य वैशिष्ट्य प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कतिपय संबंध रखता है – अतः ऐसा वर्गीकरण मनमाना या अविधिमान्य नहीं कहा जा सकता ।

सरकार द्वारा कृषकों के हित को संरक्षित करने के लिए फसलों के बीमे के लिए पायलट वेदर बेस्ड क्राप इंश्योरेंस स्कीम बनाई गई थी जिसमें वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने वाले कृषकों को उक्त स्कीम के अधीन बीमा कराना अनिवार्य बनाया गया है जबकि गैर-ऋण कृषकों के लिए इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है । याची ने इस वर्गीकरण को अवैध मानते हुए संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन वर्तमान रिट याचिका फाइल की । रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – संविधान का अनुच्छेद 14 वर्गीकरण को अनुज्ञात करता है बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण बोधगम्य वैशिष्ट्य पर आधारित हो और इसलिए ऐसा बोधगम्य वैशिष्ट्य प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कतिपय संबंध रखता है । स्कीम के परिशीलन से यह उपदर्शित होता है कि उक्त स्कीम हवा और मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यू. बी. सी. आई. एस.) के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ बनाई गई है । स्कीम के परिशीलन से यह भी उपदर्शित होता है कि ऐसे कृषकों के लिए फसल का बीमा कराना अनिवार्य है जिन्होंने विभिन्न ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं यथा बैंक शाखाओं या पी. ए. सी. एस. इत्यादि से ऋण लिया है जबकि यह स्कीम गैर-ऋणी कृषकों अर्थात् जिन कृषकों ने ऋण देने वाली किसी वित्तीय

संस्था से ऋण नहीं लिया है, के लिए वैकल्पिक बनाई गई है । न्यायालय के सुविचारित मतानुसार ऐसा वर्गीकरण जो इन दोनों वर्गों के बीच किया गया है, मनमाना वर्गीकरण नहीं है । ऐसा वर्गीकरण बोधगम्य वैशिष्ट्य पर आधारित है क्योंकि एक समूह में ऋणी कृषक सम्मिलित हैं जबकि दूसरे समूह में गैर-ऋणी कृषक सम्मिलित हैं । बोधगम्य वैशिष्ट्य के उद्देश्य से कतिपय संबंध हैं और वह उद्देश्य यह है कि जब कोई ऋणी कृषक अर्थात् कोई कृषक जिसने ऋण देने वाली किसी वित्तीय संस्था अर्थात् बैंक शाखा या पी. ए. सी. एस. इत्यादि से ऋण लिया हो तो बैंक शाखा या पी. ए. सी. एस. इत्यादि उसकी फसल का अनिवार्य रूप से बीमा कराएगी और इससे न केवल उनका हित संरक्षित होगा अपितु फसल बर्बाद होने पर उस वित्तीय संस्था का जिससे उन्होंने ऋण लिया है, हित भी संरक्षित होगा । फसल बीमा स्कीम को अनिवार्य बनाने के लिए तर्क यह है कि न केवल ऐसे कृषकों का जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया है, अपनी फसल का अनिवार्य रूप से बीमा कराने से स्पष्टतया जोखिम कम होगा अपितु फसल बर्बाद होने पर वित्तीय संस्थाओं का भी जोखिम समाप्त होगा । इसके प्रतिकूल इसे गैर-ऋणी कृषक के लिए अनिवार्य नहीं बनाया गया है क्योंकि ऐसा कृषक जिसने किसी वित्तीय संस्था से ऋण न लिया हो, ऐसी किसी वित्तीय संस्था को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं है । अतः न्यायालय ने जो ऊपर मत व्यक्त किया है, वह न केवल बोधगम्य वैशिष्ट्य पर आधारित है अपितु उसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से भी युक्तियुक्त संबंध है और इसलिए इसमें कोई अवैधता नहीं है । (पैरा 5 और 6)

आरम्भिक (सिविल) रिट अधिकारिता : 2012 की सिविल रिट याचिका सं. 6263.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन सिविल रिट याचिका ।

याची की ओर से	श्री केशव एस. ठाकुर
प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से	श्री विक्रम ठाकुर, उपमहाधिवक्ता,
प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से	श्री अशोक शर्मा, ए. एस. जी. आई.
प्रत्यर्थी सं. 4 और 5 की ओर से	डा. ललित के. शर्मा
प्रत्यर्थी सं. 6 की ओर से	श्री जी. एस. गुप्ता और सुश्री मीरा

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल – याची ने जो एक कृषक होने का और कुल्लू फल उत्पादक मंडल, माहिली कटरेन, जिला कुल्लू का अध्यक्ष होने का दावा करता है, निम्नलिखित अनुतोषों के लिए अनुरोध किया है :–

"(क) माननीय न्यायालय इस रिट याचिका में निम्नलिखित आदेश पारित करे ;

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन मामले का अभिलेख मंगाते हुए उत्प्रेषण रिट या उत्प्रेषण की प्रकृति की रिट या अन्य कोई समुचित रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए और स्कीम उपाबंध पी-1 की शर्त 2(क) और स्कीम उपाबंध पी-5 की शर्त (5) जिसके द्वारा ऋणी सेब कृषकों के लिए बीमा स्कीम अनिवार्य की गई है, अपास्त और अभिखंडित की जाए ;

(ग) प्रत्यर्थी कृषि बीमा कम्पनी के विरुद्ध यह निदेश करते हुए परमादेश रिट जारी की जाए कि वह स्कीम उपाबंध पी-1 की शर्त सं. 6 में वचनबंध के अनुसार बीमाकृत धनराशि का संदाय करे और विद्यमान बैंक/ बाजार दर पर बकाया और ब्याज का संदाय करे ;

(घ) प्रत्यर्थी सं. 3 और प्रत्यर्थी सं. 5 के विरुद्ध याचिका का खर्चा अधिनिर्णीत किया जाए ; और

(ङ) ऐसा अन्य कोई आदेश पारित करे जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो ।"

2. दलीलें देने के दौरान याची के विद्वान् काउंसेल श्री ठाकुर ने अपनी दलील केवल इस आधार तक निर्बंधित की है अर्थात् उनके अनुसार स्कीम उपाबंध पी-1 विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है और अभिखंडित तथा अपास्त किए जाने योग्य हैं क्योंकि यह ऋणी कृषकों और गैर-ऋणी कृषकों के बीच बनावटी वर्गीकरण सृजित करती है और उनके अनुसार ऐसा वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है । श्री ठाकुर के अनुसार कृषक एक कृषक ही होता है चाहे वह ऋणी कृषक हो या गैर-ऋणी कृषक और इसलिए वर्गीकरण जो दोनों के बीच सृजित किया गया है, विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

3. अन्य कोई दलील नहीं दी गई है ।

4. मैंने याची के विद्वान् काउंसेल तथा सभी प्रत्यर्थियों के विद्वान्

काउंसेलों को सुना और मामले में दाखिल अभिवचनों का गहराई से परिशीलन किया ।

5. मेरे सुविचारित मतानुसार याची के विद्वान् काउंसेल की दलील में कोई बल नहीं है । भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 वर्गीकरण को अनुज्ञात करता है बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण बोधगम्य वैशिष्ट्य पर आधारित हो और इसलिए ऐसा बोधगम्य वैशिष्ट्य प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कतिपय संबंध रखता है ।

6. स्कीम के परिशीलन से यह उपदर्शित होता है कि उक्त स्कीम हवा और मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यू. बी. सी. आई. एस.) के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ बनाई गई है । स्कीम के परिशीलन से यह भी उपदर्शित होता है कि ऐसे कृषकों के लिए फसल का बीमा कराना अनिवार्य है जिन्होंने विभिन्न ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं यथा बैंक शाखाओं या पी. ए. सी. एस. इत्यादि से ऋण लिया है जबकि यह गैर-ऋणी कृषकों अर्थात् जिन कृषकों ने ऋण देने वाली किसी वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लिया है, के लिए वैकल्पिक बनाई गई है । मेरे सुविचारित मतानुसार ऐसा वर्गीकरण जो इन दोनों वर्गों के बीच किया गया है, मनमाना वर्गीकरण नहीं है । ऐसा वर्गीकरण बोधगम्य वैशिष्ट्य पर आधारित है क्योंकि एक समूह में ऋणी कृषक सम्मिलित हैं जबकि दूसरे समूह में गैर-ऋणी कृषक सम्मिलित हैं । बोधगम्य वैशिष्ट्य के उद्देश्य से कतिपय संबंध हैं और वह उद्देश्य यह है कि जब कोई ऋणी कृषक अर्थात् कोई कृषक जिसने ऋण देने वाली किसी वित्तीय संस्था अर्थात् बैंक शाखा या पी. ए. सी. एस. इत्यादि से ऋण लिया हो तो बैंक शाखा या पी. ए. सी. एस. इत्यादि उसकी फसल का अनिवार्य रूप से बीमा कराएगी और इससे न केवल उनका हित संरक्षित होगा अपितु फसल बर्बाद होने पर उस वित्तीय संस्था का जिससे उन्होंने ऋण लिया है, हित भी संरक्षित होगा । फसल बीमा स्कीम को अनिवार्य बनाने के लिए तर्क यह है कि न केवल ऐसे कृषकों का जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया है, अपनी फसल का अनिवार्य रूप से बीमा कराने से स्पष्टतया जोखिम कम होगा अपितु फसल बर्बाद होने पर वित्तीय संस्थाओं का भी जोखिम समाप्त होगा । इसके प्रतिकूल इसे गैर-ऋणी कृषक के लिए अनिवार्य नहीं बनाया गया है क्योंकि ऐसा कृषक जिसने किसी वित्तीय संस्था से ऋण न लिया हो, ऐसी किसी वित्तीय संस्था को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं है । अतः मैंने जो ऊपर मत व्यक्त किया है, वह न केवल बोधगम्य वैशिष्ट्य

पर आधारित है अपितु उसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से भी युक्तियुक्त संबंध है और इसलिए इसमें कोई अवैधता नहीं है ।

7. उपर्युक्त को दृटिगत करते हुए चूंकि वर्तमान याचिका में कोई बल नहीं है तद्नुसार यह खारिज की जाती है । लंबित आवेदन का भी, यदि कोई हो, निपटान किया जाता है ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

मह.

(2018) 1 सि. नि. प. 300 **हिमाचल प्रदेश**

हंस राज और अन्य

बनाम

श्याम लाल और अन्य

तारीख 31 अक्तूबर, 2017

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – आदेश 23, नियम 1 और धारा 11 – पूर्वतर वाद – वापस लिए जाने के आधार पर खारिजी विबंध – वादी के काउंसेल द्वारा अपने कथन में वाद नए सिरे से संस्थित करने के लिए अनुमति मांगी जानी – मामले के तथ्यों में पश्चात्वर्ती वाद संस्थित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अधीन वर्जन लागू नहीं होता ।

वादियों ने प्रत्यर्थियों के विरुद्ध एक वाद संस्थित किया था जिसमें उन्होंने इस घोषणा के लिए डिक्री मंजूर करने का अनुरोध किया था कि वादी सं. 1 मोहतमिम है और वाद संपत्ति का एक मात्र स्वामी है और प्रतिवादी सं. 1 से 7 वाद संपत्ति के स्वामी नहीं हैं और परिणामतः मृतक पूरन चन्द और प्रतिवादी सं. 2 श्री कृष्ण द्वारा प्रतिवादी सं. 8 के साथ खाता सं. 295, खतौनी सं. 621, खसरा सं. 460 मिनजुमला से संबंधित भूमि के संबंध में तारीख 24 अगस्त, 1990 को निष्पादित विक्रय विलेख गलत, अवैधानिक, अप्राधिकृत और निष्प्रभावी है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा वादियों का वाद खारिज किया गया था । वादी/हमारे समक्ष के अपीलार्थियों ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से

व्यथित महसूस करते हुए वर्तमान अपील फाइल करके आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की विधिमान्यता की परीक्षा करने के लिए विशेषतया वर्तमान वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1(4)(ख) के उपबंधों में उल्लिखित विबंध के सिद्धांत द्वारा विवर्जन को और पश्चात्वर्ती वाद के मुकाबले व्यादेश को लागू करने को दृष्टिगत करते हुए यह आवश्यक है कि (क) पक्षकारों के ज्ञापन ; (ख) पूर्वतर वाद में और पश्चात्वर्ती वाद में उपवर्णित वाद सम्पत्ति ; (ग) पूर्वतर वाद में दावा किए गए अनुतोष और पश्चात्वर्ती वाद में निकाले गए निष्कर्ष ; (घ) उपर्युक्त सभी पहलुओं पर प्रत्यक्ष अनुरूपताएं या समानताएं, पूर्वतर वाद और पश्चात्वर्ती वाद में परस्पर उत्पन्न महत्वता ; (ङ) विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 में उल्लिखित विबंध के सिद्धान्त पर बल देना विधिक रूप से निकाला गया निष्कर्ष समझा जाएगा । उपर्युक्त प्रयास में, पूर्वतर वाद में, वाद से जिसे "ए" के रूप में चिह्नांकित किया गया है, यह निष्कर्ष निकलता है कि (i) उसमें के वादियों के समान ही हमारे समक्ष के वादी हैं ; (ii) वह वाद हमारे समक्ष के प्रतिवादियों के समान ही प्रतिवादियों के विरुद्ध संस्थित किया गया था ; (iii) उस वाद में सम्मिलित वाद खसरा संख्या अविवादित रूप से पश्चात्वर्ती वादपत्र में सम्मिलित वाद खसरा संख्याओं के समान है और (iv) उस वाद में प्रतिवादियों द्वारा सह-प्रतिवादी सं. 8 के हक में निष्पादित विक्रय विलेख को अभिखंडित करने और अपास्त करने के संबंध में अनुतोष मांगे गए थे और इसलिए दोनों वादों में समानता है । (v) दोनों वादों में ये विनिर्दिष्ट प्रकथन किए गए हैं कि उपर्युक्त अन्तरण संबंधित प्रतिवादियों द्वारा न्यास-संपत्ति का स्पष्ट कुप्रबंध दर्शित करता है । इस न्यायालय ने पूर्वतर वादपत्र और पश्चात्वर्ती वादपत्र दोनों में आदेशात्मक कानूनी प्राचलों की विधिमानता के संबंध में उपर्युक्त समानताएं उपदर्शित करते हुए अपना यह समाधान किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पश्चात्वर्ती वाद पर कानूनी विबंध का सिद्धान्त लागू करने का निष्कर्ष अविधिमान्यता से ग्रसित नहीं है । विद्वान् एकल उप न्यायाधीश, देहरा द्वारा पूर्वतर वाद में व्याख्या के आधार पर निकाले गए उपर्युक्त निष्कर्षों को आधार बनाते हुए यह आदेश जो प्रदर्श डी-6 में उल्लिखित हैं, किया गया कि वादी को ऐसी कोई स्वतंत्रता (छूट) प्रदान करना उपदर्शित नहीं होता कि उस वाद हेतुक पर

नया वाद संस्थित करने की छूट दी गई थी जो उस वाद में मांगे गए अनुतोषों के मुकाबले समान था । प्रदर्श पी-6 के पठन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान् उप न्यायाधीश द्वारा पूर्वतर वाद वापस लेने के रूप में खारिज किया गया था और इस संबंध में संबंधित व्यक्ति का कथन अभिलिखित किया गया था । तथापि, चूंकि पूर्वतर वाद में वादी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल द्वारा अभिलिखित कथन के परिशीलन मात्र से यह प्रकट नहीं होता कि उसने संबंधित न्यायालय से नए सिरे से वाद संस्थित करने के लिए स्वतंत्रता मांगी थी, इसलिए अपीलार्थी/वादियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल संबंधित मुकदमेदार या उसके काउंसेल द्वारा कथन करने पर ऐसी दलील देने के लिए और नए सिरे से वाद संस्थित करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं कि संबंधित न्यायालय से पूर्वतर वाद को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी । इसके प्रतिकूल चूंकि प्रदर्श पी-6 वादी को यह दलील देने से विवर्जित नहीं करता इसलिए पश्चात्वर्ती वाद वादियों को नए सिरे से संस्थित करने के लिए विवक्षित अनुमति देता है और उन्हें यह दलील देने के लिए भी अनुज्ञात करता है इसलिए पश्चात्वर्ती वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1 में उल्लिखित विबंध का सिद्धांत लागू करना आधाररहित और गलत है । उपर्युक्त चर्चा इस तथ्य को प्रकट करती है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अभिलेख पर के साक्ष्य के उचित और सही मूल्यांकन पर आधारित हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकालते समय सामग्री की संगतता और प्रासंगितता को विचार में लिया है । उपर्युक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए वर्तमान अपील में कोई बल नहीं है और तद्नुसार खारिज की जाती है । (पैरा 9, 10, 11 और 12)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2003 की आर. एफ. ए. सं. 269.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से	श्री अजय शर्मा
प्रत्यर्थियों की ओर से	सर्वश्री के. डी. सूद और रजनीश के. लाल

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर – वादियों ने प्रत्यर्थियों के विरुद्ध एक वाद संस्थित किया था जिसमें उन्होंने इस घोषणा के लिए डिक्री मंजूर करने का अनुरोध किया था कि वादी सं. 1 मोहतमिम है और वाद संपत्ति का एक मात्र स्वामी है और प्रतिवादी सं. 1 से 7 वाद संपत्ति के स्वामी नहीं हैं

और परिणामतः मृतक पूरन चन्द और प्रतिवादी सं. 2 श्री कृष्ण द्वारा प्रतिवादी सं. 8 के साथ खाता सं. 295, खतौनी सं. 621, खसरा सं. 460 मिनजुमला से संबंधित भूमि के संबंध में तारीख 24 अगस्त, 1990 को निष्पादित विक्रय विलेख गलत, अवैधानिक, अप्राधिकृत और निष्प्रभावी है। विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा वादियों का वाद खारिज किया गया था। वादी/हमारे समक्ष के अपीलार्थियों ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए वर्तमान अपील फाइल करके आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी है।

2. संक्षेप में, वादियों का यह पक्षकथन है कि वाद संपत्ति का दुनी चन्द शाह स्वामी था जिसे यह संपत्ति रूप देवी से विरासत में मिली थी। रूप देवी ने तारीख 1 मई, 1946 को वाद संपत्ति के बारे में न्यास गठित किया गया था जिसका नाम शाह दुनी चन्द भरडियाल ट्रस्ट, प्रगपुर रखा गया था। वह स्वयं न्यास की अध्यक्ष बन गई थी और उसने न्यासियों के रूप में पंडित जैशी राम, रूप लाल, पालू राम, खुशी राम, पोहलो राम और कन्हैया को नामांकित (नामनिर्दिष्ट) किया था। इस समय प्रतिवादी सं. 1 से 7 उक्त न्यास के न्यासी हैं। न्यासी पूरन चन्द की तारीख 14 नवम्बर, 1998 को मृत्यु हो गई थी और उसके स्थान पर प्रतिवादी सं. 7 न्यासी के रूप में कार्य करने लगा। यह दावा किया गया कि वादी न्यास संपत्ति की मूल स्वामी रूप देवी का उत्तराधिकारी है और उसे संपत्ति का आधा भाग तारीख 10 जुलाई, 1949 के नामांतरण सं. 672 द्वारा प्राप्त हुआ था और शेष आधा भाग जगन नाथ और वैकुन्ठी देवी द्वारा प्राप्त हुआ था। वादियों के पिता बालक राम की मृत्यु के पश्चात् वादी सं. 1 मोहतमिम के रूप में नियुक्त हुआ था। यह भी दावा किया गया है कि न्यासी खुशी लाल इत्यादि ने रूप देवी के उत्तराधिकारियों अर्थात् जगन नाथ आदि के विरुद्ध सिविल वाद सं. 237/52 फाइल किया था। तथापि, न्यासियों ने राजस्व कर्मचारियों से दुरभिसंधि करके न्यास की संपत्ति अंतरित कर दी यद्यपि वे केवल न्यासी थे न कि इस संपत्ति के स्वामी। प्रतिवादी सं. 8 कभी भी रूप देवी का किराएदार नहीं रहा था और न ही न्यासी प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा उसे न्यास संपत्ति पर किराएदार के रूप में कभी प्राधिकार दिया गया था, क्योंकि वे संपत्ति के स्वामी नहीं थे और वे केवल संपत्ति और इसके खातों की देखभाल करने के लिए न्यासी थे। यह भी अभिवाक् किया गया है कि न्यासी-प्रतिवादी सं. 1 से 7 ने न्यास संपत्ति का उचित रूप से प्रबंध नहीं किया और चूंकि उन्हें न्यासी मृतक पूरन चन्द द्वारा न्यास संपत्ति की प्रकृति बदलने और विक्रीत करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था

इसलिए मृतक और प्रतिवादी सं. 2 श्री कृष्ण द्वारा प्रतिवादी सं. 8 के हक में किया गया तारीख 21 अगस्त, 1990 का विक्रय-विलेख अवैध और अप्राधिकृत है और वादी पर मोहतमिम होने के नाते आबद्धकर नहीं है । चूंकि न्यासियों ने अपने कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वहन नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप वे सतत रूप से न्यासी बने रहने के हकदार नहीं हैं और वे न्यास से हटाए जाने के दायी हैं । अतः प्रतिवादी सं. 8 का विक्रय अवैध, अप्राधिकृत और निष्प्रभावी होने के कारण वाद संपत्ति में कोई हक या हित नहीं है । परिणामतः प्रतिवादी सं. 8 से 10 न्यास संपत्ति से कोई वृक्ष काटे जाने या उस पर कोई निर्माण करने से निषिद्ध किए जाने के दायी हैं ।

3. प्रतिवादी सं. 1 से 5 और 7 ने वाद का विरोध किया और संयुक्त लिखित कथन फाइल किया जिसमें उन्होंने प्रारम्भतः ग्राह्यता, सुनवाई का अधिकार, वाद हेतुक, पूर्व-न्याय, मूल्यांकन, आवश्यक पक्षों को पक्षकार न बनाना, परिसीमा और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2, नियम 2 के अधीन वर्जन के संबंध में आक्षेप (आपत्तियां) कीं । गुण-दोष के आधार पर इस बात से इनकार किया गया कि वादी सं. 1 न्यास संपत्ति का स्वामी या मोहतमिम है । तथापि, यह स्वीकार किया गया है कि रूप देवी न्यास संपत्ति की स्वामी थी और उसने तारीख 1 मई, 1946 के विलेख द्वारा न्यास सृजित किया था और न्यासी नामनिर्दिष्ट किए थे और स्वयं न्यास की अध्यक्ष बनी थी । यह भी स्वीकार किया गया है कि इस समय प्रतिवादी सं. 1 से 6 रूप देवी द्वारा बनाए गए न्यास के न्यासी हैं । यह प्रकथन किया गया है कि रूप देवी द्वारा न्यास बनाने के पश्चात् न्यास संपत्ति की स्वामी नहीं रही थी और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों को वह संपत्ति मिली थी जिसे रूप देवी ने न्यास को दान में नहीं दिया था । नामांतरण सं. 672 कभी भी न्यास संपत्ति पर प्रवृत्त नहीं हुआ । यह कहा गया है कि रूप देवी लगभग 1011 कनाल भूमि की स्वामी थी जिसमें से 40 कनाल भूमि और कुछ दुकानें न्यास को दान दी गई थीं । इस बात से इनकार किया गया है कि वादियों के पिता बालक राम कभी भी न्यासी रहे थे अथवा न्यास के मोहतमिम रहे थे और उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी सं. 1 न्यास का मोहतमिम बन गया था । यह स्वीकार किया गया है कि न्यास द्वारा जगन नाथ और अन्यों के विरुद्ध कब्जे के लिए फाइल किया गया सिविल वाद सं. 237/52 डिक्री हुआ था । यह प्रकथन किया गया है कि प्रतिवादी सं. 8 वाद संपत्ति का कभी भी किराएदार नहीं रहा था,

तथापि, यह कहा गया है कि प्रतिवादी सं. 8 का हितधिकारी अर्थात् कानू राम नामक व्यक्ति न्यास के सृजन के समय भूमि का पहले से किराएदार था और किराएदारी प्रतिवादी सं. 8 को न्यायगत हो गई थी । यह भी निवेदन किया गया है कि न्यास के सभी न्यासी ईमानदारी और निष्ठा से न्यास के कार्य कर रहे हैं । न्यास के सभी लेखे उचित रूप से और नियमित रूप से उल्लिखित किए जाते हैं । प्रतिवादी सं. 8 के हक में न्यास संपत्ति का विक्रय बेहतर प्रबंध के लिए प्रज्ञापूर्ण कार्य था जो न्यास संपत्ति के संबंध में मुकदमेदारी के जरिए अनावश्यक और गैर-फायदेमंद खर्चों से बचने के लिए किया गया था । अतः विक्रय 42,000/- रुपए के प्रतिफल के लिए मुकदमेदारी से बचने के लिए किया गया था और विक्रय प्रतिफल सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, प्रगपुर में जमा किया गया था । प्रतिवादी सं. 8 से 10 द्वारा वादपत्र में कोई लिखित कथन फाइल नहीं किया गया था ।

4. वादियों ने प्रतिवादियों के लिखित कथन का प्रत्युत्तर फाइल किया जिसमें उन्होंने लिखित कथन की अन्तर्वस्तु से इनकार किया और अपने वादपत्र में किए गए कथनों की पुनः पुष्टि की तथा प्रकथनों का पुनः उल्लेख किया ।

5. पक्षकारों के अभिकथनों के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के परस्पर विरोध को देखते हुए निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए :–

(1) क्या वादी सं. 1 तारीख 1 मई, 1946 के न्यास विलेख अनुसार वाद संपत्ति का मोहतमिम और एकमात्र स्वामी है और क्या वह श्रीमती रूप देवी विधवा दुनी चन्द का हिताधिकारी है ? ओ. पी. पी.

(2) क्या राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 से 7 के हक में की गई प्रविष्टियां वादियों के अधिकारों के आधार पर गलत, अवैध, अप्राधिकृत और निष्प्रभावी हैं और इसलिए, अकृत और शून्य हैं ? ओ. पी. पी.

(3) क्या मृतक पूरन चन्द और प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 8 के हक में किया गया तारीख 24 अगस्त, 1990 का विक्रय विलेख गलत, अवैध और निष्प्रभावी है ? ओ. पी. पी.

(4) क्या वादी, प्रतिवादी सं. 8 से 10 के विरुद्ध कब्जे और

स्थायी व्यादेश का अनुतोष पाने का हकदार है ? ओ. पी. पी.

(5) क्या वाद वर्तमान प्ररूप में ग्राह्य नहीं है ? ओ. पी. डी.

(6) क्या वादियों को वाद संस्थित करने का हक नहीं है ? ओ. पी. डी.

(7) क्या वादियों के पास वर्तमान वाद फाइल करने के लिए कोई वाद हेतुक नहीं है ? ओ. पी. डी.

(8) क्या वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्तों के अधीन वर्जित है ? ओ. पी. डी.

(9) क्या वाद का सही मूल्यांकन किया गया है ? ओ. पी. डी.

(10) क्या वाद आवश्यक पक्षकार न बनाए जाने के कारण चलने योग्य नहीं है ? ओ. पी. डी.

(11) क्या वाद समय-सीमा के अन्दर फाइल नहीं किया गया है ? ओ. पी. डी.

(12) क्या वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2, नियम 2 के अधीन वर्जित है ? सी. पी. सी., ओ. पी. डी.

(12क) क्या प्रतिवादी सं. 1 से 7 न्यासियों के पद से हटाए जाने योग्य है क्योंकि उन्होंने न्यास विलेख के अनुसार न्यास संपत्ति का प्रबंध नहीं किया है जैसा कि अभिकथित किया गया है ? ओ. पी. पी.

(13) अनुतोष ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष पेश किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् वादियों का वाद खारिज कर दिया ।

7. अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन जो क्रमशः प्रदर्श पी-12 और प्रदर्श पी-63 पर आधारित है, वाद भूमि सभी विशेषताओं वाली मानी गई थी और इसलिए इसे न्यास संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है । उपर्युक्त प्रदर्शों में की गई निश्चायक व्याख्या के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वाद संपत्ति एक न्यास संपत्ति है ।

8. जो भी स्थित हो, वर्तमान वाद को संस्थित करने से पूर्व दोनों मामलों में वादी अर्थात् बालक राम नामक व्यक्ति के हिताधिकारी हंसराज

को सिविल वाद सं. 116/91 में सह-प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया था जो विद्वान् उप न्यायाधीश, देहरा के समक्ष वाद में उल्लिखित खसरा संख्याओं के संबंध में संस्थित किया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि ये खसरा संख्याएं 1999 के पूर्वतर सिविल वाद सं. 2जी/1 में दी गई खसरा संख्याओं के पूर्णतया सादृश हैं और वर्तमान वाद में उस वाद के मुकदमेदारों के पक्षकारों के संबंध में समरूपता उपदर्शित होती है जैसा कि प्रदर्श डी-6 से उपदर्शित होता है इसलिए विद्वान् उप न्यायाधीश, देहरा ने अपने समक्ष अभिलिखित विरोधी पक्षकार के कथन के आधार पर 1991 के सिविल वाद सं. 116 को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया । तथापि, वादियों को वाद पुनः संस्थित करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी । परिणामतः विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि (i) प्रदर्श डी-6 के साथ कोई कलात्मक छेड़छाड़ नहीं की गई है या वादियों के पूर्वतर वाद को वापस लेने के आधार पर खारिजी के संबंध में ऐसा दृष्टव्य संधियोजन नहीं किया गया है कि बाद में वादी को वाद पुनः संस्थित करने के लिए स्वतंत्रता भी दी गई हो या (ii) वर्तमान वाद को आकर्षणीय बनाया गया हो । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1 के उपबंधों में वर्जन उपबंधित किया गया है जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है :–

"1. वाद का प्रत्याहरण या दावे के भरण का परित्याग – (1) वाद संस्थित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा :

परन्तु जहां वादी अवयस्क है या ऐसा व्यक्ति है जिसे आदेश 32 के नियम 14 तक के उपबंध लागू होते हैं वहां न्यायालय की इजाजत बिना न तो वाद का और न दावे के किसी भाग का परित्याग किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन इजाजत के लिए आवेदन के साथ वाद-मित्र का शपथ-पत्र देना होगा और यदि अवयस्क या ऐसे अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा दिया जाता है तो, प्लीडर को इस आशय का प्रमाणपत्र भी देना होगा कि प्रतिस्थापित परित्याग उसकी राय में अवयस्क या ऐसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए है ।

(3) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि –

(क) वाद किसी प्ररूपिक त्रुटि के कारण विफल हो जाएगा, अथवा

(ख) वाद की विषयवस्तु या दावे के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त आधार हैं,

वहां वह ऐसे निबंधनों पर जिन्हें वह ठीक समझे, वादी को ऐसे वाद की विषयवस्तु या दावे के भाग के संबंध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता रखते हुए ऐसे वाद से या दावे के ऐसे भाग से अपने को प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(4) जहां वादी, –

(क) उपनियम (1) के अधीन किसी वाद का या दावे के किसी भाग का परित्याग करता है, अथवा

(ख) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना वाद से या दावे के भाग से प्रत्याहृत कर लेता है,

वहां वह ऐसे खर्चे के लिए दायी होगा जो न्यायालय अधिनिर्णीत करे और वह ऐसी विषयवस्तु या दावे के ऐसे भाग के बारे में कोई नया वाद संस्थित करने से प्रवारित होगा ।

(5) इस नियम की किसी बात के बारे में, यह नहीं समझा जाएगा कि वह न्यायालय को अनेक वादियों में से एक वादी को उपनियम (1) के अधीन वाद या दावे के किसी भाग का परित्याग करने या किसी वाद या दावे का अन्य वादियों की सहमति के बिना उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत करती है ।"

9. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की विधिमान्यता की परीक्षा करने के लिए विशेषतया वर्तमान वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1(4)(ख) के उपबंधों में उल्लिखित विबंध के सिद्धांत द्वारा विवर्जन को और पश्चात्वर्ती वाद के मुकाबले व्यादेश को लागू करने को दृष्टिगत करते हुए यह आवश्यक है कि (क) पक्षकारों के ज्ञापन ; (ख) पूर्वतर वाद में और पश्चात्वर्ती वाद में उपवर्णित वाद सम्पत्ति ; (ग) पूर्वतर

वाद में दावा किए गए अनुतोष और पश्चात्वर्ती वाद में निकाले गए निष्कर्ष ; (घ) उपर्युक्त सभी पहलुओं पर प्रत्यक्ष अनुरूपताएं या समानताएं, पूर्वतर वाद और पश्चात्वर्ती वाद में परस्पर उत्पन्न महत्वता ; (ङ) विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1 में उल्लिखित विबंध के सिद्धान्त पर बल देना विधिक रूप से निकाला गया निष्कर्ष समझा जाएगा । उपर्युक्त प्रयास में, पूर्वतर वाद में, वाद से जिसे "ए" के रूप में चिह्नांकित किया गया है, यह निष्कर्ष निकलता है कि (i) उसमें के वादियों के समान ही हमारे समक्ष के वादी हैं ; (ii) वह वाद हमारे समक्ष के प्रतिवादियों के समान ही प्रतिवादियों के विरुद्ध संस्थित किया गया था ; (iii) उस वाद में सम्मिलित वाद खसरा संख्या अविवादित रूप से पश्चात्वर्ती वादपत्र में सम्मिलित वाद खसरा संख्याओं के समान है और (iv) उस वाद में प्रतिवादियों द्वारा सह-प्रतिवादी सं. 8 के हक में निष्पादित विक्रय विलेख को अभिखंडित करने और अपास्त करने के संबंध में अनुतोष मांगे गए थे और इसलिए दोनों वादों में समानता है । (v) दोनों वादों में ये विनिर्दिष्ट प्रकथन किए गए हैं कि उपर्युक्त अन्तरण संबंधित प्रतिवादियों द्वारा न्यास संपत्ति का स्पष्ट कुप्रबंध दर्शित करता है । इस न्यायालय ने पूर्वतर वादपत्र और पश्चात्वर्ती वादपत्र दोनों में आदेशात्मक कानूनी प्राचलों की विधिमानता के संबंध में उपर्युक्त समानताएं उपदर्शित करते हुए अपना यह समाधान किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पश्चात्वर्ती वाद पर कानूनी विबंध का सिद्धान्त लागू करने का निष्कर्ष अविधिमान्यता से ग्रसित नहीं है ।

10. विद्वान् एकल उप न्यायाधीश, देहरा द्वारा पूर्वतर वाद में व्याख्या के आधार पर निकाले गए उपर्युक्त निष्कर्षों को आधार बनाते हुए यह आदेश जो प्रदर्श डी-6 में उल्लिखित हैं, किया गया कि वादी को ऐसी कोई स्वतंत्रता (छूट) प्रदान करना उपदर्शित नहीं होता कि उस वाद हेतुक पर नया वाद संस्थित करने की छूट दी गई थी जो उस वाद में मांगे गए अनुतोषों के मुकाबले समान था । प्रदर्श डी-6 के पठन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान् उप न्यायाधीश द्वारा पूर्वतर वाद वापस लेने के रूप में खारिज किया गया था और इस संबंध में संबंधित व्यक्ति का कथन अभिलिखित किया गया था । तथापि, चूंकि पूर्वतर वाद में वादी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल द्वारा अभिलिखित कथन के परिशीलन मात्र से यह प्रकट नहीं होता कि उसने संबंधित न्यायालय से नए सिरे से वाद संस्थित करने के लिए स्वतंत्रता मांगी थी, इसलिए अपीलार्थी/वादियों की

ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल संबंधित मुकदमेदार या उसके काउंसेल द्वारा कथन करने पर ऐसी दलील देने के लिए और नए सिरे से वाद संस्थित करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं कि संबंधित न्यायालय से पूर्वतर वाद को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी । इसके प्रतिकूल चूंकि प्रदर्श डी-6 वादी को यह दलील देने से विवर्जित नहीं करता इसलिए पश्चात्‌वर्ती वाद वादियों को नए सिरे से संस्थित करने के लिए विवक्षित अनुमति देता है और उन्हें यह दलील देने के लिए भी अनुज्ञात करता है इसलिए पश्चात्‌वर्ती वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1 में उल्लिखित विबंध का सिद्धांत लागू करना आधाररहित और गलत है ।

11. उपर्युक्त चर्चा इस तथ्य को प्रकट करती है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अभिलेख पर के साक्ष्य के उचित और सही मूल्यांकन पर आधारित हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकालते समय सामग्री की संगतता और प्रासंगितता को विचार में लिया है ।

12. उपर्युक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए वर्तमान अपील में कोई बल नहीं है और तद्‌नुसार खारिज की जाती है । आक्षेपित निर्णय और डिक्री को कायम रखते हुए इसकी पुष्टि की जाती है । सभी लंबित आवेदनों का निपटान किया जाता है । खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है । अभिलेख वापस भेजा जाए ।

अपील खारिज की गई ।

मह.

संसद् के अधिनियम

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 9)

[17 जनवरी, 2009]

विज्ञान और इंजीनियरी में बुनियादी अनुसंधान का संवर्धन करने के लिए बोर्ड के गठन के लिए तथा ऐसे अनुसंधान में लगे हुए व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, औद्योगिक समुत्थानों तथा अन्य अभिकरणों को ऐसे अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता देने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "बोर्ड" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "निधि" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान निधि अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;

(ङ) "अन्वेक्षा समिति" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञों की अन्वेक्षा समिति अभिप्रेत है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "सचिव" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड

3. बोर्ड का गठन और निगमन – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक बोर्ड का गठन करेगी जिसका नाम विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड होगा ।

(2) बोर्ड पूर्वोक्त नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार का सचिव, पदेन – अध्यक्ष ;

(ख) सदस्य-सचिव, योजना आयोग, पदेन – सदस्य ;

(ग) जैव प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार का सचिव, पदेन – सदस्य ;

(घ) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में भारत सरकार का सचिव, पदेन – सदस्य ;

(ङ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव, पदेन – सदस्य ;

(च) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में भारत सरकार का सचिव या

उसका नामनिर्देशिती, पदेन – सदस्य ;

(छ) भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव, पदेन – सदस्य ;

(ज) शैक्षणिक संस्थाओं में विभिन्न विधाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक सदस्य ;

(झ) सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विभिन्न विधाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक सदस्य ;

(ञ) उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं, सामाजिक-आर्थिक सेक्टर और अन्य सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विभिन्न विधाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले चार से अनधिक सदस्य ।

(4) बोर्ड का प्रधान कार्यालय दिल्ली में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा ।

(5) उपधारा (3) के खंड (ज) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव, पदावधि और भत्ते वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(6) अध्यक्ष, बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं या बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(7) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि –

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ;

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ;

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता है ।

4. बोर्ड का सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी – (1) बोर्ड,

केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी विख्यात वैज्ञानिक को बोर्ड का सचिव नियुक्त कर सकेगा ।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(3) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव, सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनमें वेतन और भत्ते भी हैं, वे होंगे जो बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) बोर्ड देश के भीतर और बाहर दोनों से कार्मिकों की सेवाएं परामर्शियों, अभ्यागत वैज्ञानिकों के रूप में ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा पारिश्रमिक पर ले सकेगा जो बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए और उनकी संक्रियाओं को देश के भीतर सुकर बनाएगा ।

5. विशेषज्ञों की अन्वेक्षा समिति – (1) बोर्ड, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को परामर्श देने और सहायता करने के लिए विशेषज्ञों, विख्यात वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों से मिलकर बनने वाली विशेषज्ञों की एक अन्वेक्षा समिति का गठन करेगा ।

(2) अन्वेक्षा समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(i) विख्यात और अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक – अध्यक्ष ;

(ii) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव, पदेन – उपाध्यक्ष ;

(iii) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी के अध्यक्ष, पदेन – सदस्य ;

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट विशेषज्ञों में से तीन से अनधिक सदस्य ; और

(v) बोर्ड का सचिव, पदेन – सदस्य ।

6. बोर्ड की समितियां – (1) बोर्ड इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, उतनी समितियां नियुक्त कर सकेगा जितनी इस

अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन और कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक हों ।

(2) बोर्ड को उतनी संख्या में जितनी वह ठीक समझे, अन्य व्यक्तियों को, जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा ।

7. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य – (1) बोर्ड, विज्ञान और इंजीनियरी के उभरते हुए क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान की योजना तैयार करने, उसका संवर्धन और वित्तपोषण करने के लिए एक प्रमुख बहुविषयी अनुसंधान वित्तपोषण अभिकरण के रूप में कार्य करेगा ।

(2) बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होगा, –

(i) उभरते हुए क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी अनुसंधान की योजना तैयार करने, उसका संवर्धन और वित्तपोषण करने के लिए एक प्रमुख बहुविषयी अनुसंधान अभिकरण के रूप में कार्य करना ;

(ii) विशेषज्ञों की अन्वेक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों और दिए गए सुझावों पर विचार करना और उन पर विनिश्चय करना ;

(iii) मुख्य अंतर-विषयी अनुसंधान क्षेत्रों और व्यष्टियों, समूहों या संस्थाओं की पहचान करना और अनुसंधान करने के लिए उनका वित्तपोषण करना ;

(iv) विभिन्न पहचान किए गए क्षेत्रों में ऐसी संस्थाओं को शामिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्यक्रम विकसित करना जिनका अनुसंधान के संवर्धन में बहुआयामी प्रभाव होगा ;

(v) वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए अवसंरचना और पर्यावरण स्थापित करने में सहायता करना ;

(vi) विज्ञान और इंजीनियरी में बुनियादी अनुसंधान और संवर्धन करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं तथा उद्योग के बीच सहचर्य प्राप्त करना ;

(vii) आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अंगीकार करके, अनुसंधान,

जिसके अंतर्गत मानीटरी और मूल्यांकन भी है, के लिए त्वरित वित्तपोषण का उपबंध करने के लिए प्रबंधन प्रणाली तैयार करना ;

(viii) अन्तरराष्ट्रीय सहयोगकारी परियोजनाओं में, जहां आवश्यक या वांछनीय हो, सहभागिता पैदा करना ; और

(ix) विद्यमान विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद् स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ की गई या वित्तपोषित बुनियादी अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना और जारी रखना ।

(3) बोर्ड, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यष्टियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, उद्योगों और अन्य संगठनों को अनुदानों और ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दे सकेगा ।

अध्याय 3

वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए आवेदन

8. वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन – (1) धारा 7 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन बोर्ड को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो विहित किया जाए ।

(2) बोर्ड, आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या ऐसा स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा, या तो वित्तीय सहायता मंजूर कर सकेगा अथवा उससे इनकार कर सकेगा ।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

9. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार – केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, इस निमित्त विधि द्वारा, किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, बोर्ड को अनुदानों और उधारों के रूप में उतनी धनराशियों का संदाय कर सकेगी जितनी वह सरकार आवश्यक समझे ।

10. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान निधि – (1) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा

और उस निधि में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे, –

(क) धारा 9 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को दिया गया कोई अनुदान और उधार ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से, बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी राशियां जिसमें संदान सम्मिलित हैं ;

(ग) निधि से अनुदत्त रकमों की वसूलियां ; और

(घ) निधि की रकम के विनिधान से कोई आय ।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा, –

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य और इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय ;

(ख) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य व्यय ;

(ग) परामर्शियों और अभ्यागत वैज्ञानिकों के पारिश्रमिक ; और

(घ) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों का निर्वहन करने में उसके व्यय ।

11. बजट – बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाएंगे और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

12. वार्षिक रिपोर्ट – बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

13. लेखा और संपरीक्षा – (1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे ।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी

अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध मं होते हैं और उसे विशिष्ट रूप में बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(3) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, बोर्ड, द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(4) बोर्ड, ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाए, अपने लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

14. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना – केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट, उसकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

15. बोर्ड को विवरणियों का दिया जाना – (1) बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा कोई औद्योगिक समुत्थान या कोई संस्था, बोर्ड को, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देगा ।

(2) बोर्ड, इस धारा के अधीन दी गई किसी विवरणी की सत्यता को सत्यापित करने के लिए, किसी अधिकारी को किसी भी समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक समुत्थान या संस्था का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

16. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति – (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय

पर, उसे लिखित रूप में दे :

परन्तु बोर्ड को इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पहले यथासाध्य, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) कोई प्रश्न नीति संबंधी है या नहीं, इस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

17. केन्द्रीय सरकार को बोर्ड को अतिष्ठित करने की शक्ति – (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि –

(क) बोर्ड, गंभीर आपात के कारण, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है ; या

(ख) बोर्ड ने, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप बोर्ड की वित्तीय स्थिति या बोर्ड के प्रशासन की हानि हुई है ; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक की उतनी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड को अतिष्ठित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर, –

(क) सभी सदस्य, अतिष्ठित किए जाने की तारीख से उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका प्रयोग या निर्वहन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन, किया जा सकता है, उपधारा (3) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो केन्द्रीय सरकार निदेश करे, प्रयोग और निर्वहन किया

जाएगा ; और

(ग) बोर्ड के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति, उपधारा (3) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने तक केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिक्रमण काल की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, नई नियुक्ति करके बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में, ऐसा या ऐसे व्यक्ति, जिसने या जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए हैं, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे :

परंतु केन्द्रीय सरकार, अतिक्रमण काल की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय, इस उपधारा के अधीन कार्रवाई कर सकेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की और उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

18. प्रत्यायोजन – बोर्ड, लिखित, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य (धारा 21 के अधीन शक्ति के सिवाय) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

19. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति अथवा बोर्ड या ऐसी समिति के किसी सदस्य या सरकार के या बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

20. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव, पदावधि और अन्य भत्ते ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य ;

(ग) धारा 5 के अधीन अन्वेक्षा समिति का गठन ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन समितियों का गठन ;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप ;

(च) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब बोर्ड धारा 11 के अधीन अपना बजट और धारा 12 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(छ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप और वह तारीख जिससे पूर्व उस धारा की उपधारा (4) के अधीन लेखाओं की संपरीक्षित प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी जा सकेगी ;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए ।

21. विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति – (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के उपबंधों को साधारणतः कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव, सेवा के निबंधन और शर्तें जिनमें वेतन और भत्ते सम्मिलित हैं ;

(ख) वह प्ररूप जिसमें, और वह समय जिस पर, धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को, विवरणियां दी जा सकेंगी ।

22. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना – इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	—	—	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. वी. परांजपे - 1990	40	—	—	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	—	—	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	—	—	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	—	—	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	—	—	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	—	—	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख - 1999	293	—	—	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	—	—	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	—	—	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ - 2001	425	—	—	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	—	—	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	—	—	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	—	—	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	—	—	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	—	290	—
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	—	60	—

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 17552/69

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 195/- उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 125/- और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 125/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105